लोक- । वाद-विवाद

का

अनूदित ण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XXIX contains 51-62

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 55—बुधवार, 7 मई, 1969/17 वैशाख, 1891 (शक)
No.—55 Wednesday, May 7, 1969/Vaisakha 17, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	OBITUARY REFERENCE	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1533. चाय का निर्यात	Export of Tea	1—3
1534. अलीगढ़ में परमाणु रिएक्टर	Atomic Reactor at Aligarh	3—6
1535. चीन-पाकिस्तान नौवहन सेवा	Sino-Pak Shipping Service	6—9
1536. ननकाना साहिब को वैटीकन के समान दर्जा देना	Vatican Status for Nankana Sahib	9—11
1537. गोलकुण्डा सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र से चुराये गये हथगोलों की बरामदगी	Recovery of Hand Grenades stolen from Golkunda Military Training Centre	11
1538. भारतीय दुतावासों द्वारा प्रचार सामग्री का परिचालन	Publicity Material circulated by Indian Embassies	11—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० सं S. Q. Nos.		
1531. रूस और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के साथ भारत का रुपयों में भुगतान के आधार पर व्यापार	India's Rupee payment Trade with USSR and other East European countries	15

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1532.	पाकिस्तान को इस्पात का निर्यात / Export of Steel to Pakistan	16
1539.	1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तोड़-फोड़ और जासूसी के मामले / Cases of Sabotage and Espionage during 1965 Indo-Pak. conflict	16
1540.	ब्रिटेन जाने वाली आप्रवासी / Immigrants to U. K.	16—17
1541.	विद्युत चालित करघा उद्योग को वित्तीय सहायता / Financial Assistance to Powerloom Industry	17—18
1542.	दिल्ली योजना परिव्यय में कटौती / Slicing of Plan outlay of Delhi	18
1543.	अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों के लिये संयुक्त राष्ट्र में स्थायी स्थान / Permanent U. N. Seat for Afro-Asian Nations	18
1544.	आपातकालीन कमीशन प्राप्त भूतपूर्व अधिकारियों का ज्ञापन / Memorandum from Ex-emergency commissioned officers	18—19
1545.	अन्तरिक्ष में चक्कर लगाने वाली वस्तुओं से होने वाली क्षति के बारे में भारत का प्रस्ताव / Indian proposal on Damage caused by Orbiting Objects in outer space	19
1546.	अमरीका से भारत को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई पुनः आरम्भ करने के लिये अनुरोध / Request for resumption of Arms supply to India by USA	19—20
1547.	भारतीय पक्षियों का निर्यात / Export of Indian Birds	20
1548.	रूस से अखबारी कागज का आयात / Import of Newsprint from USSR	21
1549.	कपड़ा उद्योग को राहत / Relief to Textile Industry	21—22
1550.	श्रीलंका में अवरुद्ध भारतीय पूंजी को भारत लाना / Repatriation of blocked Indian capital in Ceylon	22
1551.	पश्चिम बंगाल में नारियल जटा उद्योग / Coir Industry in West Bengal	22
1552.	छावनी बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति / Appointment of Chairmen of Cantonment Boards	22—23

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1553. अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's Participation in International fairs	23—24
1554. प्रशिक्षण के लिए विद्रोही नागाओं का पूर्वी पाकिस्तान में अवैध प्रवेश	Naga Hostiles crossing over to East Pakistan for Training	24
1555. सूती कपड़ा मिलों में तकुए लगाना	Installation for Spindles in Cotton Textile Mills	24
1556. केनिया तथा बर्मा से भारतीयों द्वारा सम्पत्ति लाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Indians to bring property from Kenya and Burma	24—25
1557. काशीपुर गोली काण्ड की जांच	Inquiry into cossipore Firing	25
1558. निर्यातकों को नकद सहायता	Cash Assistance to Exporters	25—26
1559. बमरौली में सरकारी सामान का दुर्विनियोग	Misappropriation of Government Stores in Bamrauli	26
1560. छिपे नागाओं के साथ वार्ता	Talks with undeground Nagas	26—27

अतारांकित प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

8685. मक्का में इस्लाम सम्मेलन	Islamic Conference at Mecca	27
8686. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम	Indian Motion Pictures Export Corporation	28
8687. कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) में पदोन्नति के अवसर	Chances of promotion in Canteen Stores Department (India)	28—29
8688. कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) में विभागीय पदोन्नतियां	Departmental promotions in Canteen Stores Department (India)	29—30
8689. कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) में संयुक्त सलाहकार समिति	Joint Consultative Machinery in Canteen Stores Department (India)	30
8690. कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) के कार्य संचालन के बारे में अध्ययन दलों की सिफारिशें	Recommendations made by Study Groups Re-Working of Canteen Stores Department (India)	30—31

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8691. सेवामुक्त सैनिक अधिकारियों के लिए रोजगार की व्यवस्था	Employment provided to Released Army Officers	31
8692. सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम	Social and Economic programmes	32
8693. नाइलोन के आयातित धागे का मूल्य	Priee of Imported Nylon Yarn	32
8694. आयुध कारखानों में सुपरवाइजरों/चार्जमैनों का स्थायीकरण	Confirmation of Supervisors/Chargemen in Ordanance Factories	32—32
8695. बमों को इकट्ठा करने का स्थान बनाने के लिए भूमि का अर्जन	Acquisition of land for construction of bomb dump	33
8696. वैदेशिक कार्य मंत्रालय के हास्टिल में सेवा शुल्क	Service charges in External Affairs Ministry Hostel	33—34
8697. पुनर्नियुक्ति पर पेंशन निर्धारित करना	Counting of pension at the time of re-enrolment	34
8698. फिल्म कम्पनियों को आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of import licences to Film Companies	34—35
8699. मध्य प्रदेश के लिए बरमों का आयात	Import of Rigs for Madhya Pradesh	35
8700. आयातित माल की ऊंचे मूल्य पर बिक्री	Sale of Imported goods at higher prices	35—36
8701. पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade relations with Pakistan	36
8702. सूती कपड़े का निर्यात	Export of cotton textiles	36
8703. हैदराबाद स्थित इलैक्ट्रानिक्स का कारखाना	Electronics Factory at Hyderabad	37
8704. लोहे गांव सैनिक हवाई अड्डे (पूना) से चुराया गया पैट्रोल	Petrol stolen from Lohegaon Military Airport (Poona)	37

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8705. लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच सड़क पर सैनिक टैंक तथा ट्रक चलना	Plying of Army Trucks and Tanks on road between Ladhak and Himachal Pradesh	37—38
8706. भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के विदेशियों से सम्बन्ध	I. F. S. Officers' Relationship with Foreigners	38
8707. भारतीय राजदूतावासों द्वारा भारतीय वस्तुओं का प्रयोग	Use of Indian Goods by Indian Embassies	38
8708. भारतीय सैनिकों के शौर्य का वर्णन करने वाले प्रकाशन	Publications giving an account of Bravery of Indian Soldiers	39
8709. अनुसचिवीय कर्मचारियों का सर्वेक्षण	Survey of Ministerial Staff	39—40
8710. मद्रास के लड़कों को वायु सेना अधिकारियों के प्रशिक्षण से वंचित रखा जाना	Madras Boys Debarred from Joining Air Force Officers' Training	40—41
8711. श्री आर० के० नेहरू को गोपनीय पत्रों को देखने की अनुमति	Permission to Shri R. K. Nehru to Consult confidential papers	41
8712. वायु सेना राहत संगठन द्वारा दिये गये अनुदान	Grants given by Air Force Relief Organisation	42
8713. पाकिस्तान द्वारा भारतीय सम्पत्ति का जब्त किया जाना	Seizure of Indian property by Pakistan	42—43
8714. जंजीबार द्वारा भारतीय सम्पत्ति पर कब्जा किया जाना	Seizure of Indian property by Zanzibar	43
8715. एक्सरे फिल्मों का आयात	Import of X-Ray Films	44
8716. राज्यपालों द्वारा उपयोग के लिए मदिरा तथा अन्य वस्तुओं का आयात	Import of Wines and other Articles for use of Governors	44
8717. अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार	Trade with African Countries	44—45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8718. भारतीय वायु सेना की शक्ति	Indian Air Force Strength	45
8719. भारतीय सहयोग से अन्य देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के बारे में पश्चिमी देशों का विरोध	Opposition by Western Countries to set up Joint ventures in Third Countries with Indian collaboration	45
8720. भारत में विदेशों के सैनिक प्रतिनिधि मंडल	Foreign Military Delegations in India	45—46
8721. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक	Scientists in Bhabha Atomic Research Centre	46—47
8722. वायु सेना की पश्चिमी कमान के लिए दिल्ली में एक नये भवन का निर्माण	Construction of a new Building for Western Air Command at Delhi	47
8723. जबलपुर में जवानों द्वारा एक मकान पर जबरदस्ती कब्जा किया जाना	Forcible Occupation of a House by Jawans in Jabalpur	47
8724. उत्तर बिहार का विकास	Development of North Bihar	47—48
8725. नेपाल के सीमावर्ती नगरों में बिजली लगाने सम्बन्धी भारत-नेपाल करार	Indo-Nepal Agreement on Electrification of Border Towns of Nepal	48
8726. भारत यूगोस्लाविया व्यापार	Indo-Yogoslav Trade	48
8727. भारत नेपाल व्यापार करार	Indo-Nepal Trade Agreement	48—49
8728. सीमा सड़क विकास संगठन के लद्दाख क्षेत्र में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों को पेश आने वाली कठिनाइयां	Difficulties experienced by Civilians working in Border Road Development Organisation in Ladhakh region	49—50
8729. बिड़ला काटन एण्ड स्पिनिंग मिल्ज, दिल्ली	Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi	50
8730. तांतिया टोपे के स्मृति चिह्न	Relics of Tantia Tope	51
8731. रोडेशिया के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रस्ताव	Indian move in UNO on Rhodesia	51

अता० प्र०संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8732.	माल्दाह् जिले में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा हताहत किये गये व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान से मांगा गया प्रतिकर	Compensation claimed from Pakistan for persons injured by East Pakistan Rifles in Maldah District	52
8733.	पासपोर्टों का दुरुपयोग	Misuse of passports	52
8734.	पाकिस्तान में अल्प-संख्यक	Minorities in Pakistan	52—53
8735.	रूसी बेड़े का चीन की ओर प्रस्थान	Soviet fleet moving towards China	53
8736.	दिल्ली में आयोजित शान्ति सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार विमर्श	Delibrations of National Assembly for peace held at Delhi	53
8737.	दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा दिया गया मांगों का ज्ञापन	Memorandum of Demands by Employees of Delhi Cantonment Board	53—54
8738.	सभी छावनी बोर्डों में समान वेतन-क्रम	Uniform pay scales in all Cantonment Boards	54
8739.	छावनी बोर्डों के सदस्यों के लिए वेतन	Salaries for Members of Cantonment Boards	54
8740.	श्री हरिकोट द्वीप नेल्लौर जिला में उपग्रह छोड़ने का केन्द्र स्थापित करना	Setting up of a Satellite launching station at Sriharikota Island (Nellore District)	54—55
8741.	पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाना	Strengthening of Pakistan's Defence Strength	55
8742.	फार्म उत्पादों का निर्यात	Exports of Farm Products	55
8743.	कपड़ा मिलों में नियंत्रकों की नियुक्ति	Appointment of Controllers in Textile Mills	55—56
8744.	कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Textile Mills	56
8745.	झांसी छावनी में माईमसीन माता मन्दिर के बारे में विवाद	Dispute about Maimas in Mata Temple in Jhansi Cantonment	56—57

अता० प्र० संख्या U. S. O. Nos.	विषय Subject	पृष्ट Pages
8746. भारतीय वायु सेना के एक विमान का पंजाब में एक मकान से टकराने की दुर्घटना	I. A. F. Aircraft dashed against a house in Punjab	57
8747. भारतीय कपड़ा उद्योग	Indian Textile Industry	57
8748. कपड़ा मिलों का विलय	Merger of Textile Mills	57—58
8749. राज्यों को विद्युतचालि करघों का आवंटन	Allocation of Powerlooms to States	58
8750. अनधिकृत विद्युतचालित करघों को नियमित करना	Regularisation of Unauthorised Power-looms	59
8751. आजाद हिन्द फौज के सदस्यों को दी गई सुविधायें	Facilities given to Members of Azad Hind Fauj	59
8752. आयुध कारखानों में हथियारों का उत्पादन	Production of Arms in Ordanance Factories	60
8753. भारी पानी (हैवी वाटर) तैयार करने के लिये भारत-फ्रांस सहयोग	Indo-French Collaboration for Production of Heavy Water	60
8754. जापान को लौह अयस्क सप्लाई करने के बारे में करार	Contract for supply of Iron Ore to Japan	60—61
8755. उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए अणु शक्ति का प्रयोग	Use of Atomic Energy for Irrigation purposes in U. P.	61
8756. काश्मीर के सम्बंध में संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की शिकायत	Pakistan's Complaint in UNO re-Kashmir	61—62
8757. राज्य व्यापार निगम के कार्यालय के नवीकरण पर व्यय	Expenditure on renovation of STC's Office	62
8758. सैनिक अधिकारियों को सेवा के अन्तिम वर्ष में उनकी पसन्द के स्थान पर रखना	Posting of army officers at stations of their choice during the last year of service	62—63
8759. विदेश नीति आयोजन संगठन का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Foreign Policy Planning set-up	63

तारांकित प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8760.	योजना के लक्ष्यों का पूरा होना — Short falls in achieving plant targets	63
8761.	काहिरा स्थित भारतीय दूतावास के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें — Complaints of corruption against certain officials of Indian Embassy in Cairo	64
8762.	तारापुर परमाणु शक्ति संयन्त्र — Tarapur Atomic Power Plant	64
8764.	बर्मा द्वारा सौंपे गये चीन में प्रशिक्षण प्राप्त नागा — Chinese trained Nagas handed over by Burma	65
8765.	अरब देशों के साथ व्यापार — Trade with Arab Countries	65
8766.	अन्तरिक्ष सम्बंधी सम्मेलन — Outer space Convention	65—66
8767.	सीमा सड़क महानिदेशालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें — Service conditions of Employees in Directorate General of Border Roads	66
8768.	हंगरी को रेल वैगनों का निर्यात — Export of Rail Wagons to Hungary	67
8769.	राज्य व्यापार निगम द्वारा नकली रेशम का निर्यात — Export of Art silk by State Trading Corporation	67
8770.	यूगोस्लाविया के सहयोग से संयुक्त उपक्रम — Joint Ventures in Collaboration with Yugoslavia	68
8771.	परमाणु क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग — Indo-French Collaboration in Nuclear Field	68
8772.	पटसन उद्योग — Jute Industry	68—69
8773.	महाराष्ट्र में अनधिकृत विद्युतचालित करघे — Unauthorised powerlooms in Maharashtra	69
8774.	उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार — Trade with North Vietnam	69
8775.	बम्बई में कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा गोदामों को किराये पर दिया जाना — Godown given on hire by Canteen Stores Department in Bombay	69—70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8776. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में भारतीय कोटे के विरुद्ध अमरीका का विरोध	American Protest against India's quota in UN Secretariat	70—71
8777. चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों का अध्याय पुन: तैयार करना	Redrafting the objectives chapter of the Fourth Plan	71—72
8778. पूर्वी पाकिस्तान के तूफान पीड़ितों के लिए सहायता की पेशकश	Relief Aid offered to East Pakistan Cyclon Victims	72
8780. इंजीनियरी माल का निर्यात	Export of Engineering Goods	72
8781. ब्रिटेन में भारतीय उप-उच्चायुक्त के निवास स्थान को सजाने पर किया गया व्यय	Expenditure on the Residence of Indian Deputy High Commissioner in U. K.	72—74
8782. कृषि औजारों का आयात	Import of Agricultural Implements	74
8783. लघु उद्योगों के लिय निर्यात संवर्धन निदेशालय	Export promotion Directorate for Small Scale Industries	74
8784. देश में टैंकों का निर्माण	Manufacture of Tanks in the Country	74—75
8785. सुअर तथा सुअर के मांस का निर्यात	Export of Pigs and Pork	75
8786. राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक	National Development Council Meeting	75
8787. भारतीय भूतपूर्व सैनिकों की लीग का चौथा वार्षिक महासभा सम्मेलन	Fourth Annual General Conference of India Ex-servicemen League	75—76
8788. राजकीय व्यापार निगम के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Employees of State Trading Corporation	76—77
8789. राजकीय व्यापार निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति	Recruitment of Staff in State Trading Corporation	77
8790. बिहार सरकार की योजना का प्रारूप	Draft Plan of Bihar Government	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8791.	पाकिस्तान को हांगकांग होकर करघों के पुर्जों का निर्यात	Export of looms parts to Pakistan via Hongkong	78
8792.	बिहार में परमाणु शक्ति के कच्चे माल का संसाधन	Nuclear Raw Material Potentialities in Bihar	78
8793.	भारतीय परमाणु संयंत्र	Indian Atomic Plants	78—79
8794.	भारत-बर्मा व्यापार	Indo-Burma Trade	79—80
8796.	सिंगापुर में विकासशील एशियाई देशों का सम्मेलन	Conference of Asian Developing countries at Singapore	80
8797.	पूर्व जर्मनी में भारतीय व्यापार परिषद्	Indian Trade Council in East Germany	81
8798.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों के वर्गीकरण के बारे में आदेशों की क्रियान्विति	Implementation of orders re-gradation of confidential reports of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees	81
8799.	पेरिस स्थित भारतीत दूतावास में नियुक्त हिन्दी जानने वाले भारतीय	Hindi knowing Indians employed in Indian Embassy in Parts	81—82
8800.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	82
8801	नौसेना मुख्यालय को बम्बई में मारमागोआ से ले जाया जाना	Shifting of Naval Headquarters from Bombay to Mormugao	82
8802.	लातीनी अमरीकी देशों को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल	Cultural Delegations to Latin American countries	83
8803.	लातीनी अमरीकी देशों के अध्यक्षों को आमंत्रण	Invitations to Heads of Latin American countries	83
8804.	पिछड़े राज्यों के लिए विशेष वित्तीय संसाधन	Special Financial resources for backward States	83—84
8805.	आयुध कारखानों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for Employees of Ordanance Factories	84—85

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8806. अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	85
8807. कोसीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी	Cossipur Gun and Shell Factory	85—86
8808. कोरी फिल्मों के कोटे का दुरुपयोग	Misuse of Quota of Raw Films	86
8809. कोरी फिल्मों के कोटे का दुरुपयोग	Misuse of Quota of Raw Films	86—87
8810. कोरी फिल्मों के कोटे का नियतन	Allocation of Quota of Raw Films	87
8811. विदेशों के साथ औद्योगिक सहयोग	Industrial Collaboration with Foreign countries	87—89
8812. जनता को बिहार में आयातित कारों की बिक्री	Sale of imported cars to persons in Bihar	89
8813. कोरी फिल्मों के कोटे का नियतन	Allocation of Quota of Raw Films	89
8814. कोरी फिल्मों के कोटे का नियतन	Allocation of Quota of Raw Films	90
8815. विदेशों में भेजे गये व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegations sent abroad	90
8816. प्रादेशिक असंतुलन दूर करना	Removing of Regional imbalances	90—91
8817. विदेशों में जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए संसद् सदस्यों का चयन	Selection of M. P.'s for Delegations going Abroad	91
8818. विदेशों में स्थित दूतावासों द्वारा भारत का सही स्वरूप प्रस्तुत किया जाना	Projecting a true image of India by Missions Abroad	91—92
8819. गणतन्त्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी अधिकारी तथा लोक नर्तक	Government officials and Folk dancers from States attending Republic Day Celebrations	92
8820. आयुध कारखानों का ग्रुपों में वर्गीकरण	Categorisation of ordanance factories into Groups	92—93

अता॰प्र॰ संख्या विषय	Subject	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.		Pages
8821. कोरी फिल्मों का कोटा	Quota of Raw Films	93—94
8822. कोरी फिल्मों का कोटा	Quota of Raw Films	94
8823. कोरी फिल्मों का कोटा	Quota of Raw Films	94
8824. कोरी फिल्मों का कोटा	Quota of Raw Films	94—95
8825. कोरी फिल्मों का कोटा आवंटन	Allocation of Quota of Raw Films	95
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to Matter of Urgent Public Importance	95—99
स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम की कुछ धाराओं का अमान्य ठहराया जाना	Invalidation of certain sections of Gold Control Act	95
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	95—96
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	96—99
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	99—100
सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक	Estate Duty (Distribution) Amendment Bill	100—105
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	100
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	100
श्री रा॰ की॰ अमीन	Shri R. K. Amin	100—101
श्री एस॰ कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	101
श्री रानेन सेन	Shri Ranen Sen	101
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	101—102
श्री न॰ कु॰ सांघी	Shri N. K. Sanghi	102—103
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	103
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	103—105
खण्ड 2, 3, और 1	Clauses 2, 3 and 1	105
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	105
जन्म तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण विधेयक	Registration of Births and Death Bill	106—108

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
खण्ड 10 से 32 और 1	Clauses 10 to 32 and 1	106—114
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	106—114
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्	Shri Tenneti Viswanatham	106—107
दो राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने के लिए विधान के बारे में	Re-Legislation for Abolition of Upper Houses in Two States	106
संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालक कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक	Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Bill	116—125
विचार करने का प्रस्ताव संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider as reported by Joint Committee	116
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	116
श्री एम० मेघचन्द्र	Shri M. Meghchandra	117
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	118
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Shrinivas Misra	119
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	120
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	120
श्री प्रेम चन्द्र वर्मा	Shri Prem Chandra Verma	121
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narain Rao	121
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	121
खण्ड 2 से 9 और 1	Clauses 2 to 9 and 1	123
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	124
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	125
कम्पनी (संशोधन) विधेयक	Company (Amendment) Bill	125—128
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	125
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri Fakhruddin Ali Ahmed	125
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	126—127
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	127

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakashvir Shastri	128
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	128
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	128
छत्तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-Sixth Report	128
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion	128
स्कूटरों और कारों के लिए विचाराधीन आवेदनपत्र	Pending Applications for Scooters and Cars	129
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	129
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	130
श्री सु० कु० तपाड़िया	Shri S. K. Tapadia	131
श्री शि० चं० झा	Shri Shiv Chandra Jha	131
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	131
श्री न० कु० सांघी	Shri N. K. Sanghi	131

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 7 मई, 1969/17 वैशाख, 1891 (शक)
Wednesday, May 7, 1969/Vaisakha 17, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र के निधन का दुखद समाचार देना है। उनका स्वर्गवास 74 वर्ष की आयु में 30 अप्रैल, 1969 को मेरठ में हुआ।

प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र वर्ष 1952 से 62 तक लोक सभा के सदस्य थे।

हमें इस मित्र के निधन से गहरा शोक है और मैं आशा करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार को शोक संदेश भेजने में सभा मेरा साथ देगी।

सभा अपना शोक व्यक्त करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़ी हो जाये।

इसके पश्चात माननीय सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।
The Members then stood in silence for a short while

चाय का निर्यात

*1533. **श्री वेदवत वरुआ** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय की सामान्य बिक्री के अतिरिक्त संमिश्रित तथा पैकेटों में बन्द चाय विदेशों में बेचने के प्रयास किये गये हैं ;

(ख) क्या ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य देशों को भारत द्वारा सीधे निर्यात की गई पैकेटों में बन्द भारतीय चाय बेचने के लिये कोई प्रयत्न किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री वेदव्रत बरुआ : जहां तक चाय व्यापार का सम्बन्ध है। कुछ कारणों से ब्रिटिश नीलाम कर्ता तथा अन्य लोगों का हित सामान्यतः चाय की बिक्री बढ़ाने में है किन्तु चाय के बन्द पैकेटों की बिक्री बढ़ाने में नहीं है। ये कम्पनियां 98 प्रतिशत चाय व्यापार को नियंत्रित करते हैं। कलकत्ता में 6 नीलामकर्ताओं में से 4 नीलामकर्ताओं के हाथ में 98 प्रतिशत चाय व्यापार है। चाय बोर्ड में भी 25 गैर-सरकारी सदस्यों में से 8 सदस्य ब्रिटिश नागरिक हैं। चाय-व्यापार के बारे में सरकार की क्या नीति है? क्या नीलाम करने वाली एजेंसियों और दलालों का भारतीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न पैकेटों में बन्द चाय के निर्यात के बारे में है। हमने इस सम्बन्ध में जानकारी दे दी है कि कलकत्ता में चाय की कितनी मात्रा का नीलाम होता है और लन्दन में कितनी मात्रा का नीलाम होता है। अब 50 प्रतिशत से अधिक नीलाम कलकत्ता में किया जाता है। नीलाम करने वाली ब्रटिश फर्में भारत में हमारे नियमों के अनुसार कार्य करती हैं, यद्यपि स्टर्लिंग कंपनियों अथवा फर्मों के मालिक ब्रिटिश कंपनियां हैं। मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य कहते हैं कि चाय बोर्ड में 8 सदस्य ब्रिटिश नागरिक हैं। मैं समझता हूँ कि यह सही नहीं है।

श्री वेदव्रत बरुआ : लन्दन के बाजार में भारतीय चाय का तीव्र प्रतियोगिता का सामना करना हमारे हितों के लिए घातक है। यह बात साबित हो गई है कि ब्रिटेन के लोग अब पूर्वी अफ्रीका की चाय के प्रति अधिक रुचि दिखाने लगे हैं। इससे अन्ततः हमारा चाय व्यापार समाप्त हो सकता है। इन नीलामकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता है कि ये भारतीय चाय का केवल भारत में ही नीलाम करें? चाय का नीलाम लन्दन में न करके केवल भारत में ही क्यों नहीं किया जाता है। मैं समझता हूँ कि उन पर जोर देने से यह संभव हो सकता है।

क्या चाय बोर्ड के अन्तर्गत कोई ऐसी एजेंसी नहीं बनाई जा सकती है जो इस मामले में हमारे हितों का ध्यान रखे ताकि चाय का नीलाम केवल भारत में ही हो जिससे हमारा व्यापार हमारे हाथ से न जाये, जैसा कि वर्तमान प्रतिक्रिया के कारण हो रहा है?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने पैकेटों में बन्द चाय के निर्यात के बारे में प्रश्न पूछा है जिसका चाय के नीलाम से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि यह पृथक रूप से प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दूंगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने बताया है कि पैकेटों में बन्द चाय की बिक्री बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये गये हैं। पिछले तीन वर्षों में इन प्रयत्नों के क्या परिणाम रहे तथा पैकेटों में बन्द चाय की बिक्री कितनी बढ़ी है? कुछ वर्ष पहले चाय के निर्यात से जेम्स फिनले को हुए करोड़ों रुपये के घाटे को देखते हुए सरकार का विचार पैकेटों में बन्द चाय का निर्यात करने की इच्छुक फर्मों को क्या प्रोत्साहन देने का है और क्या इसके लिए चाय बोर्ड के सहयोग से कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम तैयार किया गया है।

श्री ब० रा० भगत : वर्ष 1968 में पैकेटों में बन्द 2·81 करोड़ रुपये के मूल्य की चाय का

निर्यात किया गया और 1967 में 2.41 करोड़ रुपये के मूल्य की चाय का निर्यात किया गया था। यह ठीक है कि बहुत कम मूल्य की चाय का निर्यात किया गया। किन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि आधुनिकतम बाजारों में, विशेषत: यूरोप के बाजार में, पैकेटों में बन्द चाय की बिक्री करना कठिन है। अनेक देशों में राष्ट्रीय एकाधिकार है। विदेशी बाजारों में यद्यपि चाय की बिक्री पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं रहता है किन्तु उन देशों की आन्तरिक कर व्यवस्था तथा अन्य बातें ऐसी होती हैं जिससे किसी अन्य देश का उन देशों के बाजारों में टिकना कठिन हो जाता है। हम अपने पड़ौसी देशों के साथ यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाय को पैकेटों में बन्द करने का कार्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो। यह सच है कि देश के अन्दर बिकने वाली चाय अधिकतर ब्रुक बांड तथा अन्य कंपनियों द्वारा किया जाता है। मैंने मंत्रालय को कहा है कि वह इस संबंध में विचार करे कि राष्ट्रीय बाजार के लिए सरकार की देख रेख में चाय को डिब्बों में बन्द करने का कार्य, स्वयं अथवा श्री लंका के सहयोग से, किस प्रकार किया जाये और पैकेटों में बन्द चाय विदेशों को निर्यात की जाए। सभी प्रोत्साहन दिए जाते हैं। यहां तक कि इस वर्ष पैकेटों में बन्द चाय पर शुल्क पूर्णत: समाप्त कर दिया गया है। अन्य प्रोत्साहन के बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री हेम राज : क्या यह सच है कि जापानी प्रतिनिधि मंडल ने, जो हाल में भारत आया था, शिकायत की है कि भारतीय चाय का जापान में कोई प्रचार नहीं किया जाता है और जापान में लोग भारतीय चाय पसन्द करते हैं? जापान में भारतीय चाय के प्रचार के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जापान स्वयं चाय, विशेष किस्मों की चाय, का उत्पादन करता है। जापान के लोग हरी चाय का उपयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसी प्रकार की किस्मों की चाय का निर्यात करना चाहते हैं। हम अपना निर्यात बढाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पहले भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त रूप से चाय का निर्यात करने के लिए एक कंसोरशियम स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में वार्ता चल रही थी। मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा लगता है कि अभी बात चीत जारी है। क्या बातचीत अभी चल रही है? क्या चाय का निर्यात आरंभ करने के लिए कोई सक्रिय कार्यवाही की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : दोनों देशों में कार्यकारी दल स्थापित किए गए हैं और उन्होंने अपने प्रतिवेदन दे दिए हैं। एक दूसरे के प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहा है। इन पर विचार हो जाने के बाद दूसरी बैठक होगी। यदि संभव हुआ तो हम श्रीलंका के साथ मिलकर निर्यात बढ़ायेंगे और यदि यह न हो सका तो हम स्वयं यह कार्य करेंगे।

Atomic Reactor at Aligarh

*1534. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the Atomic Energy Commission has prepared a scheme for setting up an atomic reactor at Aligarh at a cost of Rs. 500 crores which will yield a profit of 14 per cent in addition to providing cheap fertilizers, aluminium and cheap power for agriculturists ; and

(b) if so, the reasons for not taking expeditious action in completing this project ?

The Deputy Minister (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) and (b). The Commission has not prepared any such scheme so far. A Working Group set up by the Atomic Energy Commission has prepared a preliminary report on the feasibility of setting up Agro-Industrial Complexes around large sized nuclear power stations in India. Further detailed studies are now in progress. The question of a decision will arise only after these studies are completed.

Shri Maharaj Singh Bharati : The miraculous discoveries in the field of atomic energy have considerably reduced the cost of atomic power and new centrifugal method of separating uranium 235 will further reduce the cost of fuel. The hon. Minister has stated that although no scheme has been formulated, all the same a survey and investigations have been carried out on the basis of which Government have come to the conclusion that if at Narora in Aligarh a high atomic power station is set up—as I have been told, I want to confirm it—it will be possible to supply power to the farmers at the rate of 8 paise unit instead of 15 paise per unit as at present and that it will also be feasible to set up more aluminium factories by supplying them cheap power at the present rate. In view of the fact that our scientists have proved to be competent enough to establish a big plant even without any foreign exchange component may I know the reasons for not proceeding with this enterprise and for not including it in Fourth Five Year Plan ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह सही है कि कृषि-उद्योग समूह अथवा एक शक्तिशाली परमाणु बिजली घर की स्थापना का विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण है किन्तु इसके लिए बहुत संसाधनों की आवश्यकता है । यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस समय इतने अधिक संसाधनों की व्यवस्था करना संभव नहीं है, यद्यपि देश में कुछ तकनीकी जानकारी उपलब्ध है, तथापि इसके बहुत अधिक तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है । इसलिए इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है । कार्यकारी दल ने, जिसने अलीगढ़ में अध्ययन किया था, एक प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इस प्रतिवेदन को जांच पड़ताल की जा रही है । वैज्ञानिकों द्वारा विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण किए जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकेगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati : This is the preliminary report as the hon. Minister would like us to believe. An Indian delegate has categorically affirmed in an International Conference that this is quite feasible in India. The hon. Minister says that we are short of resources. May I say that we have scientists, engineers and we have full fledged unit of fabrications. Moreover, the foreign exchange component of the project is not likely to exceed 10 per cent of the total expenditure. I do not know what is the purport of the hon. Deputy Minister when she says that we do not have these resources.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी, नहीं मैं यह कहना नहीं चाहती । किन्तु मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह न केवल संसाधनों और तकनीकी जानकारी का प्रश्न है अपितु कृषि उद्योग समूह के अध्ययन के साथ अन्य अनेक बातें संबंधित हैं । उन्नत देशों में भी इस प्रकार के मामले में अध्ययन प्रारंभिक यहां तक कि प्रयोगात्मक, अवस्था में होते हैं । भारत में भी हम प्रारंभिक अवस्था में हैं । माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रतिवेदन प्रारंभिक नहीं है कि तथ्य यह है कि अभी तक कुछ नहीं किया गया है और इस संबंध में अध्ययन किया जा रहा है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि भारत के वैज्ञानिक इसका और अधिक अध्ययन नहीं कर लेते तब तक सरकार के लिये इस सम्बन्ध में कुछ कह सकना संभव नहीं है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह सच है कि परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए तथा उसे चालू करने के लिए पांच वर्ष से अधिक समय लगता है। वास्तव में इसमें लगभग दस वर्ष का समय लगता है। यदि चौथी पंचवर्षीय योजना में परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाने की कोई संभावना नहीं है तो परमाणु शक्ति के क्षेत्र में विस्तार को अगले दस वर्षों के लिए स्थगित करना पड़ेगा। क्या धन की कमी को छोड़ कर अन्य बातों को ध्यान में रखते सरकार इस सम्बन्ध में पुनः विचार करेगी। इसके अतिरिक्त चूंकि मुझे यह विश्वास है कि योजना आयोग यह सुझाव दे चुका है कि उत्तर प्रदेश में नरोरा नामक स्थान इसके लिए बहुत उपयुक्त है, अतः क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि देश के हित में परमाणु रिएक्टर की स्थापना अगले दस वर्षों के लिग स्थगित नहीं की जा सकती है तथा क्या सरकार इस मामले में अपने विचार का पुनरीक्षण करेगी ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी परमाणु परियोजना के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए इस योजना में सर्वेक्षण की व्यवस्था का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री सु० कु० तापडिया : प्रारंभिक प्रतिवेदन लगभग जून, 1968 के मध्य में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन इतना उद्देश्य पूर्ण है कि इसकी शीघ्र जांच पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है। यह उन थोड़े प्रतिवेदनों में एक ऐसा प्रतिवेदन है जिसके बारे में हम न्याय संगत ढंग से यह कह सकते हैं कि यह एक अच्छा प्रतिवेदन है क्योंकि इस प्रतिवेदन में कहा गया है यदि यह परियोजना आरंभ की गई तो एल्यूमिनियम और उर्वरकों के अतिरिक्त इससे इतने नलकूप चलाने के लिए बिजली सप्लाई की जायेगी जिनसे 7 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी और इस सिंचाई के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन में 40 लाख टन तथा अनाज के उत्पादन में प्रतिवर्ष 7 लाख टन की वृद्धि होगी जिससे 2 करोड़ लोगों की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा तथा क्या यह सच है कि कार्यकारी दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह संकेत मिलता है कि बिजली उत्पादन की लागत केवल 3 पैसे प्रति किलो वाट होगी ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं इसका उत्तर दे चुकी हूँ। यह कहना आसान नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि इसमें अनेक बातें अन्तर्ग्रस्त हैं। यह सही है कि इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि इससे खाद्यान्नों का उत्पादन काफी बढ़ जायेगा किन्तु अन्य कई बातों का अध्ययन भी किया जाना है। यदि माननीय सदस्य ने कार्यकारी दल की शिफारिशें पढ़ी हो तो उन्होंने देखा होगा कि प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किये जाने से पहले अन्य कई बातों का अध्ययन करना होगा।

Shri M. A. Khan : The hon. Deputy Minister has just stated that there is no provision in Fourth Five Year Plan for setting up a big atomic plant at Narora but sometime back the Prime Minister while addressing a public meeting somewhere in Uttar Pradesh gave an indication that the U. P. Government purpose to set up a big power plant in Uttar Pradesh. Is not the statement of the Deputy Minister contradictory to that of the Prime Minister ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि प्रधान मंत्री ने क्या कहा था।

श्री समर गुह : यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि परमाणु शक्ति आयोग ने घोषणा की है कि तारापुर परमाणु रिएक्ट अब परिपक्व अवस्था में है। यह देश के लिए वर्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार है। यह रिएक्टर न केवल भारत में अपितु सम्पूर्ण एशिया में सबसे बड़ा रिएक्टर होगा। किन्तु समझ में नहीं आता कि सरकार देश में परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में सरकार ने प्राय: टालमटोल की नीति क्यों अपनाई है। तारापुर रिएक्टर परिपक्व अवस्था में पहुंच जाने के समाचार को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए था। सरकार अनेक कम महत्व की परियोजनाओं को अधिक ध्यान देती है और उनके उद्घाटन समारोह मनाये जाते हैं। किन्तु तारापुर के बारे में कुछ भी नहीं किया गया। जब मैं तारापुर गया तो मुझे यह देखकर थोड़ी चिंता हुई कि तारापुर समुद्र के किनारे पर स्थित है और उस पर हमारे संभावित शत्रुओं द्वारा पनडुब्बी से आक्रमण किया जा सकता है। क्या सरकार भारत में परमाणु शक्ति क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को महत्व देने के लिए तारापुर रिएक्टर का उद्घाटन समारोह आयोजित करने के लिए कोई व्यवस्था करेगी ? इस समारोह में अधिस्नात छात्रों तथा विज्ञान संस्थाओं के प्रतिनिधि आमंत्रित किये जायें ताकि उनमें विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो।

सरकार द्वारा तारापुर परमाणु रिएक्टर की, जिस पर समुद्र की ओर से शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने का खतरा है, रक्षा करने के सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार परमाणु शक्ति के बारे में कोई टालमटोल की नीति नहीं अपना रही है। सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही है। जहां तक उद्घाटन समारोह का सम्बन्ध है, यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

श्री समर गुह : इस रिएक्टर की सुरक्षा के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस परमाणु रिएक्टर की सुरक्षा के लिए सभी संभव व्यवस्था की जायेगी।

Shri Prakash Vir Shastri : The Governor of Uttar Pradesh, Shri Gopal Reddy had sent a detailed scheme to the centre in respect of setting up this reactor. It was clearly stated in the scheme that the said reactor will supply power not only to Uttar Pradesh but also to Haryana and Rajasthan and he has also sent a map with the scheme. In reply to a question in the last session the Prime Minister stated that the matter was being considered very seriously but the hon. Deputy Minister has just stated that it has not been included in the Fourth Five Year Plan. Is this decision of the Government a technical or the political one ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। यह संसाधनों पर निर्भर करता है। हम समय-समय पर मामलों का पुनरीक्षण करते रहते है और यदि संसाधनों की व्यवस्था हो गई तो हम इस पर भी विचार कर सकते हैं।

चीन-पाकिस्तान नौवहन सेना

1535. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन-पाकिस्तान नौवहन सेवा की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या बाढ़ नियंत्रण के बारे में चीन द्वारा पाकिस्तान को की गई पेशकश की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं लेकिन उसे इस बातचीत की जानकारी नहीं है कि इस बात ने अभी कोई ठोस स्वरूप अपनाया है या नहीं ;

(ग) चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और विकास के क्षेत्रों में इस प्रकार का सहयोग बढ़ाने की नीति के अनुरूप ही होगा ।

Shri Yajna Datt Sharma : It is clear that China is instigating Pakistan against India through her imperialistic and military sources and thus creating danger to the security of our country. She is doing it in the name of collaboration in one field or the another. The Government will have to consider this question in view of our security and also in the light of increasing collusion between China and Pakistan against India.

The hon. Prime Minister in this House on the 13th November that Government of India wanted to keep Indian Ocean as peace-zone. If this shipping service comes into existence, naturally China will bring her warships in The Bay of Bengal She will make their naval base and will also set-up workshops there. Keeping all things in view and also the previous background whether Government will consider this matter ? The Naval Study Group has recently suggested that keeping in view the new danger to our security India, Japan, Australia and Malayasia should have a joint naval organisation in the Indian Ocean to face the danger both from China and Pakistan. May I know whether Government keeping this fact in view will consider to revise their foreign policy ? The information about the action to be taken by the Government should be given to this House.

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : I agree with the hon. Member that defence arrangements should be made according to the situation. We are very cautious about our defence arrangements. But it does not mean that we should take objection even on work being done for peaceful purposes. They are collaborating with each other for joint venture. We cannot object to it. I do not know about the papers of the Ministry of Defence which have been mentioned by the hon. Member. But I can only say that the Defence Ministry reviews the position in respect of defence of the country and takes necessary action in this regard.

Shri Yajna Datt Sharma : One thing is not clear. It is a fact that the Naval Study Group has suggested that an Indian Ocean Community Centre of some countries should be set up ? Was there any such move for the defence of the country ?

Shri Dinesh Singh : I have not seen these papers. The hon. Member may ask this question to the Defence Minister.

Shri Yajna Datt Sharma : I want to say something in response to the sermons the Minister has given to us. Similar reply was given when the question about the construction of a road on Aksai Chin plateau was asked. It was said that the road is being built for the development of Tibbet and there is no military strategy behind it. Now we have seen the results. The policy adopted by our Government during the last 20 years has been proved dangerous for the defence of our country. Still they are not prepared to admit their mistakes. Will the Minister give assurance that the government will not allow such a crisis to develop in Indian Ocean as has developed in case of Himalayan region ? May I know whether such a Chinese mischief was brought into light while having dialogues with Soviet Prime Minister, Shri Kosygin ?

Shri Yajna Datt Sharma : Sir, I want reply to my question.

अध्यक्ष महोदय : देश की प्रतिरक्षा में सम्पूर्ण सभा की रुचि है। हमें किसी व्यक्ति पर व्यर्थ ही आरोप नहीं लगाने चाहिए। देश की प्रतिरक्षा में हम सब रुचि लेते हैं।

श्री रंगा : मैं यह सोच रहा था कि मंत्री महोदय अपने उत्तर को पूरा करेंगे। सौभाग्य से अब प्रतिरक्षा मंत्री भी यहां विद्यमान हैं। क्या मंत्री मपोदय का यह कर्तव्य नहीं है कि वह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर प्रतिरक्षा मंत्री से परामर्श करने के बाद दें। इसके बजाय माननीय मंत्री ने यह कहा कि उन्हें पूर्ण आशा है कि प्रतिरक्षा मंत्री और उनका मंत्रायय इस मामले पर ध्यान देगा। क्या यह सन्तोषप्रद उत्तर है? क्या उक्त दस्तावेज के बारे में माननीय मंत्री अधिक जिम्मेदारी के साथ पुष्ट उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री यज्ञदत्त शर्मा के प्रश्न के केवल उस भाग का जो प्रधान मंत्री की श्री कोसीगिन के साथ वार्ता से सम्बन्धित है, उत्तर दिया जाये।... [**अन्तर्वाधाएं**]

श्री दिनेश सिंह : प्रधान मंत्री ने श्री कोसीगिन के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया है। यह मेरे लिये उपयुक्त न होगा कि चर्चा किन-किन बातों पर हुई। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारे हित के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर उन दोनों में बातचीत हुई।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान ने चीन से न केवल हथियार और गोला-बारूद मंगाया है बहिक नौवहन सेवा और बाढ़ नियंत्रण के लिए उपकरण भी मंगाए हैं। क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान और चीन ने कोई ऐसा संयुक्त समझौता किया है जिसके आधार पर वे हिन्द महासागर में ब्रिटेन के वहां से सट जाने पर संयुक्त रूप से गश्त लगा सके; यदि हां, तो क्या श्री कोसीगिन से इस सम्बन्ध में भी बातचीत की गई थी और इसके दर उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? चीन और पाकिस्तान के इस संयुक्त कार्ग का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री दिनेश सिंह : चीन और पाकिस्तान के बीच हुए इस प्रकार के किसी भी समझौते की जानकारी सरकार को नहीं। मूल प्रश्न नौवहन से सम्बन्धित समुद्री समझौते के बारे में उठाया गया था, नौसेना के प्रयोग से सम्बन्धित समझौते के बारे में नहीं।

श्री हेम बरुआ : चीन और पाकिस्तान के बीच हुए नौवहन सम्बन्धी समझौते को वे अक्रामक रूप भी दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : मेरा कहना स्पष्ट था। मैंने यह पूछा था कि क्या चीन और पाकिस्तान ने यह निश्चय कर लिया है कि वे दोनों मिलकर ब्रिटेन के हिन्द महासागर से हट जाने के बाद वहां पर गश्त लगाया करेंगे। इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने सम्भावनाओं के आधार पर प्रश्न पूछा है। मैं अनुमान के आधार पर उत्तर नहीं दे सकता। मैं अधिकृत रूप से ही उत्तर दे सकता हूं।

श्री एस० कन्डप्पन : मंत्री महोदय ने भी यह बात मानी है कि हिन्द महासागर के सम्बन्ध में चीन और पाकिस्तान में कोई समझौता हो सकता है। दक्षिण-पूर्व एशिया में कोई भी देश अकेले भारत का मित्र नहीं है। उसकी समान मित्रता पाकिस्तान के साथ भी है। ऐसी स्थिति में यह सोच कर बड़ा दुख होता है कि हमारी नौसेना अपने देश के विस्तृत समुद्रीय तट की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। साथ ही हमारी सरकार यह भी नहीं चाहती कि वह दक्षिण-पूर्व क्षेत्र के किसी देश के साथ कोई समझौता या सहयोग किया जाये। ऐसी स्थिति में भविष्य में भारत की रक्षा कैसे की जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : भविष्य में भारत की प्रतिरक्षा का दायित्व भारतीयों पर होगा, जो अपने देश की रक्षा स्वयं करेंगे। मैं यह बिलकुल नहीं समझ पाया कि कुछ देशों के साथ केवल समझौते करने मात्र से हम में अपने देश की पूर्ण रूप से रक्षा करने की शक्ति आ जायेगी। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है इस क्षेत्र के बारे में नीति-वक्तव्य दे दिया गया है। [अन्तर्बाधाएं]

श्री एस० कन्डपन : क्या मंत्री के कहने का मतलब यह है कि हममें अपनी सीमाओं, विशेष कर समुद्री सीमाओं की रक्षा करने की पूर्ण क्षमता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि रक्षा करने का भार भारतीयों पर है। अगला प्रश्न।

ननकाना साहिब को वैटीकन के समान दर्जा देना

\+

***1536. श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हरदायल देवगुण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल सिख ब्रदर हुड ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब को वैटीकन के समान दर्जा देने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इंटरनेशनल सिख ब्रदरहुड को सूचित कर दिया गया है कि सरकार इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाना मुनासिब नहीं समझती।

श्री श्रीचन्द गोयल : वह स्थान जहां गुरुद्वारा नानकाना साहिब स्थित है, गुरु नानक के जन्म स्थान होने के कारण वास्तव में पवित्र स्थान है और सभी भारतीयों को वहां तक आसानी से जाने की छूट होनी चाहिए। परन्तु जो सिख वहां जाना चाहते हैं उन पर प्रतिवर्ष अधिकाधिक प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं और उन्हें तंग किया जाता है। नेहरू लियाकत समझौते में इस बात का उल्लेख किया गया था कि सभी धार्मिक स्थानों को सम्मान सहित रक्षा की जायेगी और भक्तों को

उन तक पहुंचाने की पूर्ण सुविधा होगी। परन्तु उस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में नानकाना साहिब के लिये वैटिकन नगर के समान दर्जा मांगने की मांग की गई है। सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है जिससे नेहरू-लियाकत अली समझौता पूर्णतः लागू हो जाये और इस प्रकार की मांग के लिए अवसर ही न रहे ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूँ मैं उन्हें यह आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार उपरोक्त समझौते की क्रियान्विति के लिए पाकिस्तान सरकार से कहती रहती है। कई अवसरों पर यह मामला सरकारी स्तर पर भी उठाया गया है। प्रधान मंत्रियों के बीच 1953 में एक समझौता सम्पन्न हुआ था। इसके बाद गृह मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त समिति की पहली बैठक 1958 में हुई थी। तभी से हम पाकिस्तान से उसकी दूसरी बैठक के लिए आग्रह कर रहे हैं। परन्तु पाकिस्तान उसके लिए सहमत न हुआ। हम पाकिस्तान से सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ताकि इस मामले पर उस पर अधिक बल दिया जा सके। परन्तु पाकिस्तान ने इसमें रुचि नहीं ली है वैटिकन जैसा शहर बना देने मात्र से समस्या हल न होगी। उसका जन्म भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि में हुआ था। साथ ही हम इस बात के लिए अत्यधिक इच्छुक हैं कि धार्मिक स्थानों की रक्षा हो और भक्त लोग वहां तक आसानी से पहुंच सकें।

श्री श्रीचन्द गोयल : वैटिकन का तो एक पूर्ण राज्य का दर्जा है। उसका अपना अलग विदेश मंत्री है और अपने अलग राजदूत हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को सब जानते हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : जैसे पोप ने जेरुसलम को अन्तर्राष्ट्रीय नगर घोषित करने की मांग की थी, क्या भारत सरकार ने भी उसी प्रकार नानकाना साहिब को अन्तर्राष्ट्रीय नगर घोषित करने की मांग की है ?

श्री दिनेश सिंह : इसका उत्तर मुख्य उत्तर में विद्यमान है।

Shri Hardayal Devgun : Sir, in view of the fact that Pakistan is not honouring the Pacts made in respect of religious places, may I know whether Government consider this demand as reasonable ; if so whether they will raise this issue at international level ; so that the birth places of founders of various religions may be made free from the control of respective States ?

Shri Dinesh Singh : It is not the policy of Government that all the places of pilgrimage, wherever they are, may be made independent.

श्री गु० सिं० ढिल्लों : माननीय मंत्री को इस बात का तो अवश्य ही पता होगा कि जो सिख इस वर्ष तीर्थयात्रा के लिए पाकिस्तान गये थे, वे प्रश्न मुद्रा में वापस नहीं लौटे हैं। परन्तु जो सुझाव इन्टरनेशनल सिख ब्रदरहुड नामक संस्था ने दिया है क्या उसे यह पता नहीं है कि भारत में पोप-व्यवस्था नहीं है। वास्तव में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति ही एक ऐसी संस्था है जिसमें सिखों के सभी दलों और पक्षों का प्रतिनिधित्व है। इस बारे में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति शान्त है, फिर इन्टरनेशनल सिख ब्रदरहुड इस बारे में क्यों चिन्तित है ?

श्री दिनेश सिंह : जिन सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है, वे इस प्रश्न का उत्तर अच्छी प्रकार दे सकेंगे ।

Recovery of Hand-Grenades Stolen from Golkunda Military Training Centre

*1537. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some hand-grenades which had been stolen from Golkunda Artillery Training Centre were recovered from a person in Bhilwara in December, 1968 ;

(b) the number of hand-grenades stolen and of those which have since been recovered ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and then action taken against them ?

रक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद से 5 नवम्बर, 1968 को 12 हथगोले चुरा लिए गए थे । एक रंगरूट जो बाद में भगोड़ा हो गया था भिलावर पोलिस द्वारा 27 नवम्बर 1968 को पकड़ लिया गया था, और उससे 5 हथगोले बरामद हुए थे । इस सम्बन्ध में कुल 7 व्यक्ति पकड़े गये हैं । एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आयोजित की गई थी, और अनुशासित कार्यवाही प्रगतिशील है ।

Shri Bharat Singh Chauhan : Sir, may I know the time taken by Government in detecting the theft, which took place in Artillery Centre ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, यह चोरी 5 नवम्बर, 1968 को हुई थी । इसके पश्चात राम गोपाल शर्मा नायक एक रंगरूट, जो इस चोरी से सम्बद्ध था, काम छोड़ कर भाग गया था । उसे राजस्थान के भीलवाड़ा थाने के कर्मचारियों ने 27 नवम्बर को पकड़ा था ।

भारतीय दूतावासों द्वारा प्रचार सामग्री का परिचालन

*1538. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में भारतीय दूतावास ने रूस पूर्वी साम्यवादी देशों, अमरीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे देशों में विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिये प्रचार साहित्य के प्रकाशन तथा प्रत्येक देश में ऐसे साहित्य के परिचालन पर कितनी राशि खर्च की ;

(ख) क्या भारतीय दूतावासों द्वारा परिचालित किसी प्रचार सामग्री के बारे में उक्त देशों में से किसी देश में आपत्ति की गई है ;

(ग) क्या इन देशों में भारतीय दूतावासों में सूचना केन्द्र है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका प्रयोजन क्या है और इन सूचना केन्द्रों में क्या साहित्य रखा जाता है तथा गत तीन वर्षों में ऐसे केन्द्रों से कितने व्यक्तियों ने जानकारी प्राप्त की और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी हो जाने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) सूचना केन्द्र नीचे लिखे अनुसार है।

सोवियत समाजवादी गणजंत्र संघ	1
यूरोप	
यूगोस्लाविया	1
	लो० ता० प्र० सं० 1538
चेकोस्लोवाकिया	1
संयुक्त राज्य अमरीका	3
दक्षिण पूर्व एशिया	
बर्मा	1
श्रीलंका	1
इन्डोनेशिया	1
मलयेशिया	1
सिंगापुर	1
थाईलैण्ड	1

श्री समर गुह : महाकवि रविन्द्रनाथ टाकुर ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को विशाल भारत का नाम दिया था। हिन्दू एवं बौद्ध संस्कृति मे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज और स्मारक उन देशों में विद्यमान हैं। गत वर्ष मैंने सभा में यह मांग की थी कि दक्षिण-पूर्व एशिया संस्कृति संस्थान स्थापित किया जाये और मंत्री महोदय ने यह मांग स्वीकार भी कर ली थी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उस योजना को स्वीकृति दे दी है और उस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है? क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में बिखरी हुई हिन्दु-बौद्ध संस्कृति से सम्बन्धित संपूर्ण जानकारी एकत्र की जा सके जिससे भारतीय सभ्यता और इतिहास पर नया प्रकाश पड़ेगा। इन्डोनेशिया, कम्बोडिया, थाइलैण्ड और मलाया में उनकी भाषाओं में हिन्दू-बौद्ध संस्कृति संबंधी साहित्य विपुल मात्रा में विद्यमान है। क्या सरकार ने उसे भारतीय भाषाओं में अनूदित किये जाने के लिये कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्यों को पता है कि इन देशों के साथ हमारे परम्परागत मैत्रीपूर्ण और सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं और वहां पर अनेक ऐतिहासिक स्मारक भी हैं। कुछ व्यक्ति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान-कार्य कर रहे हैं। फिर भी हमें इस दिशा में आगे अनुसंधान करने और इन संबधों को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। जहां तक परियोजना विशेष के बारे में जानकारी देने का संबध है, उसके लिए मुझे अपने साथी से परामर्श करना होगा।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने जो जानकारी दी है, उससे पता चलता है कि रूस दक्षिण

पूर्व एशिया के देशों और पूर्व यूरोपीय देशों में एक-एक सूचना-केन्द्र है। इसके विपरीत रूसी दूतावास की ओर से दिल्ली और विभिन्न राज्यों में अपने सूचना-केन्द्र खोल रखे हैं और देश में रूसी साहित्य की बाढ़ सी आई हुई है। क्या सरकार ने रूस और पूर्व-यूरोपीय देशों में अधिक सूचना-केंद्र खोलने की कोई योजना बनाई है ? हमें उन देशों को अपने दर्शन इतिहास धर्म-मूल्यों और प्रथाओं से संबंधित साहित्य भेजना चाहिये जिससे उनके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध और अधिक मजबूत हों। इस दृष्टि से मैं जानना चाहता हूँ कि मास्को और अन्य पूर्व-यूरोपीय साम्यवादी देशों में भारतीय राज दूतावासों की ओर से कौन-कौन सी पुस्तकें और पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हम रूस और अन्य देशों में अपने सूचना कार्यालयों की संख्या बढ़ायेंगे और भारत द्वारा प्राप्त सफलताओं में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्यवश इस कार्य का काफी सीमा तक विस्तार करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। जहां तक हमारे द्वारा रूसी भाषा में पुस्तकों के अनुवाद का संबंध है, यदि एक पृथक प्रश्न पूछा जाय मैं उन पुस्तकों की सूची दे दूंगा।

Shri Chandrajit Yadav : There have been complaints that our picture about political and economic situation in the country is being depicted in other countries in a very wrong way. There is confusion in foreign countries as to which country—Pakistan or India is violating the Tashkent agreement. I have read in newspapers that in America, Indians are asked whether they have been getting square meals or not, whether they have seem care or not. In view of the present situation of the world, it is a very important question. May I know whether Ministries of External Affairs, Foreign Trade and Education would consider the question of establishing Centres in major countries of the world which would depict a correct picture of the country there ? In this connection, the question of lack of resources has been often raised. I would request the Government to make available resources for the purpose.

Shri Dinesh Singh : I agree with the hon. Member that we should give more information to those countries which are far away from us. We are making efforts for it. The resources are limited. As far as the question of depiction of a correct picture of the country is concerned, even Members in this House have different image of the country in their view. These Members and other people go abroad and make a mention of it there. However, on behalf of Government we always try to dispair abroad a correct picture of the country. There are complaints of this nature in Pakistan also. The question of making publicity about one's country depends upon the resources of that country. The image of India in foreign countries is very good. India is respected there. There is great regard for news abroad and ideals of our country. We are not being looked down upon by any country.

श्री स० मो बनर्जी : यद्यपि हमें अपनी संस्कृति और परम्परा पर गर्व है, परन्तु क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कुछ देश जानबूझ कर भारत की तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ? मैं साम्यवादी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वे हमारे देश की तस्वीर बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ अन्य देश, विशेषकर अमरीका जैसे पूंजीवादी देश हमारी गरीबी का तथा अन्य बातों का अपने लोगों के सामने बढ़ा-चढ़ाकर चित्रण कर रहे हैं और उनके सामने यह सिद्ध कर रहे हैं कि भारत एक असभ्य देश है और वह अमरीका की दया पर निर्भर है। टेलीविजन के द्वारा भी यही तस्वीर पेश की जा रही है। इन देशों में हमारी सफलताओं का प्रचार

करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उन्हें हमारे देश की सही तस्वीर मिले और उनके सामने आंग्ल भारतीय देशों द्वारा प्रस्तुत तस्वीर न आये ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इस प्रश्न का इस सभा में कई बार उत्तर दे चुका हूँ और प्रत्येक देश में किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा दे चुका हूँ । यदि माननीय सदस्य चाहें, तो इन प्रश्नों के उत्तरों को देख सकते है । परन्तु जब कभी भी हम यह देखते हैं कि प्रचार के बारे में कहीं कोई कमी है, तो हम इसमें सुधार करने का पूरा प्रयत्न करते हैं । यह सच है कि कुछ देशों में, एक समय में जबकि इस देश में कमियां और खामियां थीं, देश का गलत चित्रण किया गया है और हमने इसको ठीक करने के लिए पूरी कोशिश की है । परन्तु वहां भी कुछ देशों ने इस सभा में दिये गये भाषणों का हवाला दिया है ।

Shri K. N. Tiwary : May I know the number of periodicals in different Indian languages being published in Russia, America and other countries and the measures taken to counter act the propaganda being made against us in these countries ?

Shri Dinesh Singh : We have laid a list of it on the Table of the House. If the hon. Member desires, I am prepared to place it again.

श्री म० ला० सोंधी : क्या उन्हें पता है कि आई०एस०आई० के व्यक्ति जो इन पदों पर काम करते हैं, यह भावना रखते हैं कि उनके विरुद्ध भेदभाव किया जाता है और उनका यह विचार है कि उन पर पिल्ले समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है । दूसरे जो उपकरण काम में लाया गया है, वह भी पुराना है । मिसाल के तौर पर दिल्ली के विदेशी दूतावास को भोसी-कास्ट परिक्षण यंत्रों के द्वारा सूचना भेजी जाती है । यह अनुमान हैं कि हमारी अधिकांश भोर्स कास्ट परिक्षण मशीनें पुरानी है और जब तक सूचना वहां पहुंचतीहै, वह पुरानी हो जाती है । क्या माननीय मंत्री इन दो प्रश्नों का विशिष्ट उत्तर देंगे ?

श्री दिनेश सिंह : आई० एस० आई के व्यक्तियों की कुछ कठिनाइयों पर हम विचार कर रहे हैं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । हम अपने कुछ उपकरणों के स्थान पर रेडियो टेली टाइप उपकरण लगाने की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं । मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने नवयुवकों की आत्मतुष्टि की भावना का उल्लेख किया है । परन्तु मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि नवयुवकों में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिये और उन्हें निराधार आरोप नहीं लगाने चाहियें ।

Shri D. N. Tiwary : The hon. Minister has referred that Members in the House have different pictures of the country in their minds and the same thing happens in foreign countries also. But I would like to point out that the different pictures in the minds of the people are politically coloured but in foreign countries, these do not have any political colour. In some places in foreign countries, where we have our embassies, even our national festivals are not celebrated. You can realise what impact it has on the foreigners. May I know the concrete steps being taken by you to apprise the people of other countries of the achievement made by this country ?

Shri Dinesh Singh : I am not prepared to accept the views of the hon. Member that there is no political colour in foreign countries. There are many people here who send information there. As far as national festivals are concerned, I do not know as to which particular festival, he is referring to. It is possible that there may be some difficulty in

celebrating any particular festival in some country. There are two National Festivals which are celebrated in every country. This work is done there in accordance with the facilities available there. Although, we cannot say that we are fully satisfied about it. It is such a job in which there is always scope for improvement and we should try to make efforts in this direction.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : अपनी पश्चिम यूरोप की यात्रा के दौरान, मैंने पाया कि पश्चिम जर्मनी को छोड़कर लगभग प्रत्येक देश में हमारे दूतावासों के पास हमारे देश की आर्थिक मामलों की, विशेषकर व्यापार वाणिज्य और उद्योग की इतनी क्या जानकारी है कि उनको नवीनतम कानूनों और कानूनों के संशोधनों की समुचित जानकारी नहीं दी जाती। क्या सरकार को हमारे दूतावासों की इस बारे मे इतनी खराब स्थिति की जानकारी है और क्या वह इस खराबी को दूर करने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे ऐसी स्थिति का पता नहीं है कि हमारे दूतावासों को हमारे कानूनों का पता नहीं हो माननीय सदस्य के दिमाग में कोई विशिष्ट कानून हो सकता है। यदि वह उसके बारे में मुझे बतायें तो हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि संबंधित लोगों को अधिक जानकारी प्रदान की जाय।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रूस और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के साथ भारत का रुपयों में भुगतान के आधार पर व्यापार

*1531. **श्री मधु लिमये** : क्या **व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस तथा पूर्वी गुट के अन्य देशों के साथ रुपयों में भुगतान के आधार पर होने वाले भारत के व्यापार के वर्तमान ढांचे से भुगतान संतुलन की समस्यायें शीघ्र ही गम्भीर रूप धारण कर लेंगी ;

(ख) क्या इसके कारण काफी पुनर्निर्यात किया जाने लगा है ;

(ग) क्या इससे भारत को परम्परागत बाजारों तथा दुर्लभ मुद्रा की आय से हाथ धोना पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। पुनर्निर्यात के इक्के दुक्के मामले ही सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को इस्पात का निर्यात

*1532. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान को इस्पात का निर्यात करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों में प्रति वर्ष इस्पात का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हाँ, वर्ष 1965-66 तक ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1022/69] ।

1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तोड़-फोड़ और जासूसी के मामले

*1539. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तोड़-फोड़ तथा जासूसी के कुछ गम्भीर मामलों का पता लगा था ;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों में सामान्यतः क्या कार्यवाही की गई थी ;

(ग) दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड न देने के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कानून में संशोधन करने का विचार करेगी कि गंभीर रूप की ऐसी गतिविधियों के मामलों में जिनसे युद्धकाल में युद्ध की तैयारी में बाधा उत्पन्न हो जाती है, बहुत कठोर दण्ड, जिसमें मृत्यु दण्ड भी शामिल है, देने की व्यवस्था की जाये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) गम्भीर तोड़-फोड़ का मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया कुछ व्यक्ति मुखबरी के सन्देह में पकड़े गये थे ।

(ख) और (ग). रोक-थाम के उपायों के अतिरिक्त जहां ऐसे अभियोग चलाने के लिए प्रमाण प्राप्य होता है, दोषियों पर अभियोग चलाने के लिए कार्यवाही की जाती है ।

(घ) जब धारा 352 के अन्तर्गत आपाती स्थिति की घोषणा लागू होती है, ऐसे दोषियों को अधिक दण्ड देने का उपबन्ध करने के लिए विशेष निविध निर्माण हस्तगत किया जा सकता है । 1962 का भारत की रक्षा का विधेयक में, जो अन्तिम आपाती स्थिति में लागू था, कई अपराधों के लिये मृत्यु दण्ड शामिल थे ।

ब्रिटेन जाने वाले आप्रवासी

*1540. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री जब राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन के लिये लन्दन गई थीं, तो ब्रिटिश विदेश मंत्री, श्री जेम्स कालाघन ने उनसे कहा था कि ब्रिटेन में जातीय तनाव

बढ़ रहा है और यदि वहां कुछ और अश्वेत आप्रवासी आ गये, तो वहां पर पहले से रहने वाले आप्रवासियों के लिये स्थिति और भी अधिक खराब हो जायेगी ।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत मुख्यरूप से पूर्व अफ्रीकी देशों के ब्रिटिश पासपोर्ट-धारी एशियाई व्यक्तियों के प्रश्न पर हुई थी । ये बातचीत गोपनीय हैं और इसलिए इस बातचीत का ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है । बहरहाल, सरकार ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारत मूलक आप्रवासियों की समस्याओं के प्रति सजग है । हमने बारबार इस बात पर जोर दिया है कि ब्रिटेन को एशियाई मूल के ब्रिटिश नागरिकों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें उनके प्रति भेदभाव नहीं बरतना चाहिए ।

विद्युत चालित करघा उद्योग को वित्तीय सहायता

*1541. **श्री सीता राम केसरी** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विद्युत चालित करघा उद्योग को वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी सहायता देने का विचार है ; और

(ग) यह निर्णय कब लिये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार ने उन विद्युत-चालित करघों को वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया है जिन्हें विभिन्न राज्यों में सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है । सहायता निम्नलिखित रूप में दी जाती है :—

1. ऋण—
   (क मोटर एवं अन्य अनुषंगी यंत्रों की लागत सहित विद्युत-चालित करघों की लागत, बशर्ते कि प्रति विद्युत-चालित करघा अधिक से अधिक 3,000 रु० हो ।
   (ख) 100 रु० के हिस्सा-मूल्य का 75 प्रतिशत ।
2. अनुदान—
   पर्यवेक्षक अमले (एक प्रबन्धक, एक सचिव अथवा एक लेखापाल) के लिए, पहले वर्ष 75 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 50 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष 25 प्रतिशत की दर से क्रमशः घटता हुआ प्रबन्ध अनुदान ।

सहकारी क्षेत्र से बाहर के विद्युत-चालित करघे, उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत तथा संस्थात्मक वित्तपोषक अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पूरे देश में विद्युत-चालित करघा उद्योग का विकास करने के लिए सरकार द्वारा अस्थायी रूप से अनुमोदित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल 10.06 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। राज्यों को दी गई वास्तविक सहायता, उनके द्वारा इस योजना पर खर्च किये गये वास्तविक व्यय पर निर्भर करती है और कुल व्यय का 75 प्रतिशत होती है। शेष 25 प्रतिशत व्यय राज्यों द्वारा अपने स्रोतों से पूरा किया जाता है।

दिल्ली योजना परिव्यय में कटौती

*1542. **डा० सुशीला नायर :** **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **प्रधान मंत्री** दिल्ली के योजना परिव्यय में कटौती के बारे में 18 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5014 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 155.65 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है। परिव्यय का ब्यौरा चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के प्रारूप के पृष्ठ 71 पर दिया गया है। यह दस्तावेज पहले ही सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है।

Permanent U. N. Seat for Afro-Asian Nations

*1543. **Shri Raghuvir Shastri :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Asian or African country other than Nationalist China, which is not recognised by India, is a permanent member of the U. N. Security Council ;

(b) whether Government propose to take steps for ensuring permanent membership of the Security Council for an Asian or African country ;

(c) if so, the steps proposed to be taken in this regard ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). Any change in the composition of the permanent members of the Security Council will require an amendment of the U. N. Charter with the approval of two-thirds of the Member States of the U. N., including all the permanent members of the Security Council. The Government do not think that the situation is ripe for proposing any such change.

आपातकालीन कमीशन प्राप्त भूतपूर्व अधिकारियों का ज्ञापन

*1544. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री कमीशन प्राप्त भूतपूर्व अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा नवम्बर, 1968 में दिये गये ज्ञापन के बारे मे 27 नवम्बर, 1968

के अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा अपने ज्ञापन में रखी मांगों पर विचार का क्या परिणाम रहा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्रा) : सदस्य महोदय का ध्यान 11 अप्रैल, 1969 को सभा के पटल पर रखे गये सम्पूर्ति विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है।

अन्तरिक्ष में चक्कर लगाने वाली वस्तुओं से होने वाली क्षति के बारे में भारत का प्रस्ताव

1545. **श्री रा० बरुआ :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि अन्तरिक्ष में चक्कर लगाने वाली वस्तुओं से होने वाली क्षति के दायित्व के प्रश्न पर भारत द्वारा प्रस्तुत किये गये एक अधिसमय मसविदा संयुक्त राष्ट्र संघ के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो मसविदे और पुरः स्थापित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्य देशो की इस प्रस्ताव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस अभिसमय के भारतीय मसौदे की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1023/69]।

(ग) इसी विषय पर बेल्जियम, हंगरी, इटली और सयुक्त राज्य अमरीका ने भी अभिसमय के मसौदे रखे हैं। इस प्रश्न पर व्यापकतम सहमति की सम्भावनाओ का पता लगाने के लिए भारत के प्रतिनिधियों और बेल्जियम, हगरी, सोवियत समाजवादी गणतन्त्र सघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधियों के बीच न्यूयार्क और नई दिल्ली में अनौपचारिक बातचीत हुई है। ये अनौपचारिक बैठकें लाभदायक रही हैं और अगले महीने विधि उप समिति के आगामी अधिवेशन में इस प्रश्न पर आगे विचार किया जाएगा।

अमरीका से भारत को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई पुनः आरम्भ करने के लिए अनुरोध

1546. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रूस ने हाल ही में पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये हैं, क्या सरकार ने अमरीका सरकार से कहा है कि भारत को पुनः हथियार सप्लाई किये जायें जिससे पाकिस्तान को रूस से हथियार मिलने के परिणामस्वरूप अस्त्र-शस्त्रों की स्थिति पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वह ठीक हो सके ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) स्वयं संयुक्त राज्य अमरीका ने, इस मामले में भारत के विचारों की उपेक्षा करते हुए, पाकिस्तान को भारी सैनिक सहायता दी है । पाकिस्तान के फौजी जमाव के खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है ।

भारतीय पक्षियों का निर्यात

1547. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय पक्षियों के नाम क्या हैं, जिनकी विभिन्न देशों में अधिक मांग हैं ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जो प्रत्येक किस्म के पक्षी के लिए अधिकतम मूल्य देते हैं ;

(ग) वर्ष 1968 में कौन-कौन से पक्षियों का निर्यात किया गया और इनका निर्यात किन-किन देशों को किया गया : और

(घ) इनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). परिशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में सभी प्रकार के पक्षियों को 'पक्षी' शीर्षक के अन्तर्गत एक साथ रखा गया है । वर्ष 1968 में देशवार निर्यातित पक्षियों की संख्या तथा मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1968 में पक्षियों का देशवार निर्यात

क्रमांक	देश	सं० हजार पक्षियों में 1968 संख्या	मूल्य हजार रु० में 1968 मूल्य
1.	फ्रांस	303	522
2.	जर्मन संघीय गणराज्य	112	418
3.	इटली	308	485
4.	जापान	516	742
5.	नीदरलैण्ड	97	348
6.	ब्रिटेन	106	673
7.	स० रा० अमरीका	142	358
8.	अन्य देश	163	462
	योग	1747	4008

Import of Newsprint from U. S. S. R.

*1548. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the quantity of newsprint likely to be imported from Soviet Russia in the year 1969-70 and the value thereof in rupees : and

(b) the mode of payment therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : The State Trading Corporation have entered into a contract with V/0 Exportles, Moscow for the import of 40,000 Metric tons of Newsprint valued at approximately Rs. 46 million during 1969-70.

(b) The payment will be made in Indian rupees under the Indo-USSR Trade any Payments Agreement currently in force.

कपड़ा उद्योग को राहत

*1549. **श्री किरुपतनन :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के बजट में कपड़ा उद्योग को दी गई रियायतों से केवल विभिन्न प्रकार का कपड़ा तैयार करने वाली मिलों तथा विद्युत चालित करघों को ही सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस देश में, राज्यवार, विभिन्न प्रकार का कपड़ा तैयार करने वाली मिलों तथा विद्युत चालित करघों की सख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस रियायत से तमिलनाडु में स्थित कपड़ा मिलों को लाभ नहीं पहुंचा, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि उस धागे पर से उत्पादन शुल्क हटाया गया है जो न तो बाजार में बिकता है और न ही जिसको बनाया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रियायत को उस धागे पर लागू करने का है जो बाजार में बेचा जाता है और जिसे वास्तव में बनाया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं । सूत तथा सूती कपड़े पर लगने वाले शुल्कों में किये गये परिवर्तनों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से न केवल कताई तथा बुनाई की मिली-जुली कपड़ा मिलों तथा विद्युतचालित करघों को ही सहायता मिलेगी अपितु कताई कारखानों तथा हाथकरघों को भी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । सूत तथा सूती कपड़े के उत्पादन शुल्क में दी गई रियायत से तमिलनाडु में भी कपड़ा मिलों को उसी प्रकार से लाभ होगा जैसाकि अन्य राज्यों में कपड़ा मिलों को होगा किन्तु निश्चित रूप में मिलने वाला लाभ भिन्न-भिन्न मिलों के मामलों में भिन्न-भिन्न होगा जो वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करेगा ।

(घ) 1 मार्च, 1968 से 34 एन० एफ० तथा उससे अधिक परन्तु 40 एन० एफ० से कम

की सादा अटेरी हुई गुंडियों के सूत पर से शुल्क हटा लिया गया है। यह सही नहीं हैं कि इस काउंट ग्रुप के अन्तर्गत आने वाला धागा न तो बाजार में बेचा जाता है और न बनाया ही जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका में अवरुद्ध भारतीय पूंजी को भारत लाना

1550. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण भारत वाणिज्य मंडल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें श्रीलंका में अवरुद्ध भारतीय पूंजी को स्वदेश लाने के लिये सरकार से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) श्रीलंका स्थित भारत का हाई कमीशन इस ओर से अवगत है। लेकिन, श्रीलंका के सामने इस समय विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां हैं, उन्हें देखते हुए अवरुद्ध पूंजी के स्थानांतरण के लिए पर्याप्त रियायतें तत्काल पाना कठिन है। सरकार स्थिति पर बराबर निगाह रख रही है।

पश्चिम बंगाल में नारियल जटा उद्योग

*1551. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन करने का है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के लिये कोई विशेष योजना बनाई गई है ; और

(ग) क्या नारियल के नर्म रेशे का सदुपयोग करने के लिये कोई तरीका निकाला गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) नारियल जटा उद्योग के पुनर्गठन की योजनाएं सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा तैयार तथा क्रियान्वित की जाती हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये एक योजना बनाई है।

(ग) जी अभी तक नहीं।

Appointment of Chairman of Cantonment Boards

*1552. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of Cantonment Boards are appointed from amongst the Army Officers and not from amongst the elected members ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Governmet propose to change this undemocratic system ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Yes, Sir, in accordance with the provisions of the Cantonments Act.

(c) and (d). Except for civil areas where already the administration is largely left in the hands of the elected members, Cantonments are basically military stations and as such the President of the Cantonment Board has to be a military officer.

अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारत द्वारा भाग लिया जाना

*1553. **सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विश्व के दो मेलों में भारत ने पूरी तैयारी के साथ भाग नहीं लिया था क्योंकि उनमें निर्मित भारतीय मंडप का डिजाइन ठीक नहीं था तथा उससे विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी थी ;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि वर्ष 1964 में न्यूयार्क विश्व मेले में भारतीय मंडप के लिये वस्तुशिल्पियों की नियुक्ति अवांछित विवाद के बाद की गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार शीघ्रता से बनाये गये डिजाइन तथा उसके आधार पर खड़े किये गये मंडप के दुःखद अनुभव के बावजूद भी वर्ष 1967 में मौंट्रियल में 'ऐक्सपो' मेले में उसी बात की पुनरावृत्ति की गई थी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ओसाका मे होने वाले मेले में भाग लेने का निर्णय केवल तीन महीने पहले किया है जबकि जापान ने उन्हें वर्ष 1967 में निमंत्रण भेजा था ;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) विदेशों में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। न्यूयार्क मेले तथा एक्सपो '67' मांट्रियल में भारतीय स्वरूप के चित्रण तथा प्रस्तुतिकरण की काफी प्रशंसा की गई।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) तथा (ङ). एक्सपो '70' में भाग लेने के लिये जापान सरकार के निमंत्रण पर व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों के विस्तार की सम्भाव्यता तथा जापानी जनता में भारतीय स्वरूप के प्रस्तुत करने के संदर्भ में विचार करना पड़ा जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर परामर्श तथा बातचीत करना आवश्यक था जिनमें नवम्बर, 1968 में नई दिल्ली में हुई भारत-जापान गोलमेज सम्मेलन तथा भारत-जापान व्यवसाय सहयोग समिति भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, एक्सपो' 70 में शामिल होने के लिये नवम्बर, 1968 में कोई अन्तिम वचनबद्धता करने से पूर्व विदेशी मुद्रा के अपेक्षित व्यय पर विचार करना पड़ा।

(च) पहिले प्राप्त किये गये अनुभव के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है कि एक्सपो'70 में देश का शामिल होना सफल हो और भारतीय स्वरूप को विदेशों में प्रदर्शित करना उच्चस्तर का हो।

प्रशिक्षण के लिये विद्रोही नागाओं का पूर्वी पाकिस्तान में अवैध प्रवेश

*1554. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शस्त्र तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले 250 विद्रोही नागाओं के गिरोह को रोकने के लिए 4 अप्रैल, 1969 को मणिपुर, मिजो पहाड़ियों तथा आसाम के कचार जिले की सीमाओं पर सुरक्षा सेनाओं को सावधान कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा सेनायें उन्हें रोकने में कहां तक सफल रहीं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). अपुष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति पर कि नागा विद्रोहियों ने मणिपुर के तमेंगलांग सब-डिवीजन तथा उत्तरी कच्छार पहाड़ियों और असम की मिजो पहाड़ियों के रास्ते 25 मार्च से 10 अप्रैल 1969 के बीच 200 से 250 की जनशक्ति के एक दल को पूर्वी पाकिस्तान भेजने की योजना बनाई थी, दल को रास्ते में रोकने के लिए सुरक्षा सेनाएं तैनात की गई थीं। तदापि विद्रोहियों से कोई सम्पर्क नहीं हो पाया था।

सूती कपड़ा मिलों में तकुए लगाना

*1555. **श्री रा० को० अमीन** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्तार प्रयोजनार्थ नये तकुए लगाने पर या नई सूती कपड़ा मिल स्थापित करने के लिये पूर्ण प्रतिबन्ध की नीति में संशोधन करने के लिये सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ताकि संकटग्रस्त मिलों के बन्द हो जाने के कारण तकुओं की अप्रयुक्त क्षमता को सुचारू रूप से चल रही मिलों को विस्तार कर के पूरा किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Restrictions in Indians to Bring Property From Kenya and Burma

1556. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Indians and persons of Indian origin living in Kenya and Burma have the facility to take their property along with them while leaving the country ; and

(b) if not, the action being taken by Goverament to get the restrictions removed in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) So far as Kenya is concerned the aliens including Indians and persons of Indian origin other than Kenya citizens leaving that country permanently are allowed to repatriate assets upto a total of £7,500. Of this, a maximum £2,500 may be taken out at the time of departure from Kenya and a maximum of £1.000 per year for five years thereafter. As regards Burma, no facility exists to take their assets with them from Burma to India while leaving the country.

(b) The recent regulations has come into practise in Kenya since January 1969. Governmeut is considering what steps are necessary in this regard.

As regards Burma, efforts are being made since 1964 to settle the question of compensation for assets. Several discussions on the subject have been held with the Burmese authorities from time to time. The last occasion was during the Prime Minister's recent visit to Burma. The Government of Burma have promised to expedite their examination of the matter.

काशीपुर गोली काण्ड की जांच

*1557. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री शशि भूषण : **श्री ना० रा० देवधरे :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अप्रैल, 1969 को काशीपुर में गोली चलाये जाने के मामले की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश श्री एस० के० दास की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये एक सदस्यीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी आपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं । आयोग ने अभी काम करना शुरु नहीं किया है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

निर्यातकों को नकद सहायता

*1558. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अप्रैल, 1969 में अखिल भारतीय निर्माता संगठन के दिल्ली राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित एक निर्यात संवर्द्धन संगोष्ठी का उद्घाटन करते समय यह कहा था कि निर्माताओं को दी जाने वाली नकद सहायता प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्यौरा क्या है ; और

(ग) कब तक इस प्रक्रिया को सरल कर दिये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (घ). निर्यातकों की कठिनाइयों को हल करने की तथा नकद सहायता देने के मामले में प्राधिकार को समन्वित करने की सतत प्रक्रिया के अंग के रूप में, अपेक्षित प्रमाणों के दस्तावेजों, संवितरण के प्रभारी प्राधिकारियों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में क्रिया-विधि को सरल बना दिया गया है ।

वमरौली में सरकारी सामान का दुर्विनियोग

*1559. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक इंजीनियरी सेवा कर्मचारी संघ वमरौली के शाखा सचिव की शिकायत पर सरकारी सामान के दुर्विनियोग की जांच करने के लिए सैनिक इंजीनीयरी सेवा, वारौली में अदालती जाँच का आदेश दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). कोर्ट आफ इंक्वायरी का निष्कर्ष था कि दुर्विनियोग के सभी आरोप मिथ्या थे । इसलिए अनुशासनिक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

छिपे नागाओं के साथ वार्ता

1560. **श्री बलराज मधोक** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड में दृढ़ता की नीति अपनाने से लाभ हुआ है और लोगों के मन में विधि और व्यवस्था के लिए सम्मान उत्पन्न हो रहा है ;

(ख) क्या यह सच है ऐसा करने से तथा कथित छिपे हुए नागा नेता परेशान हो गये हैं और वे केन्द्रीय सरकार के साथ बातचीत करके अपनी स्थिति का पुनः अनुमान लगाना चाहते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नागालैंड के राज्यपाल छिपे नागाओं के साथ बातचीत करने के विरुद्ध हैं, क्योंकि वे लोग नागाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी घोषणा करेगी कि नागालैंड से सम्बन्धित सभी मामलों में वह भविष्य में तथा कथित छिपे नागाओं के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी और विधिवत् रूप से गठित नागालैंड सरकार के साथ ही बातचीत करेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) नागालैंड के पथभ्रष्ट लोगों के प्रति सरकार की नीति सर्व विदित है और कई मौकों पर सदन में विचार-विमर्श

भी हो चुका है। राज्यपाल को और नागालैंड की सरकार को इस बारे में पूरी तरह अवगत करा दिया गया है।

नागा लोगों के साथ 1960 में एक समझौता हो गया था और भारत के सभी नागरिक, जिनमें नागा भी शामिल हैं, नागालैंड के समाधान के बारे में नागालैंड के राज्यपाल या वहाँ की सरकार को सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन भारत सरकार किसी दल से बातचीत करने का विचार नहीं कर रही।

मक्का में इस्लाम सम्मेलन

8685. **श्री बाबू राव पटेल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि मंत्रालय में वर्तमान उपमन्त्री श्री मुहम्मद यूनस सलीम ने अप्रैल, 1965 में मक्का में हुए महा इस्लाम सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था;

(ख) क्या शेख अब्दुल्ला उनके साथ एक सह-प्रतिनिधि के रूप में गये थे; और

(ग) क्या काश्मीर के बारे में इस सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किये गये एक भारत विरोधी संकल्प का श्री मोहम्मद सलीम और शेख अब्दुल्ला दोनों, ने समर्थन किया था ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) अप्रैल 1965 में मक्का में आयोजित आम इस्लामी सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के लिए रबीता अल आलम अल-इस्लामी के महा सचिव से प्राप्त निमंत्रण के उत्तर में भारत ने तीन व्यक्तियों का जो प्रतिनिधि मण्डल भेजा था उसमें श्री मोहम्मद यूनस सलीम एक सदस्य थे। इस प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री नूरउद्दीन अहमद ने किया था।

उस समय श्री सलीम भारत सरकार के मंत्री नहीं थे। वह इस प्रतिनिधिमण्डल के साथ निजी और गैर-सरकारी हैसियत से संबद्ध थे।

(ख) शेख अब्दुल्ला न तो भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य थे और न ही वह प्रतिनिधि-मण्डल के साथ मक्का गए थे। वह अपने यूरोप के दौरे से वापिस आते हुए उस समय मक्का में ही मौजूद थे और खबर है कि उन्होंने रबीता अधिकारियों के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लिया था।

(ग) "इस्लामी समस्याएं और आत्म-निर्णय" के विषय पर इस्लामी सम्मेलन की उप-समिति के सदस्यों में श्री नूर-उद्दीन अहमद और शेख अब्दुल्ला भी थे; इस समिति ने और बातों के साथ-साथ काश्मीर पर एक प्रस्ताव पास किया जिसमें वहां जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता, श्री नूर-उद्दीन अहमद, ने इसके प्रति अपनी असहमति और अस्वीकृति अंकित करा दी थी। यह प्रस्ताव बहस किये और वोट लिये बगैर पास कर दिया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य रबीता अल-आलम-इस्लामी के महा-सचिव और प्रधान निदेशक से मिले थे और उन्होंने इस मामले में अपना रोष प्रकट किया था।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम

8686. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की स्थापना किस तारीख को दी गई थी;

(ख) इस निगम के माध्यम से अब तक कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया है तथा वर्षवार और देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ;

(ग) अमरीका को निर्यात किये गये चलचित्रों के नाम क्या हैं, प्रत्येक के निर्यात से कितना मूल्य प्राप्त हुआ और क्या उन्हें अमरीका में वाणिज्यिक आधार पर दिखाया गया था और यदि हां, तो प्रत्येक चित्र किस-किस तारीख को तथा किस-किस नगर में पहले-पहल दिखाया गया; और

(घ) क्या यह सच है कि बहुत अधिक लोकप्रिय चलचित्रों के निर्माता, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के माध्यम से अपने चलचित्रों का निर्यात नहीं करते और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 19 सितम्बर, 1963 ।

(ख) अनुबन्ध-1 (अंग्रेजी में) पर एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1024/69]

(ग) दो चलचित्र अर्थात 'मैं चुप रहूँगी' तथा 'दूज का चाँद' संयुक्त राज्य अमरीका को क्रमश: 3891 रु० तथा 6576 रु० के जहाज पर निशुल्क मूल्य पर निर्यात किये गये थे । ये चलचित्र केवल अव्यवसायिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त हैं अर्थात भारतीय समुदाय, फिल्म क्लब तथा फिल्म सोसायटियों को प्रतिबंधित रूप से दिखाया जाना ।

(ख) जी नहीं ।

कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) में पदोन्नत्ति के अवसर

8687. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) में खुदरा बिक्री संस्थानों के बन्द होने तथा ग्रेड 2 के प्रबन्धकों के पदों की समाप्ति के कारण इसके तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के सभी अवसर अवरुद्ध हो गये हैं;

(ख) क्या इस स्थिति के कारण कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) के कर्मचारियों का भविष्य इस संगठन में अन्धकारमय है; और

(ग) यदि नहीं, तो अब उन्हें पदोन्नति के अन्य क्या अवसर प्राप्त हैं और उनसे कितने व्यक्तियों के तुरन्त लाभान्वित होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । सी० एस० डी० (आई०) के कुछ

परचूनी संस्थान, उन द्वारा अपने संबंध में चलाये जाने के लिए विरचना एच० क्यू०-यूनिटों को सौंप दिये गये हैं। द्वितीय वर्ग के मैनेजर का स्थान समाप्त नहीं किया गया है, और न ही तृतीय श्रेणी के कर्मचारीगण के लिए पदोन्नति के अवसर ही रोके गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) में विभागीय पदोन्नतियां

8688. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) की विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम और पद नाम क्या हैं;

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का चुनाव करते समय क्या कसौटी अपनाई जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि समिति गत दो वर्षों से लगभग निष्क्रिय रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों में इसकी बैठक कितनी बार हुई और उक्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्रेणीवार और वर्षवार कितने व्यक्ति पदोन्नत किये ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) विभागीय पदोन्नति का संविधान निम्नलिखित है और इस समय पदों पर नियुक्त व्यक्ति समिति के सदस्य हैं।

1. जनरल मैनेजर कैंटीन स्टोर विभाग (1) बम्बई	अध्यक्ष
2. मुख्य कैंटीन अधिकारी, जनरल ब्रांच के क्वार्टर मास्टर, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
3. मुख्य लेखाकार कैंटीन स्टोर विभाग (1) बम्बई	सदस्य
4. वरिष्ठतम अनुभाग अधिकारी कैंटीन स्टोर विभाग (1) बम्बई	सदस्य
5. वरिष्ठतम डिपो मैनेजर	सदस्य
6. प्रशासन बोर्ड के सचिव	सदस्य

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निष्पक्ष चयन के उद्देश्य से किया गया है और विभिन्न शाखाओं, यूनिटों को प्रतिनिधित्व दिया गया ताकि वही आधार माना जाये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) समिति के वर्ष 1968 में दो बैठकें हुई और एक बैठक वर्ष 1969 में हुई। समिति द्वारा श्रेणीवार और वर्षवार पदोन्नत की सिफारिशों का ब्यौरा, जिसे प्रशासन बोर्ड ने स्वीकृति दी है, निम्नलिखित है ;

श्रेणी	वर्ष 1968	वर्ष 1969
(क) सहायक मैनेजर	2	शून्य
(ख) सहायक लेखाकार सलेक्शन रोड क्लर्क	23	12
(ग) स्टोरकीपर		
(1) प्रथम श्रेणी	2	शून्य
(2) द्वितीय श्रेणी	2	शून्य
(3) तृतीय श्रेणी	5	शून्य

कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) में संयुक्त सलाहकार समिति

8689. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) में कर्मचारियों की कठिनाइयों को सुनने और उसके कर्मचारियों के अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के लिए संयुक्त सलाहकार समिति है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उक्त संस्था में ऐसी समिति स्थापित की जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बड़ी संस्था में कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और क्या व्यवस्था है या व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कैण्टीन स्टोर्ज विभाग (भारत) में एक त्रिस्तरीय मंत्रणातन्त्र विद्यमान है ।

(ख) से (घ). उपरोक्त (क) के मामने रखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इण्डिया) के कार्य संचालन सम्बन्धी अध्ययन दलों की शिफारिशें

8690. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासन को सुधारने तथा सुदृढ़ बनाने और कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट इंडिया) के संचालन में कार्यकुशलता लाने के लिए सेना मुख्यालय के नियंत्रण मंडल द्वारा नियुक्त विभिन्न अध्ययन दलों ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन अध्ययन दलों के निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है; और

(ग) इन अध्ययन दलों की सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने कैंटीन स्टोर विभाग (भारत) की मुख्य समस्याओं की जांच के लिए, जिनमें निम्नलिखित समस्याएं भी शामिल हैं, एक समिति

की नियुक्ति की है :—

(एक) कैंटीन स्टोर समिति (एक) का गठन प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष के स्तर का और इससे ऊपर होगा ।

(दो) अधिप्राप्ती, स्टोर करना, वितरण, स्टोर का निबटारा थोक और परचून के मूल्यों को निर्धारित करना ।

(तीन) कर्मचारियों की समस्याएं जिसमें कैंटीन स्टोर विभाग (एक) में सलेक्टिव कम्बेटाइजेशन शामिल है ।

(चार) निवास की व्यवस्था

(पांच) कैंटीन स्टोर विभाग (एक) के सिनेमाओं का प्रबन्ध और कार्य ।

(छः) खातों का सरल किया जाना और उनको पूरा किया जाना और वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा करना ।

उपर्युक्त प्रत्येक समस्याओं की जांच के लिये छः अध्ययन दलों का गठन किया गया था । अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशें समिति को दी है जिसने उनकी जांच की है और अपनी रिपोर्ट नियंत्रण बोर्ड को दी है । अध्ययन दल 1 की रिपोर्ट पर अब तक विचार किया गया है और सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी है । इसको क्रियान्वित करने के आदेश 17 अप्रैल, 1969 को जारी कर दिये थे और उसकी एक प्रति सभापटल पर रखी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी० 1025/69]

अन्य अध्ययन दलों द्वारा दी गई सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

सेवा मुक्त सैनिक अधिकारियों के लिए रोजगार की व्यवस्था

8691. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा के उन सेवा मुक्त अधिकारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय ने गत चार वर्षों में वर्षवार, सरकार क्षेत्र तथा गैर सरकार क्षेत्र के उपक्रमों में, अलग-प्रबन्धकों के पदों पर नियुक्त करवाया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सभा पटल पर एक ऐसी सूची रखने का है जिसमें उनके नाम और निदेशालय द्वारा उनको दिलाये गये रोजगार का उल्लेख हो;

(ग) क्या उनमें से किसी को किसी संगठन द्वारा प्रबन्ध सम्बन्धी तरीकों का पुनश्चयी प्रशिक्षण दिलाया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त उपक्रमों में उनके द्वारा किये गये मूल्यांकन का हाल ही में उल्लेख किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्णा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम

8692. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को अपने आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों को बनाने की अनुमति दी जाएगी तथा योजना आयोग राज्यों की योजनाओं को बनाने से संबंधित अपने कार्यों का परित्याग कर देगा;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब कार्यान्वित होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग). राज्यों को अभी भी राष्ट्रीय योजना के ढ़ाँचे तथा उनके पास उपलब्ध संशोधनों के अन्तर्गत अपने सामाजिक तथा आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है। योजना आयोग तथा राज्यों के मध्य विचार-विमर्श करने के बाद राज्य योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाता है। अतः योजना आयोग द्वारा अपने कार्यों का परित्याग करने का प्रश्न नहीं उठता।

नाइलोन के आयातित धागे का मूल्य

8693. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969-70 के आयव्ययक में उत्पादन शुल्क में रियायतें दिये जाने के बावजूद राज्य व्यापार निगम को नाइलोन के आयातित धागे का मूल्य कम करने का विचार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे आयव्ययक की रियायतों का उद्देश्य ही असफल नहीं हो जायेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं, वर्ष 1969-70 के बजट में घोषित की गई उत्पादन शुल्क में रियायतों के फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम ने आयातित नायलन धागे के विक्रय मूल्यों में संशोधन किया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आयुद्ध कारखानों में सुपरवाइजरों-चार्चमैनों का स्थायीकरण

8694. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुद्ध कारखानों में काम करने वाले सुपरवाइजरों-चार्जमैनों को स्थायी बनाने के क्या नियम हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 5 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूरी कर चुके अनेक सुपरवाइजरों-चार्जमैनों को अभी तक स्थायी अथवा अर्धस्थायी घोषित नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी सुपरवाइजरों-चार्जमैनों को स्थायी बना देने का है ताकि वे सब लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में बैठ सकें, जिनमें केवल स्थायी कर्मचारी ही बैठ सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

बमों को इकट्ठा करने का स्थान बनाने के लिए भूमि का अर्जन

8695. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम जमा करने का स्थान बनाने के लिए सितम्बर, 1964 में 72 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी जबकि वास्तव में केवल 18 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी और इस प्रकार क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति वर्ष दिये जाने वाले कई लाख रुपयों की लगातार हानि हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि बम जमा करने के स्थान बनाने की परियोजना का कार्य जनवरी, 1969 तक आरम्भ नहीं हुआ था और उस स्थान पर लाये गये कई लाख रुपये के सामान की क्षति हुई थी ;

(ग) विलम्ब, क्षति और भूमि के लिये क्षतिपूर्ति के भुगतान के रूप में इस परियोजना में अब तक कुल कितनी हानि हुई है;

(घ) इसलिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और कब तक पूरा किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ). जाँच की जा रही है और सूचना यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के होस्टिल में सेवा शुल्क

8696. **श्री जमना लाल** :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के होस्टिल में रहने वाले लोगों से, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर, सेवा शुल्क वसूल किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि दरें, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों से कम हैं ; तो कम दरों पर वसूली करने के कारण सरकार को अब तक कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों में, होस्टिल में रहने वाले लोगों को दी गई सभी प्रकार की सेवाएं विशेष रूप से होस्टिल के संचालन विभाग के सभी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी, टेलीफोन, लिफ्टों, बिजली और पानी पर किया गया व्यय शामिल किया जाता है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). अनन्तिम दरों के रूप में, सरकार द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार अब किराए की वसूली की जाती है जिसमें सेवा खर्च भी शामिल हैं। इसके बाद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने हिसाब लगाकर जो दरें निकाली हैं वे अनन्तिम दरों से अधिक बैठती हैं। लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श को ध्यान में रखकर इन दरों की परीक्षा की जा रही है। जब कभी भी ये दरें अंतिम रूप से निर्धारित हो जाएंगी तब उनके अनुसार वसूल की जाएगी, अतः तब तक सरकार को किसी प्रकार के मुनाफे या घाटे का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने हिसाब लगाकर जो दरें निकाली हैं, उनमें सभी प्रकार की दी जाने वाली सेवा का ध्यान रखा गया है जिनमें होस्टल के परिचालन अंग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, लिफ्ट, बिजली और पावर तथा पानी के प्रभार भी शामिल है लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी और टेलीफोन का खर्च शामिल नहीं है। अंतिम दरें निर्धारित करते समय वर्दियों की लागत का भी ध्यान रखा जाएगा। जहाँ तक टेलीफोन का प्रश्न है ये सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को दिए जाते हैं जो इनके अधिकारी होते हैं।

पुनर्नियुक्ति पर पेंशन निर्धारित करना

8697. **श्री जमना लाल** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिकों की पेंशन में तदर्थ वृद्धि को पुनः नियुक्ति के समय काट दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे सैनिक कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति पर महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए पेंशन को मूल वेतन में जोड़ा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां, कारण यह है कि पुनःनियुक्त सैनिक से विवर्ग महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं।

(ख) जी हां, सिवाय पेंशन के उस अंश के कि जिस वेतन निर्धारित करने के उद्देश्य से पुनःनियुक्ति पर नजरअन्दाज कर दिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म कम्पनियों को आयात लाइसेंस जारी करना

8698. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की उन फिल्म कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको अप्रैल, 1969 तक गत तीन वर्षों में आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) उनको किस प्रयोजन के लिये आयात लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) क्या इन लाइसेंसों का पूरा उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो उन में से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). आयात लाइसेंसों के ब्योरे "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज. इम्पोर्ट लाइसेंसिज तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़" में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) आयात लाइसेंसों के उपयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। आयात लाइसेंसों का उपयोग न करना कोई अपराध नहीं है।

मध्य प्रदेश के लिये बरमों का आयात

8699. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार के 7000 कम गहरे नलकूप लगाने के कार्यक्रम के लिए, बरमों का जिस को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है, आयात किया गया है अथवा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने और सप्लाई के स्रोत क्या हैं और उन पर कितनी लागत आने की सम्भावना है ; और

(ग) राज्य सरकार को कब तक बरमे मिल जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). रूमानिया से 2 कम्बीनेशन जल-कूप खोदने की रिग्स और संयुक्त राज्य अमरीका से 5 मीडियम ड्यूटी रोटरी कम डाउन दी होल रिग्स के आयात के लिये मध्य प्रदेश सरकार को क्रमशः 13 लाख रु० और 20.12 लाख रु० की विदेशी मुद्रा दे दी गई है। इन रिग्स की सुपुर्दगी 31 दिसम्बर, 1969 तक पूरी हो जाने की आशा है।

आयातित माल की ऊंचे मूल्य पर बिक्री

8700. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइसेंस धारियों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में आयतित माल बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेचा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के लाभ को कम करने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). अधिकतर लाइसेंस कच्चे मालों, उपकरणों तथा फाल्तू पुर्जों के लिये होते हैं और वे वास्तविक उपयोक्ताओं को दिये जाते हैं जहाँ उनकी पुनः बिक्री का प्रश्न ही नहीं उठता। फाल्तू

पुर्जों आदि के अत्यल्प प्रतिशत आयात की अनुमति सुस्थापित आयातकों के मार्फत दी जाती है जिससे बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी की गुंजाइश सीमित ही होती है। फिर भी इन मदों के मूल्यों के सम्बन्ध में कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्ध

8701. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्ध सुधारने में कोई पहल की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). सितम्बर, 1965 से भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार रुका पड़ा है। मई, 1966 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया परन्तु पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर अभी भी रोक लगा रखी है। भारत सरकार ने अनेक अवसरों पर राजनयिक माध्यमों से दोनों देशों के बीच व्यापार प्रारंभ करने की वांछनीयता का प्रश्न उठाया है परन्तु पाकिस्तान सरकार ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

सूती कपड़े का निर्यात

*8702. **श्री श्रीचन्द गोयल** : **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री सीता राम केसरी : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) सरकार ने निर्यात को और बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) 1968-69 के वित्तीय वर्ष में सूती वस्त्रों का कुल निर्यात, हथकरघा माल को छोड़कर, लगभग 94.86 करोड़ रु० का हुआ, जबकि इससे पूर्व के वर्ष में 82.16 करोड़ रु० का हुआ था।

(ग) वर्तमान संवर्धन उपायों को जारी रखा जायेगा तथा यथावश्यक तथा यथाशक्य रूप से गहन किया किया जायेगा। निरन्तर सावधानी रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार नये उपाय किये जायेंगे।

हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रानिकस का कारखाना

8703. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हैदराबाद में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये इलैक्ट्रानिक्स कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कारखाने मे अब बनाये गये उपकरणों का मूल्य कितना है ,

(ग) कारखाने की अब तक की कुल आमदनी कितनी है ; और

(घ) कारखाना पूरी क्षमता से उत्पादन कब आरम्भ करेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 तीन वर्षों के दौरान उत्पादित साजसामान की लाभ समेत कुल मूल्य है लगभग 662 लाख रुपये ।

(ग) इन वर्षों के दौरान लाभ का अनुमान है 9.85 लाख रुपये ।

(घ) अधिकाधिक प्रायोजित उत्पादन 1969-70 में पहुंच पाएगा ।

लोहे गांव सैनिक हवाई अड्डे (पूना) से चुराया गया पैट्रोल

8704. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 23 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना के निकट लोहे गांव हवाई अड्डे से चोरी से पैट्रोल बेचने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये वायु सेना के कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं ;

(ख) उन्होंने कुल कितना पैट्रोल चुराया ; और

(ग) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) (1) 220365 कापेरिल अकोलेकर मेकनिकल ट्रांस्पोर्ट ड्राईवर ।

(2) 264400 एयर क्राफ्ट्समैन जो० एम० खान, फ्लाईट मैकैनिक "इंजन" ।

(3) 271414 एयर क्राफ्ट्समैन के बरुआ, फ्लाईट मैकैनिक "इंजन" ।

(ख) 5500 लीटर वैमानिक इंजन की चोरी की गई थी, जिस में से बाद में 1669 लीटर बरामद कर लिए गए थे ।

(ग) उनके विरुद्ध एक इन्क्वायरी आदिष्ट की गई थी, और रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षणाधीन है ।

Plying of Army Trucks and Tanks on the Road between Ladakh and Himachal Pradesh

8705. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Defence to be pleased to state :

(a) whether army trucks and tanks can ply on the road between Ladakh and Himachal Pradesh ; and

(b) if not, the further time likely to be taken in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) 3-ton vehicles can ply from Leh to Manali in fair-weather. It is not fit for use by bigger vehicles which can transport tanks.

(b) The formation cutting to final specification is expected to be completed by 31-12-1969.

I. F. S. Officers' Relationship with Foreigners

8706. **Shri Ranjit Singh :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the persons, who are related to the foreigners, are allowed to serve in the Indian Foreign Service or the Ministry of External Affairs ; and

(b) if so, the number of such persons and the designations of posts held by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Some Indians having Foreign wives have been allowed to serve in the Indian Foreign service or in the Ministry of External Affairs subject to Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) Rules, 1961.

(b) There are at present 15 officers in the Ministry of External Affairs or in the Indian Foreign Service whose wives are foreign nationals. The names and designations of these officers are given in the list attached. [*Placed in Library. See* No. LT-1026/69].

Use of Indian Goods by Indian Embassies

8707. **Shri Ranjit Singh :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have instructed the Indian Embassies abroad to use Indian goods ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Indian Missions have enjoined to use, as far as possible, Indian goods, such as, liveries, stationery, typewriters, furniture, refrigerators and motor cars (for neighbouring countries only) etc. Standing instructions are also there requiring Missions to purchase from India such articles as curtains, carpets, woollen durries, bed and table linen, objects d'art, crockery and cutlary for daily use and respresentational use also wherever possible. This is to reduce foreign exchange expenditure as well as to give impetus to India's national industries. Exceptions are made only when local purchase becomes inescapable due to valid reasons, such as, non-availability of the article, lack of local servicing facilities for Indian supplies, disproportionately high freight costs for despatch from India etc.

(c) Does not arise.

Publications Giving an Account of Bravery of Indian Soldiers

8708. **Shri Ranjit Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Ministes of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Indian Jawans and Officers exhibited conspicuous bravery and performed heroic deeds in both the last World Wars as also in several conflicts on India's borders in the past ; and

(b) if so. the names of the publications giving such information to the general public and the future scheme in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) Some of the official publications which contain details of persons who displayed gallantry are :—

(i) India's contribution in the Great War (World War I)—(Published by authority of the Government of India).

(ii) 24 volumes of the History of Indian Armed Forces in World War II (Published by the Historical Section, Ministry of Defence).

(iii) A pamphlet called "The Victoria Cross"—(Published by Public Relations Dte., GHQ, India).

(iv) Heroes and Heroic deeds—1960 (Published by Publications Division, Government of India).

(v) A pamphlet called "Honours and Awards for Armed Forces"—1963 (Published by publications Divn., Government of India).

(vi) A pamphlet called "Harvest of Glory"—1965 (Published by Publications Division, Government of India).

The "Sainik Samachar", a pictorial weekly of the Armed Forces, also from time to time carries accounts of acts of conspicuous bravery of our Armed Forces personnel.

According to existing procedure gallantry awards given to our Armed Forces personnel are published in the Gazette of India. which also contains brief accounts of their acts of bravery. This procedure is proposed to be continued.

No comprehensive official publication has, however, been brought out giving brief accounts of the acts of bravery displayed by our Armed Forces personnel in World War I, World War II and in the conflicts on our borders in the post-Independence period and their is no scheme at present to do so.

अनुसचिवीय कर्मचारियों का सर्वेक्षण

8709. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में उनके मन्त्रालय में नियुक्त कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार कितने कर्मचारी फालतू पाये गये और क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों की छटनी करने का है अथवा उन्हें अन्य नौकरी देने का है ;

(ग) अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 तक उनके मंत्रालय में श्रेणीवार कितने अति-

रिक्त कर्मचारी रखे गए और इस अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने नये पद बनाये गये ; और

(घ) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों आदि के साथ काम करने वाले उन फालतू कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विधिवत मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) वित्त मंत्रालय के अमला निरीक्षण एकक ने 1965 में इस मंत्रालय के अमले का सर्वेक्षण किया था और उनकी अंतिम रिपोर्ट मई, 1967 में आ गई थी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के कार्य-अध्ययन एकक ने भी वर्ष 1967-68 में इस मंत्रालय के कुछ प्रभागों/अनुभागों का सर्वेक्षण किया था।

(ख) जो पद फालतू पाए गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है :—

शाखा अधिकारियों के पद.....	4
(अवर सचिव/सहचारी).....	
अनुभाग अधिकारियों के पद.....	9
सहायकों के पद.....	42
लोअर डिवीज़न क्लर्कों के पद...	47
जमादारों के पद.....	2
दफ्तरियों के पद.....	14
चपरासियों के पद.....	21

कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में तदनुसार कमी कर दी गई थी लेकिन अनुभाग अधिकारी वर्ग को छोड़कर बाकी सभी वर्गों में जितने अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृति मिली हुई है, वस्तुतः काम करने वालों की संख्या उनसे कम ही थी। अनुभाग अधिकारियों के वर्ग में स्वीकृत पदों से दो व्यक्ति अधिक वस्तुतः काम कर रहे थे और इसलिए उन्हें इस मंत्रालय से हटाकर गृह मंत्रालय के सेन्ट्रल सरपलस सैल में भेज दिया गया था।

(ग) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 के बीच की अवधि में भारतीय विदेश सेवा के पांच परिवीक्षाधीन अधिकारी मन्त्रालय में आए और इस अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के पांच ही नए पद भी बनाए गए।

(घ) उपमन्त्री के लिए जितना अमला रखने का अधिकार है, उसके अतिरिक्त उनके कार्यालय के बढ़ते हुए काम को देखते हुए, एक लोअर डिवीजन क्लर्क और दो चपरासी आन्तरिक समंजन कर उन्हें मंत्रालय की कुल स्वीकृत कर्मचारी संख्या में से और भी दिए गए हैं।

मद्रास के लड़कों को वायु सेना अधिकारियों के प्रशिक्षण से वंचित रखा जाना

8710. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का ध्यान "इंडियन एक्सप्रैस" के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मद्रास के आठ लड़कों को, जो अन्यथा अर्हता

प्राप्त थे, केवल इस कारण वायु सेना अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने दिया क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय सैन्य छात्र दल का "सी" प्रमाणपत्र नहीं था और वे कमान के आवश्यक शब्द हिन्दी में नहीं जानते थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हजारों लड़कों को, जो अन्यथा पूर्ण अर्हता प्राप्त होते हैं इस कारण दाखिला नहीं दिया जाता है अथवा उनका चयन नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें अंग्रेजी, का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय वायु सेना, स्थल सेना तथा नौसेना के कैडटों-प्रशिक्षार्थियों के दाखिले या चयन के लिए अंग्रेजी अथवा हिन्दी के ज्ञान की आवश्यक शर्त को हटा देगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हाँ, सरकार ने समाचार पत्रों में वह रिपोर्ट देखी है । सम्बन्धित 8 मद्रासी लड़कों के विस्तरों की अनुपस्थित में कोई पक्का उत्तर दे पाना सम्भव नहीं है । तदपि, ऐसा बताया जा सकता है कि जी० डी० (पाईलट्स) ब्रांच के लिए प्रवेश के तीन ढंग हैं :—

(1) एन० डी० ए० प्रवेशक

(2) एन० सी० सी० प्रवेशक

(3) सेवा कर रहे वैमानिक

एन० सी० सी० प्रवेशकों के लिए केवल, मेंनरल ड्यूटी (पाईलाट्स) ब्रांच में कमीशन देने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से क है एन० सी० सी० का वायुसेना कक्ष 'सी' प्रमाण पत्र एन० सी० सी० का 'सी' प्रमाणपत्र धारण न करने वाले छात्र जी० डी० (पी) ब्रांच में चुनाव के लि नहीं विचारे जाते, चाहे वह किसी भी राज्य के हों । कमान के हिन्दी शब्दों का ज्ञान अधिकारी होने की शर्त नहीं है ।

(ख) तथा (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उत्तर सभा के पटल पर रख दिया जाएगे ।

श्री आर० के० नेहरू को गोपनीय पत्रों को देखने की अनुमति

श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री 2 अप्रैल 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय भेद अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत गोपनीय पत्रों को देखने के संबंध में बनाये गये नियमों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : यह मामला विचाराधीन है और इसकी जांच इस मंत्रालय द्वारा गृह, विधि, रक्षा और शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से की जा रही है । वर्तमान नियम पुनरीक्षणाधीन हैं और इस बारे में अभी तक कोई नये नियम नहीं बनाए गए हैं ।

Grants Given by Air Force Relief Organisation

8712. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the amount given as grants by the Air Force Relief Organisation to next of kin of the Air Force Officers and airmen who were killed in action since 1965 to date ;

(b) whether the question of increasing the said assistance during the next one year is under consideration ; and

(c) if so, the amount by which the assistance would be increased and from what date it would be increased ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) (i) From IAF Benevolent Association Fund :—

Paid to the next of kin of such officers ;	Rs.	95,400.00
Paid to the next of kin of such airmen :	Rs.	23,400.00
Total	Rs.	1,18,800.00

(ii) From Air Force Relief Fund placed at the disposal of Air Hqrs. from the National Defence Fund :—

Paid to next of kin of such officers	Rs.	26,000.00
Paid to next of kin of such airmen :	Rs.	3,600.00
Total	Rs.	29,600.00

(b) and (c). The question of increasing the ex-gratia grant out of the Air Force Relief Fund is being examined. No change is contemplated in respect of the I. A. F. Benevolent Fund.

पाकिस्तान द्वारा भारतीय सम्पत्ति का जब्त किया जाना

8713. **श्री समर गुह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने वहां पर भारतीय सम्पत्ति जब्त करके अपने कब्जे में कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो ये सम्पतियां पाकिस्तान सरकार द्वारा किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत तथा किन परिस्थितियों में जब्त की गई है और उनका अनुमानित मूल्य कितना है तथा उनके वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जब्त की गयी सम्पत्ति का पाकिस्तान सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार इसके लिये प्रयत्न कर रही है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने अगस्त-सितम्बर 1965 के भारत-पाक संघर्ष में और उसके बाद इस सम्पत्ति कर कब्जा कर लिया था। इन सम्पत्तियों/आस्तियों की एक सूची संलग्न है ; यह सूची भारत के शत्रु सम्पत्ति संरक्षक के यहां 31-1-1969 तक पंजीकृत दावों के आधार पर तैयार की गई है तथा इसमें इनका मूल्य और अन्य विवरण दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 1027/69]

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार ने पाकिस्तान से इस बारे में विचार-विमर्श करने के लिए बारबार कहा है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने अभी तक कोई ठोस उत्तर नहीं दिया है।

जंजीबार द्वारा भारतीय सम्पत्ति पर कब्जा किया जाना

8714. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जंज़ीबार ने वहां पर भारतीय सम्पत्ति को जब्त कर लिया है और उसे अपने कब्जे में लिया है ;

(ख) यदि हां, तो जंज़ीबार सरकार ने उस सम्पत्ति को किन परिस्थितियों में अपने कब्जे में लिया है, उन सम्पत्तियों के विभिन्न शीर्ष अनुमानित मूल्य तथा उनका वर्गीकरण क्या-क्या है ;

(ग) क्या जब्त की गई सम्पत्तियों के लिये जंज़ीबार सरकार ने मुआवजे दिये हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार उसके लिये प्रयत्न कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). मार्च, 1964 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए एक आदेश के अंतर्गत जंजीबार की सरकार ने भारतीय मूल के लोगों की बहुत-सी अचल सम्पत्ति अधिगृहीत कर ली थी। ये प्राय: सभी व्यक्ति ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं।

हमारी सूचना के अनुसार एशियाइयों के 27 घर, 8 बागान, एक पत्थर की मिट्टी तोड़ने की मिल, कुल व्यापार गृह, पड़ा हुआ माल और सभी तटवर्ती अधिगृहीत कर ली गई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस अधिग्रहण के परिणामस्वरूप लोगों को करीब दस करोड़ रुपये की क्षति पहुँची है।

(ग) से (ङ). इन सम्पत्तियों के मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। जिन व्यक्तियों पर इसका असर पड़ा है, वे चूंकि ब्रिटिश नागरिक थे इसीलिए जंजीबार सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा इस मामले को उठाने का सवाल नहीं था। किन्तु यहां इतना कहा जा सकता है कि इस द्वीप से जो लोग भारत में हमेशा के लिए बसने के वास्ते आते हैं उन्हें उदार स्थानांतरण निवास नियम के अंतर्गत सभी रियायतें दी जाती हैं जिससे कि भारत में अपना घर नए सिरे से बसा सकें और जीविका कमा सकें।

एक्सरे फिल्मों का आयात

8715. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विकरण विज्ञान सम्बन्धी (रेडियोलोजिकल) कांग्रेस ने एक्सरे फिल्मों के आयात के लिये तदर्थ लाइसेंस देने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये दूसरा फोटो-फिल्म एकक स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म में एक्सरे फोटो का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ताकि अनुसूचित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके । अन्तरिम अवधि में कमियों को पूरा करने के लिये, जो विशेषतः कुछ किस्मों के विषय में हैं, राज्य व्यापार निगम तथा सुस्थापित आयातकों के माध्यम से तदर्थ आयात किये जा रहे हैं ।

(ग) जिस प्रकार ही मांग उत्पन्न होने की सम्भावना है, उसे ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

राज्यपालों द्वारा उपयोग के लिये मदिरा तथा अन्य वस्तुओं का आयात

8716. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965 से 1967 की अवधि में राज्यवार, वर्षवार, वस्तुवार तथा मूल्यवार, राज्यों के राज्यपालों के उपभोग के लिये कुल कितने मूल्य की शुल्क-मुक्त (एक) विदेशी मदिरा और (दो) अन्य वस्तुओं का आयात किया गया था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1028/69**]

Trade with African Countries

8717. **Shri Yaswant Singh Kushwah :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri D. C. Sharma :
Shri Ranjit Singh :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Narendra Kumar Salve :

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether any fresh measures are being adopted with a view to further India's trade relation with African countries ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreigh Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Besides exchanging trade delegations and concluding trade

agreements with the various African Countries, Indian enterpreneurs are being encouraged to set up joint ventures in these countries. Till now 33 such ventures have been set up in Africa. Moreover, Government of India is taking active interest in the working of the Economic Commission for Africa with the object of, inter alia, strengthening our Trade relations with African countries.

भारतीय वायु सेना की शक्ति

8718. **श्री बलराज मधोक :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना की शक्ति वर्ष 1962 में चीन के साथ हुए संघर्ष के समय बनाई गई प्रतिरक्षा योजना में निर्धारित किये गये लक्ष्य से कम है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में निर्धारित किये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). संसाधनों और विमानों की प्राप्यता के अनुरूप, जैसा कि रक्षा योजना में प्रत्यक्षीकृत दिया गया है, 45 एक्वाड्रनों की एक आधुनिक और सन्तुलित वायु सेना तैयार करने के लिये निरन्तर पग उठाए जा रहे हैं।

भारतीय सहयोग से अन्य देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के बारे में पश्चिमी देशों का विरोध

8719. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सहयोग से अन्य देशों में संयुक्त उपकरण स्थापित करने के सरकार के निर्णय का कुछ पश्चिमी देशों द्वारा विरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अन्य देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना में भारत द्वारा भाग लेने के विचार का किसी पश्चिमी देश ने विरोध किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत में विदेशों के प्रतिनिधि मंडल

8720. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में भारत में आये विदेशों के प्रतिनिधि मंडलों जिन में सैनिक विशेषज्ञ शामिल थे, के नाम क्या हैं ;

(ख) उन्होने किन-किन सैनिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया ;

(ग) क्या इन प्रतिनिधि मंडलों के हमारे सैनिक प्रतिष्ठानों-आयुद्ध कारखानों के दौरे भारत की सुरक्षा के लिये हानिकारक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्थितियां न आने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1' 68-69 के दौरान नाईजीरिया, तनजानिया, इथोपिया, युगोस्लाविया, फ्रांस, अफगानिस्तान, यू० के०, यू० एस० ए० और यू० एस० एस०आर० से सेवा अफसरों ने भारत का सद्भावना भ्रमण किया था ।

(ख) **प्रशिक्षण संस्थान** : भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला, राष्ट्रीय रक्षा कालिज नई दिल्ली, इन्फैन्ट्री स्कूल महू, कालिज आफ टेलिकाम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग महू, कालिज आफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पूना, ए० एस० सी० स्कूल बरेली ।

रेजीमैन्टल सैन्टरज : राज राईफल सैंटर दिल्ली छावनी, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप रुड़की, मद्रास इंजीरियरिंग ग्रुप बंगलौर, गुरसा ट्रेनिंग सैंटर देहरादून, आर्टिलरी सैंटर देवलाली ।

उत्पादन यूनिट : कम्युनिशन फैक्टरी पूना, आर्डिनेंस फैक्टरी देहरादून, हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट्स बंगलौर तथा नासिक, भारत इलेक्ट्रानिक्स बंगलौर, क्लोदिंग फैक्टरी शाहजहानपुर, मजागांव डाक लि० बम्बई ।

यूनिट और विरचनाएं : पैरा ब्रिगेड, एक आर्टिलरी ब्रिगेड, रिमाऊंट डिपू शाहजहानपुर, एक्वाईन ब्रीडिंग स्टड बाबूगढ़, आर्मी हास्पीटल दिल्ली छावनी, एक कौर मुख्यालय, एक माऊंटेन डिवीजन मुख्यालय, एक एयर फोर्स स्टेशन, और बम्बई के नौसैनिक संस्थान ।

उपरोक्त भ्रमण किए गए संस्थानों की एक सूची है । तदपि, प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल ने उपरोक्त संस्थानों में से केवल कुछ एक का ही भ्रमण किया था ।

(ग) और (घ). भ्रमण के संस्थानों का चुनाव करते समय और ऐसे भ्रमणों का प्रबंध करते समय सुरक्षा विचारों का पूरा ध्यान रखा जाता है ।

भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के वैज्ञानिक

8721. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी ;

(ख) स्थायी तथा अस्थायी वैज्ञानिकों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिस के द्वारा उच्च योग्यता वाले वैज्ञानिकों की पदोन्नति के लिये नये अवसरो की व्यवस्था की जायेगी ;

(घ) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) उसे कब तक कार्यरूप दिये जाने की संभावना है ?

अणुशक्ति तथा योजना प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना सहित एक विवरण संसद के सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1029/69**]

(ग) इस समय कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

वायु सेना की पश्चिमी कमान के लिये दिल्ली में एक नये भवन का निर्माण

8722. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायु सेना की पश्चिमी कमान मुख्यालय के लिये दिल्ली में एक नया भवन बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो नये भवन के निर्माण पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). पश्चिमी वैमानिक कमान के मुख्यालयों के लिए एक नया भवन का पहले से दिल्ली में छावनी में लगभग 50 लाख रुपये की लागत पर निर्माण किया गया है।

Forcible Occuption of a House by Jawans in Jabalpur

8723. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government have received a complaint from a resideut of Jabalpur to the effect that some Jawans had forcibly occupied his house in Jabalpur and looted all his property therein January, 1969 ;

(b) whether Government have got the case investigated ; and

(c) if so, the causes thereof and the action taken by Government against the persons responsible therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). A number of representations have been received from Shri Narbada Prasad Indurkhya of Jabalpur. The matter is however sub judice. A copy of the order passed in the matter by the 1st civil Judge class IInd, Jabalpur, on 31 1-69 is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1030/69]. It gives the facts of the matter as found by the Court. An appeal against the said order filed in the District Court, the main suit in the Civil Court and certain contempt of court petitions are. however, still pending.

उत्तरी बिहार का विकास

8724. **श्री गुणानन्द ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले बीस वर्षों में उत्तरी बिहार में जिस मात्रा तक विकास हुआ है वह अन्य क्षत्रों की तुलना में कम है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तरी बिहार के विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष आवंटन करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि ऐसा है तो आवंटन का आधार और उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). इस क्षेत्र का तेजी से विकास करने के लिए राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तरी बिहार के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था किये जाने की आशा है। विकास लक्ष्यों के अंग के रूप में पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं के लिए, योजना आयोग द्वारा राज्यों को दिये गए सामान्य मार्गनिर्देशों के आधार पर तथा अपने कुल योजना साधनों के संदर्भ में राज्य द्वारा स्वयं ही नीति निर्धारित किये जाने की आशा है। उत्तरी बिहार में अब तक हुए विकास की मात्रा तथा चौथी योजना में राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले आवंटन के ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हैं।

नेपाल के सीमावर्ती नगरों में बिजली लगाने सम्बन्धी भारत नेपाल करार

8725. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के सीमावर्ती नगरों में पारस्परिक आधार पर बिजली की सप्लाई करने तथा बिजली लगाने के बारे में भारत और नेपाल सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। लेकिन, भारत सरकार को महामहिम नेपाल सरकार की ओर से भारत और नेपाल के सीमावर्ती शहरों में पारस्परिक रूप से जलविद्युत की पूर्ति करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

Indo-Yugoslav Trade

8726. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Yugoslavia had proposed to import many new items from India and to export tractors and certain parts for aeroplanes and some other new items to India ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). No specific proposal linking import of tractors, aeroplane parts or any other items from Yugoslavia with export from India of new items has been received from the Yugoslav side. Trade exchanges between the two countries are governed by the existing Trade and Payments Agreement under which both countries explore the possibilities of developing two-way trade both in traditional as well as non-traditional items.

भारत नेपाल व्यापार करार

8727. **श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-नेपाल व्यापार के बारे में एक संसद सदस्य ने एक तथा

तीन जनवरी, 1969 को सरकार को दो पत्र लिखे थे तथा उनका अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है;

(ख) उन पत्रों में क्या-क्या लिखा गया था तथा भारत नेपाल व्यापार करार में त्रुटियों के कारण किन-किन विषमताओं के बारे में मुख्य शिकायतें की गई थीं ;

(ग) यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है, तो इन पत्रों के शिकायत-वार उत्तर न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई संबद्ध मंत्रालयों के सचिवों की एक बैठक में इस बात का पता चला था कि उक्त संसद सदस्य के इन दोनों पत्रों में तथा उनके पहले पत्रों में लगाये गये आरोप बहुत हद तक सही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) विभिन्न पत्रों, जिनमें माननीय सदस्य से प्राप्त तथा 3 जनवरी, 1969 के पत्र भी शामिल हैं, के उत्तर पहले ही भेज दिये गये हैं ।

(ख) प्रश्नाधीन दो पत्रों में निर्दिष्ट मुख्य बातें ये हैं :

(1) भारत में नेपाल से सश्लिष्ट वस्त्रों के भारी आयात और उन्हें रोकने के लिए किये गये उपाय ;

(2) नेपाल से होकर तीसरे देशों को भारतीय कोरे कपड़े, दलहन, तिलहन, मसाले आदि का निर्यात जिसे नेपाल सरकार द्वारा दिये गये निर्यात प्रोत्साहन से बढ़ावा मिलता है, करांची से होकर अफगानिस्तान को चाय के निर्यात के संबंध में इसी प्रकार का रुख विद्यमान रहा है; (3) कतिपय बैंक अब बड़ी मात्रा में ऐसे बिलों को भेज रहे हैं तथा उनका परक्रामण कर रहे हैं जो भारत से नेपाल को असाधित वस्त्र, मसालों तथा बीजों के निर्यातों से सम्बद्ध हैं, और (4) नेपाल से ऐसे माल के आयातों पर रोक जो नेपाली कच्चे माल पर आधारित नहीं है ।

(ग) से (ङ). 25 मार्च, 1969 को माननीय सदस्य को भेजे गये उत्तर में भारत नेपाल वाणिज्यिक संबंधों की कठिनाइयों को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है । इन कठिनाइयों के समाधान के लिये आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं । इस प्रश्न पर माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट अंत: विभागीय बैठक में भी बातचीत की गई थी । नवम्बर, 1968 वार्ता में किये गये निर्णयों के नेपाल द्वारा क्रियान्वित करने में विलम्ब के संदर्भ में महामहिम सरकार को एक स्मारक-पत्र भेजा गया है । मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है । इस सम्बन्ध में, लोक सभा में 9 अप्रैल, 1969 तथा 16 अप्रैल, 1969 को पूछे गये क्रमश: तारांकित प्रश्न संख्या 962 तथा 1111 के उत्तरों की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है ।

सीमा सड़क विकास संगठन के लद्दाख क्षेत्र में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों को पेश आने वाली कठिनाइयां

8728. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री प० मु० सईद :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक कर्मचारियों को, विशेषतया सीमा सड़क विकास संगठन में लद्दाख क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी अथवा सेवा मुक्त इत्यादि होते समय घर जाने के लिए लेह में अथवा छुट्टियों के बाद लौटते समय चण्डीगढ़ में विमान में स्थान प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है,

(ख) क्या ऐसी निर्धारित हवाई उड़ानों में असैनिक कर्मचारियों के लिए कोई कोटा नियत करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है अथवा नियम बनाये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त कर्मचारियों को लेह से चण्डीगढ़ तथा चण्डीगढ़ से लेह तक यात्रा करने के लिए विमानों में स्थान प्राप्त करने में अधिक दिनों तक प्रतीक्षा न करनी पड़े, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) असैनिकों को विमानों द्वारा लाने ले जाने की समस्या, विशेषकर उनको जो लद्दाख क्षेत्र में सीमा सड़क विकास बोर्ड में काम कर रहे हों, प्राय: सर्दियों में अर्थात नवम्बर के अन्त से अप्रेल के अन्त तक उत्पन्न होती है। वायुसेना के विमान में सीमित स्थानों के कारण, उपलब्ध स्थान स्थानीय रूप से सेना, सीमा सड़क तथा अन्य भिन्न-भिन्न संगठनों के लिए परिस्परिक विचार विमर्श करके असैनिक कर्मचारियों के लिए अलाट किये जाते हैं।

(ख) और (ग). विमान में सीमित संख्या में उपलब्ध स्थानों को ध्यान में रखते हुए असैनिक कर्मचारियों के लिये कोई कोटा निर्धारित करना व्यावहार्य नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi

8729. **Shri Ramji Ram :** **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 136 on the 18th February, 1969 regarding Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi and state ;

(a) whether the required information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The information furnished by the Delhi Administration was lacking in one respect. The Administration has been asked to obtain the required information from the Co.

तांतिया टोपे के स्मृति चिन्ह

8730. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री तांतिया टोपे के स्मृति चिह्नों के बारे में 23 अप्रैल 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7349 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करें कि तांतिया टोपे की अचकन तथा उनके केशों को रखने के लिए किस स्थान का चयन किया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

रोडेशिया के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रस्ताव

8731. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में रोडेशिया के विरुद्ध लगाये गये प्रतिबन्धों की क्रियान्विति में कमियों की ओर ध्यान दिलाया था;

(ख) क्या भारतीय प्रतिनिधि ने उन्हें और अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाये थे; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). जी हाँ । भारत ने 1968 में महासभा के पिछले अधिवेशन में सम्मिलित रूप से एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि "अब तक जो प्रतिबंध लगाये गए हैं, उनसे गैर कानूनी अल्पसंख्यक जातिवादी शासन का अन्त नहीं होगा, जब तक वे व्यापक प्रादेशात्मक न हों और ताकत के बूते पर इनकी देखरेख न कर दी जाये तथा इनका पालन न किया जाए, विशेषकर, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल द्वारा ।"

इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार से यह भी कहा गया कि वह इस गैर-कानूनी सरकार को तुरंत समाप्त करने के लिए बल प्रयोग करे और उसने उसे इस बात का सुझाव दिया कि उन विधियों का क्षेत्र व्यापक बनाया जाए तथा विशेष रूप से उन विधियों को दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल पर आरोपित किया जाए, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा परिषद् के प्रादेशात्मक निर्णयों को मानने से इन्कार किया है । यह प्रस्ताव ग्रहण कर लिया गया क्योंकि इसके पक्ष में 86 और विपक्ष में 9 मत आए, और 19 ने मतदान में भाग नहीं लिया । जिन लोगों ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया, उनके नाम इस प्रकार हैं : आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैण्ड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका ।

माल्दाह जिले में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा हतात किये गये व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान से मांगा गया प्रति कर

8732. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में माल्दाह जिले में वामुनगांव क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोली चलाये जाने से तीन व्यक्ति हतात हो गये थे;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई प्रतिकर मांगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) घायलों को कोई गहरी चोट नहीं लगी थी। राज्य सरकार तथा सीमा सुरक्षा दल के पुलिस महा निरीक्षक ने पाकिस्तान के अपने समकक्ष अधिकारियों से क्षति-पूर्ति की मांग की है ।

(ग) इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी अधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पासपोर्टों का दुरुपयोग

8733. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में सरकार को लोगों द्वारा पासपोर्टों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और पासपोर्टों के दुरुपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है ।

पाकिस्तान में अल्प संख्यक

8734, **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भलीभांति सुनिश्चित कर लिया है कि पूर्वी पाकिस्तान में राजनैतिक उथल-पुथल के परिणामस्वरूप पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जान और माल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ख) क्या अल्प संख्यकों के पूर्व पाकिस्तान से भारत आने जाने पर कोई नये प्रतिबंध लगाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रूसी बेड़े का चीन की ओर प्रस्थान

8735. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रूसी जहाजी बेड़ा चीन की ओर बढ़ रहा है;

(ख) क्या यह बेड़ा हिन्द महासागर से गुजरा था;

(ग) यदि हाँ, तो इस बेड़े का आकार क्या है; और

(घ) क्या इस बेड़े के वहां से गुजरने के कारण हिन्द महासागर क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) किसी सोवियत बेड़े के चीन की ओर प्रस्थान के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख), (ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[Delibrations of National Assembly for Peace Held at Delhi

8736. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a National Assembly for Peace was organised in Delhi from the 26 to 29th March, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that besides Indian delegates, some foreign delegates also participated therein ;

(c) if so, the names of leading persons among the delegates and the parties to which they belonged ;

(d) whether Members of Parliament also participated in the Assembly and if so, the names thereof ;

(e) whether it is further a fact that motions regarding International problems were also passed in the Assembly and if so, the details thereof ; and

(f) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). The Government have no information. The National Assembly for Peace was a non-official event, and the Government of India had nothing to do with it.

(e) and (f). The Government have no information on the proceedings of the meetings.

Memorandum of Demands by Employees of Delhi Cantonment Board

8737. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Delhi Government Board have submitted a memorandum containing their demands ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No such memorandum appears to have been received by Government in the recent past.

(b) and (c). Do not arise.

Uniform Pay Scales in All Cantonment Boards

8738. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to prescribe uniform pay scales and other facilities for all the Cantonment Boards all over the country ;

(b) if so, when such a decision is likely to be taken ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). It is proposed to bring the pay scales and allowances of Cantonment Board employees on par with those of corresponding categories of State Government employees at district level on the basis of an agreement between the representatives of the Cantonment Boards and of the employees which is expected to be signed shortly.

Salaries for Members of Cantonment Boards

8739. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Members of the Cantonment Boards are not paid any salary or allowances ;

(b) if so, wether it is also a fact that some Cantonment Boards have demanded that salary or allowances for their Members should be fixed ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) No proposal in this behalf has so far been received by Government from any of the Cantonment Boards.

(c) Does not arise.

श्री हरिकोट द्वीप मल्होर जिला में उपग्रह छोड़ने का केन्द्र स्थापित करना

8740. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगीं कि :

(क) क्या नेल्लोर जिला के श्रीहरिकोट द्वीप में उपग्रह छोड़ने का एक केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र पर कितना धन व्यय किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस केन्द्र के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) जी, हां ।

(ख) इस केन्द्र पर व्यय किये जाने वाले धन के ब्यौरेवार अनुमान लगाये जा रहे हैं ।

(ग) शुरू में इस केन्द्र का उपयोग देश में विकसित किये गये राकेटों को टेस्ट करने के

लिये किया जायेगा । बाद में धीरे-धीरे इस केन्द्र को उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा । आशा है कि यह केन्द्र चार वर्ष में तैयार हो जायेगा ।

पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाना

8741. **श्री रा० बरुआ :**

श्री सीता राम केसरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मार्शल ए० ग्रेचको द्वारा पाकिस्तान में दिये गये इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि रूस चाहता है कि पाकिस्तान अपने शत्रुओं के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा शक्ति को सुदृढ़ बनाये;

(ख) क्या श्री ग्रेचको ने यह भी कहा था कि रूस चाहता है कि पाकिस्तान इस प्रदेश में सैनिक संतुलन बनाये रखे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस विषय की रिपोर्ट देखी हैं (सरकार का विचार है कि ऐसे वक्तव्य पाकिस्तान की असंधेय मनोवृत्ति को प्रोत्साहन ही देंगे) मामला राजनयिक माध्यमों से सोवियत प्राधिकरणों तक पहुंचाया गया था, जिन्होंने अब कहा है कि, सोवियत रक्षा मंत्री, जो बिना तैयारी के बोल रहे थे, व्यापक परिभाषा में केवल आक्रमण के विरुद्ध पाकिस्तान की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता की ओर इशारा कर रहे थे । सोवियत संघ ने आगे कहा है कि भारत की ओर कोई इशारा अभिप्रेत न था ।

(ख) सोवियत प्राधिकरणों ने बताया है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच तथा कथित सैनिक सन्तुलन को किसी प्रकार का योगदान नहीं देते, और इस बात से वह इन्कारी हैं कि सोवियत रक्षा मंत्री द्वारा इस ओर कोई इशारा किया गया था ।

(ग) जैसे कि सदन को ज्ञात है, सरकार ने सोवियत संघ को पाकिस्तान की सशस्त्र शक्ति में अधिक वृद्धि के अभिप्रायों के विषय में पहले से बता रखा है ।

Export of Farm Products

8742. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the quantity of groundnut oil, groundnut, groundnut oil-cake and bone-meal exdorted during the last three years ending 1967-68 ; and

(b) the quantity of cattle-feed and fodder exported during each of these years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). A statement is annexed. [*Placed in Library. See* No. LT—1031/69].

Appointment of Controllers in Textile Mills

8743. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state the names of those textile mills wherein Controllers appointed by the Central Government are functioning ?

The Deputy Minister in the Ministry of Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : The names of the cotton textile mills which have been taken over by the Central Government and placed under Authorised Controllers/Managing Agent and are functioning at present are given below :—

1. The Model Mills Ltd., Nagpur.
2. R. S. R. G. Mohta Spg. and Wvg. Mfg. Co. (P)Ltd., Akola.
3. The Pratap Spg. Wvg. and Mfg. Co. Ltd., Amalner.
4. The Bengal Nagpur Cotton Mills Ltd., Rajnandgaon.
5. The India United Mills Ltd., Bombay.
6. The Muir Mills Co. Ltd., Kanpur.
7. The Hira Mills Ltd.. Ujjain.
8. The Swadeshi Cotton and Flour Mills Ltd., Indore.
9. Sri Bharathi Mills Ltd., Pondicherry.
10. The Mahalakshmi Mills Co. Ltd., Beawar.
11. The New Maneckchowck Spg. and Wvg. Mills Ltd., Ahmedabad.

Financial Assistance to Textile Mills

8744. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of textile Mills in Madhya Pradesh which have been provided loans by the Central Government, Industrial Financial Corporation during the last three financial years ;

(b) the extent to which loans given by the State Government, State Financial Corporation, Industrial Finance Corporation and the Central Government, separately, are outstanding, at present, with the above mills ; and

(c) the names of the textile mills which have applied for loans from the Central Government during the year 1969-70 and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

झांसी छावनी माईमसीन माता मन्दिर के बारे में विवाद

8745. **श्री गुणानन्द ठाकुर :**
श्री ओंकार लाल बेरवा
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :
श्री देवेन सेन :
श्री किकर सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री की भूतपूर्व सभा सचिव डा० सरोजिनी महिषी तथा कुछ संसद सदस्यों ने झांसी छावनी में माईमसीन माता (दुर्गा मन्दिर) के एक महन्त (पुजारी) श्री बाबा जगेश्वर दास के मामले के बारे में प्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री को पत्र लिखे थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1032/69]

I. A. F. Aircraft Dashed Against a House in Punjab

8746. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an aircraft of the Indian Air Force collided with a house in village Sithee of Punjab during the first fortnight of April, 1969 as a result of which the whole house was burnt and some persons were kiiled and some others injured :

(b) whether Government have made an inquiry into the causes of accident ; and

(c) the finacial assistance given and compensation paid by Government to the families of the deceased and for the damaged house ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir ; an IAF aircraft accident occurred on 8th April 1969 near village Saunti about 15 miles South West of Amba. One civilian and two heads of cattle were killed and five civil were injured as a result of the accident. One house comprising three rooms was destroyed.

(b) A Court of Inquiry is investigating the accident.

(c) A sum of Rs. 1,000/- as interim compensation has been paid to the next-of-kin of the deceased pending finalisation of the compensation payable in accordance with the rules.

भारतीय कपड़ा उद्योग

8747. **श्री रा० बरुआ :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व ऐशिया की कपड़ा मन्डियों में भारत के कपड़ा व्यापार को धक्का पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो प्रतियोगी देशों के नाम क्या हैं और इस कमी के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या भारत के कपड़े के व्यापार में कमी को रोकने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों को होने वाले सूती वस्त्रों के हमारे निर्यात वर्ष 1968 में बढ़कर 1123.8 लाख रु० के हो गये जबकि वर्ष 1967 में ये निर्यात 588.3 लाख रु० के थे ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

कपड़ा मिलों का विलय

8748. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय कर के प्रयोजन के लिए संयुक्त मिल के लाभ में से खराब

स्थिति वाली मिलों के पहले के घाटे को पूरा करने की अनुमति दे कर अच्छी स्थिति वाली कुछ कपड़ा मिलों को खराब स्थिति वाली मिलों को अपने हाथ में लेने को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ;

(ख) मामला विचाराधीन है ।

राज्यों को विद्युतचालित करघों का आवंटन

8749. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों को आवंटित किये गये विद्युत्चालित करघों के कोटे का सम्बन्धित राज्य सरकारों ने उपयोग किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन राज्यों के कोटे का उपयोग नहीं किया गया ;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अधिक कोटा दिये जाने की माँग की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विभिन्न राज्यों के विद्युत् चालित करघों के अप्रयुक्त कोटे का उन राज्यों को, जिन्हें अधिक कोटे की आवश्यकता है, कब तक आवंटन करने का सरकार का विचार है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) कुछ राज्यों ने अपने कोटों के कुछ अंश का आवंटन कर दिया है ।

(ख) किसी भी राज्य ने अपने कोटों का, जिन का उन्हें नियतन किया गया था, पूर्णतः उपयोग नहीं किया है ।

(ग) जी हां, हरियाणा तथा दादर एवं नागर हवेली ने ।

(घ) हरियाणा ने 1400 विद्युत-चालित करघों के अपने कोटे, जिसका उसे नियतन किया गया था, में से कोई भी विद्युत-चालित करघा स्थापित नहीं किया है । वर्तमान नियतन का पूर्णतः उपयोग हो जाने के बाद ही हरियाणा को अतिरिक्त कोटे का नियतन करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

दादर तथा नगर हवेली को 100 सूती विद्युतचालित करघों एवं 100 गैर-सूती विद्युत-चालित करघों के अतिरिक्त कोटे का निम्नलिखित शर्तों पर नियतन किया गया है :—

(1) सूती विद्युतचालित करघों के मामले में हथकरघा बुनकरों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(2) गैर-सूती विद्युत-चालित करघों के मामले में किसी एक ही पक्ष को उनका नियतन नहीं किया जायेगा ।

अनधिकृत विद्युत-चालित करघों को नियमित करना

8750. **श्री रा० को० अमीन** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों को अनधिकृत विद्युत-चालित करघों के लगाये जाने को नियमित करने में कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) अनधिकृत शक्तिचालित करघों को वस्त्र आयुक्त द्वारा नियमित किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं ।

(ख) 1-4-69 तक वस्त्र आयुक्त ने 44,381 सूती तथा 25,777 गैर-सूती अनधिकृत शक्तिचालित करघों को नियमित किया है ।

Facilities Given to Members of Azad Hind Fauj

8751. **Will the Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the total number of the members of the Azad Hind Fauj ;

(b) the nature and extent to which facilities have been provided to Members of the Azad Hind Fauj so far ; and

(c) whether they are treated as the soldiers of Freedom Struggle ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The total number of Indian Army personnel who had joined the Azad Hind Fauj was 23,266. No information is available regarding the total number of the members of Azad Hind Fauj.

(b and c). The orders of dismissal of ex-Indian Army personnel who had joined the Azad Hind Fauj were converted to orders of discharge. In 1948, Government provided various pensionary and other monetary benefits to these personnel as detailed below :

(i) the amount, including deferred pay, standing to their credit on the date of their capture by the enemy ;

(ii) An amount equal to three months' pay and allowances, including deferred pay of the substantive/war substantive rank held at the time of discharge or retirement reduced by the amount of pay on account of notice leave already drawn, if any ;

(iii) service pension/gratuity assessed on the whole of the service upto the date of discharge ;

(iv) war gratuity in full assessed on the whole of the war service upto the date of discharge ;

(v) lump sum grants ranging from Rs. 400/- to Rs. 800/- to personnel who were disabled while serving with the INA and to dependents of such personnel who died while serving with the INA.

In 1963, a sum of Rs. 30 lakhs was set apart for distribution as financial relief to ex-INA officers/personnel. Subsequently in 1967, Government decided to restore the balance of the forfeited pay and allowances of ex-INA personnel.

They are also eligible for various concessions sanctioned by the Central and State Governments in their capacities as ex-servicemen and as political sufferers.

Production of Arms in Ordnance Factories

8752. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that work relating to the manufacture of arms in the Ordnance Factories is proceeding at a very low rate and material worth several lakhs of rupees imported for use in these factories is lying unutilized for a number of years ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken to reorganise the working of these Ordnance Factories in regard to manufacture of arms ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). It is not correct that work relating to the manufacture of arms in the Ordinance Factories is proceeding at a very low rate. As the Ordnance Factories manufacture a large range of items, material for the same has to be provided much ahead of time in accordance with the provisioning procedure to enable manufacture of completed items at the required time. For this purpose, adeuqate quantities of imported material have necessarily to be provisioned and these have to be stored until they are utilized for the manufacture of the completed items at the required time.

(c) Certain general proposals for re-organisation of the Ordnance Factories are under consideration, but these are not related to the manufacture of arms in particular.

भारी पानी (हैवी वाटर) तैयार करने के लिये भारत फ्रांस सहयोग

8753. **श्री रा० बरुआ :** **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री मुहम्मद शरीफ : **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या प्रधान मन्त्री 23 अप्रैल 1969 के अतांराकित प्रश्न संख्या 7391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भारी पानी के मामले में स्वावलम्बी है ; और

(ख) क्या भारत-फ्रांस सहयोग से हमारे अणु कार्यक्रम को और लाभ पहुंचे ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। इस समय नहीं।

(ख) जी, हां ।

जापान को लौह अयस्क सप्लाई करने के बारे में करार

8754. **श्री रा० कृ० सिंह :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री मुहम्मद शरीफ : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जापान के इस्पात उद्योग को 10 करोड़ टन लौह अयस्क सप्लाई करने के बारे में जापान के साथ दीर्घकालीन करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या ऐसी सप्लाई किसी अन्य देश को भी की जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी रामसेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यूरोप के खरीदार अभी तक वार्षिक संविदाएं ही करते रहे हैं । दीर्घावधि संविदाएं प्राप्त करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए अणु शक्ति का प्रयोग

8755. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग समूह के अंग के रूप में अणु शक्ति से उत्पन्न विद्युत के प्रयोग से 72,000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए योजनायें बना ली हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत अनाज के उत्पादन में 45 लाख टन की वृद्धि और दालों के उत्पादन में 700,000 टन की वृद्धि करने की व्यवस्था है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख). आयोग ने अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है । लेकिन देश में बड़े परमाणु बिजली-घरों के आस-पास कृषि उद्योग समूह स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग के एक कार्यकारी वर्ग नियुक्त किया था । इस कार्यकारी वर्ग ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन स्थानों में से एक स्थान के बारे में अध्ययन के साथ साथ 7 लाख 20 हजार हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया जायेगा । आशा है कि इस से 45 लाख टन अनाज 7 लाख टन दालों का उत्पादन होगा ।

(ग) इस बारे में और अध्ययन किये जा रहे हैं । इन अध्ययनों के पूरा हो जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा ।

Pakistan's Complaint in U. N. O. Re. Kashmir

8756. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Hem Barua :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri B. N. Shastri :
Shri R. Barua :
Shri N. R. Lasker :
Shri Tulsidas Dasappa :
Shri D. C. Sharma :
Shri Narendra Kumar Salve :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan Government has declared to raise the Kashmir issue in the U. N. O. ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The Government have seen no such declaration recently,

(b) Government's position is that the situation created by Pakistan's aggression in Kashmir should be discussed and settled bilaterally.

राज्य व्यापार निगम के कार्यालय के नवीकरण पर व्यय

8757. **श्री रा० की० अमीन** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के नये अध्यक्ष ने अपने कार्यालय का नवीकरण करने पर डेढ़ लाख रुपये खर्च किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) नये अध्यक्ष की नियुक्ति के छः महीने के अन्दर विदेशी पुस्तकों पर कितना धन व्यय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). कार्यालय के स्थान में रद्दोबदल करना आवश्यक था और अध्यक्ष सहित निगम के 6 कार्यकारी निदेशक एक्सप्रेस बिल्डिंग से हेरेल्ड हाउस, जिसमें पहले राज्य व्यापार निगम का एक वस्तु प्रभाग स्थित था, में चले गए हैं। एक नए बोर्ड कक्ष, एक नये समिति कक्ष तथा कर्मचारी वर्ग के लिये आठ नये कार्यालयों का 6 निदेशकों के लिए नये कार्यालय का नवीकरण करने पर आई कुल लागत 1,47,614 रु० थी। इस उचित लागत पर बोर्ड के कार्यालय को ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था के, जो निरन्तर विदेशी आगन्तुकों तथा शिष्टमण्डलों से सम्पर्क रखती है, योग्य बनाने के लिए स्थान तथा कार्याचालन की दृष्टि से आधुनिक रूप से गठित किया गया है।

(ग) नये अध्यक्ष के पद ग्रहण करने के बाद राज्य व्यापार निगम ने 6 महीनों में विदेशी पुस्तकों तथा आवधिक पत्रिकाओं पर कुल 5486.22 रु० की धनराशि जिसका व्यय विदेशी मुद्रा में किया गया को छोड़कर समस्त व्यय भारतीय मुद्रा में किया गया।

सैनिक अधिकारियों को सेवा के अन्तिम वर्ष में उनको पसन्द के स्थान पर रखना

8758 **श्री रणजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा के मुख्यालय के पास कोई निदेश हैं कि किसी भी सैनिक अधिकारी को, जिनमें जूनियर कमीशन-प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी सेवा के अन्तिम वर्ष में उनकी पसन्द के स्थान पर रखना चाहिए ताकि वह सेवा-निवृत्ति के बाद अपने बसने की उचित योजना बना सके ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने सेवा-निवृत्ति के तुरन्त बाद उनके बसने में सैनिक अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जिनमें जूनियर कमीशन-प्राप्त अधिकारी भी शामिल है, इस सम्बन्ध में निदेश जारी करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). जी नहीं, वर्तमान विदेशों के अनुसार सेवा से विमुक्ति से पहले दो वर्षों में अफसरों को अपने घर के स्थान के निकट या उनके चयन के स्थान पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना करने की अनु मति है, और ऐसे प्रार्थना पत्रों पर उन स्थानों में रिक्त स्थानों की प्राप्यता पर मेरिट के अनुसार विचार किया जाता है।

इसी प्रकार सेवा से विमुक्ति से पहले अपने घर के स्थान के निकट नियुक्ति के लिए जूनियर कमीशंड अफसरों के प्रार्थनापत्रों पर भी विचार किया जाता है यदि रिक्त स्थान प्राप्य हों। तदपि, ऐसी नियुक्तियां रियायत की शक्ल में होती हैं न कि अधिकार स्वरूप।

(ग) तथा (घ). सरकार के विचार में वर्तमान प्रक्रिया सन्तोषजनक है, और वह इस विषय में कोई नए आदेश जारी करने का विचार नहीं करती।

विदेश नीति आयोजन संगठन का दर्जा बढ़ाना

8759. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री तुलसी दास दासप्पा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक कार्य नीति आयोजन के संगठन का दर्जा बढ़ाने का विचार छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

योजना लक्ष्यों की प्राप्ति में कमियां

8760. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने समाप्त होने वाली 1968-69 की वार्षिक योजना के मसौदे में योजना आयोग द्वारा किये गये अद्यतन मूल्यांकन में अनेक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने में कमी देखी गई है ;

(ख) किन उद्योगों में यह कमी देखी गई है ; और

(ग) इनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). वर्ष 1968-69 की वार्षिक योजना की वास्तविक उपलब्धियों के बारे में पूरी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, उपलब्ध सूचना के आधार पर चुनींदा भौतिक लक्ष्यों की संभावित उपलब्धियां सदन के सभा पटल पर 21 अप्रैल, 1969 को प्रस्तुत चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दी गई हैं। पूरी सूचना उपलब्ध होने पर ही सम्यक समीक्षा करना संभव हो सकेगा।

काहिरा स्थित भारतीय दूतावास के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

8761. **श्री हेम बरुआ : वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई ऐसी एजेन्सी है जिसके द्वारा विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्यकरण की जांच की जाती है ;

(ख) क्या काहिरा में भारतीय दूतावास के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश सेवा निरीक्षक वर्ग जिसमें विदेश मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय प्रत्येक की ओर से एक-एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों का समय-समय पर निरीक्षण करता है और उनके कार्यों तथा दूसरे सम्बद्ध मामलों की छान-बीन करता है ।

(ख) और (ग). काहिरा स्थित भारतीय राजदूतावास के कार्य के कुछ पक्षों के मामले में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें बिना नाम के अधिकारियों की कुछ अनियमितताएं शामिल हैं । इसकी जांच हो रही है ।

तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र

8762. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र को अन्तिम रूप से चालू कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह परमाणु शक्ति भट्टी भारत में और शायद एशिया में अपनी प्रकार की प्रथम है ; और

(ग) यदि हां, तो इस परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना में भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का क्या योगदान रहा और हमारे देश के शक्ति संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर इस समय एशिया में सब से बड़ा तथा भारत में अपनी प्रकार का प्रथम परमाणु बिजलीघर है ।

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों ने प्रायोजना के प्रत्येक स्तर पर अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी जो कि इस के मुख्य ठेकेदार है, के साथ कार्य किया । हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर लिया है जो भविष्य में परमाणु बिजलीघरों के निर्माण करने में लाभदायक सिद्ध होगा ।

बर्मा द्वारा सौंपे गये चीन में प्रशिक्षण प्राप्त नागा

8764. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने भारत को चीन में प्रशिक्षण प्राप्त कुछ विद्रोही नागा सौंपे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार कितने ऐसे नागाओं को अब तक पकड़ नहीं पाई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). बर्मा के अधिकारियों ने 11 अप्रैल 1969 को 76 नागा उपद्रवियों को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया था जिसमें दोसाइ चाकसांग भी शामिल था। ये लोग एक गिरोह के सदस्य थे जिसे बर्मा के लोगों ने जून 1968 में, उस समय रोक लिया था जब वह चीन जा रहा था।

(ग) चीन में प्रशिक्षत जो नागा अभी तक पकड़े नहीं गए हैं उनकी ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। जो भी हो, उनमें से अधिकांश ने या तो समर्पण कर दिया है या वे पकड़े गए हैं।

अरब देशों के साथ व्यापार

*8765. **श्री बृजराज सिंह** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब देशों के साथ देशवार हमारा कितना-कितना व्यापार है ;

(ख) ऐसे प्रत्येक देश के साथ हमारा इस समय व्यापर संतुलन कितना-कितना है ;

(ग) इन अरब देशों को किन-किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ; और

(घ) उन देशों से किन-किन मुख्य वस्तुओं का आयात होता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है, जिसमें प्रत्येक अरब देश के साथ हमारे व्यापार के परिमाण और मौजूजा व्यापार संतुलन को दिखाया गया है। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1033/69]**

(ग) चाय, वस्त्र, पटसन माल, तम्बाकू, मसाले आदि परम्परागत मदों के अलावा रासायनिक तथा भेषजीय वस्तुएं और अनेक प्रकार के इंजीनियरी तथा औद्योगिक उत्पाद हमारे निर्यात की प्रमुख वस्तुएं हैं।

(घ) अरब देशों से हमारे प्रमुख आयातों में आवश्यक कच्चे माल, जैसे राक फास्फेट, रुई, पेट्रोलियम, तथा खाद्य मदें, जैसे चावल तथा खजूर, शामिल हैं।

अन्तरिक्ष संबंधी सम्मेलन

8766. **श्री बृजराज सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) अन्तरिक्ष सम्मेलन के प्रारूप की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ; और

(ख) उसके बारे में भारत की नीति क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). बाह्य अंतरिक्ष में यान छोड़ने के कारण होने वाली क्षति के दायित्व से संबद्ध अभिसमय पर भारतीय मसौदे की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**पुस्कालय में रखी गयी। देखिये संख्या** एल० टी० 1034/69]

इसी विषय पर बेल्जियम, हंगरी इटली और संयुक्त राज्य अमरीका ने भी अभिसमय के मसौदे रखे हैं। अभिसमय के विभिन्न मसौदों के प्रस्तावकों के तथा सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच अनौपचारिक बातचीत इस इरादे से होती रही है कि इस बारे में ज्यादा से ज्यादा सहमति हो जाए। अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है और जून 1969 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोगों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र विधि उप समिति के अगले अधिवेशन में इस प्रश्न पर आगे विचार किया जागगा।

सीमा सड़क महा-निदेशालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

8767. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क महा-निदेशालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें सेना कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के समान हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ;**और**

(ग) सीमा सड़क महा-निदेशालय में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उसमें नियमित, अस्थायी तथा नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सीमा सड़क संगठन (जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स) के सेविवर्ग मूलत: असैनिक हैं, और इसी रूप से सेवा की उन शर्तों और स्थितियों का वह उपभोग करते हैं, कि जो सेना सेविवर्ग की सेवा शर्तों और स्थितियों से भिन्न हैं। सेवावधि के आधार पर जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में सेवा कर रहे अफसर और सेविवर्ग अपनी सेवा की शर्तों और स्थितियों को धारण किए रहते हैं। तदपि सेना के अफसरों को जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के वेतन और भत्ते इत्यादि प्राप्त करने का चयन दिया जाता है।

(ग) 1-1-1969 को सीमा सड़क संगठन की कुल अधिकृत जनशक्ति इस प्रकार थी:—

अफसर	1311
(कुशल तथा अकुशल सेविवर्ग समेत) अधीनस्थ	28255
पायनीयर तथा समतुल्य	44723
कुल जोड़	74289

उपरोक्त स्थान इस समय अस्थायी हैं। आकस्मिक कर्मचारियों को यथावश्यक आधार पर काम पर लगाया जाता है। लगाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या समय-समय पर प्रायोजना से प्रायोजना में विभिन्न होती है।

हंगरी को रेल बैगनों का निर्यात

*8768. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल बैगन सप्लाई करने के बारे में हंगरी के साथ हाल में करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी नहीं । 500 माल डिब्बों के संभरण के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा हंगरी के संबद्ध उद्यम के साथ वर्ष 1966 में की गई संविदा पूरी की जा चुकी है और भारत से हंगरी को रेलवे माल डिब्बों के अतिरिक्त संभरण के लिए दोनों पक्षों में ब बातचीत चल रही है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा नकली रेशम का निर्यात

*8769. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का राज्य व्यापार निगम माध्यमिक निकाय के रूप में काम करते हुए, नकली रेशम का कुछ सीधा निर्यात करने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नकली रेशम का कितनी मात्रा में सीधे व्यापार करने का राज्य व्यापार निगम का विचार है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) छोटे निर्यातकर्त्ताओं तथा समूचे उद्योग पर इस का क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय के उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). गत दो वर्षों में मानव निर्मित रेशे के वस्त्रों के निर्यात की प्रवृति से यह पता चला कि निर्माता-निर्यातक । व्यापारी-निर्यातक, सरकार द्वारा विकसित विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों का पूरा लाभ नहीं उठा रहे थे और राज्य व्यापार निगम के लिये मानव निर्मित रेशे के वस्त्रों के निर्यात के क्षेत्र में देश की विदेशी आय को बढ़ाने के लिये सक्रिय भाग लेना आवश्यक था । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम ने, वर्तमान राज्य व्यापार निगम । रेयक्स प्रबन्धों के अन्तर्गत निर्यात प्रयत्नों को जारी रखने के अलावा, या तो प्रत्यक्ष निर्यात व्यापार शुरू कर दिया है अथवा कुछ प्रमुख निर्माताओं । निर्यातकों को अपने प्रत्यक्ष सहयोगियों के रूप में रखना शुरू कर दिया है । यह सब निर्यात बढ़ाने के लिये किया गया है तथा सरकार ऐसा नहीं नहीं सोचती कि उपर्युक्त त्रिसूत्री मार्ग से मानव निर्मित रेशों के निर्यात में लगे उद्योग अथवा व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

यूगोस्लाविया के सहयोग से संयुक्त उपक्रम

8770. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में तथा अन्य देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के बारे में युगोस्लाविया के साथ हाल में नई दिल्ली में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). यूगोस्लाव फैडरल प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष डा० रिकर स्तज्नार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 4 से 14 अप्रैल, 1969 तक भारत का दौरा किया तथा योजना आयोग और विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय से बातचीत की। वार्ताएं परस्पर दोनों देशों में तथा अन्य देशों में दीर्घावधि आर्थिक सहयोए की सम्भावनाओं से सम्बन्धित थी। ठोस निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए तकनीकी स्तर पर विस्तृत अध्ययन के लिए सहमित हो गयी।

परमाणु क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग

8771. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग के बारे में फ्रांस के परमाणु तथा अन्तरिक्ष अनुसन्धान मन्त्री के साथ नई दिल्ली में हाल में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणम रहा है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों और अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग करने के उद्देश्य से भारत तथा फ्रांस के मध्य बातचीत हुई थी। फ्रांस के साथ एक करार किया है जिसके अन्तर्गत भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग अपनी जिम्मेदारी पर, लेकिन फ्रांस की सहायता से एक फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर बनाने के बारे में एक रिपोर्ट तथा प्रायोजना का डिजायन तैयार करेगा।

पटसन उद्योग

8772. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 1969 को कलकत्ता में हुई भारतीय पटसन मिल संघ की वार्षिक बैठक के कार्यवाही वृतांत की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो पटसन उद्योग द्वारा उक्त बैठक में क्या मांगें रखी गईं ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). भारतीय पटसन मिल संघ की वार्षिक बैठक की कार्यवाही के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें संघ के अध्यक्ष द्वारा उठाये गये प्रश्नों तथा प्रत्येक के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया को दिखाया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1035/69**]

महाराष्ट्र अनधिकृत विद्युतचालित करघे

8773. **श्री न० र० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में गत कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में अनधिकृत विद्युतचालित करघे स्थापित हो गये हैं, जोकि अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त किये गये बिना ही चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे अनधिकृत विद्युतचालित करघे अपने उत्पादन पर सरकार को कोई कर अथवा उत्पादन शुल्क नहीं देते ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अनधिकृत शक्तिचालित करघों के कतिपय मालिकों ने उत्पादन शुल्क लाइसेंस प्राप्त कर लिए थे और वे उत्पादन शुल्क की अदायगी कर रहे हैं। 28-2-1966 से पूर्व विद्यमान अनधिकृत शक्तिचालित करघों को नियमित बनाने के लिये कार्यवाही की गई है।

Trade with North Vietnam

8774. **Shri Ramavtar Sharma** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the question of re-establishing the trade link between India and North Vietnam and some correspondence has also been undertaken in this connection ; and

(b) if so, the detaiis thereof and the time by which it is likely to be re-established ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) No. Sir. India has been having trade relations with the Democratic Republic of Vietnam (DRVN) since 1956 when the first trade agreement was concluded for a period of three years. This Agreement has been extended from time to time and is at present valid upto 21st September, 1971.

(b) Does not arise.

बम्बई में कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा गोदामों को किराये पर दिया जाना

8775. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस कम्पनी के मालिकों या निदेशकों के नाम क्या हैं जिन्हें 1 जनवरी, 1965 में

कैंटीन स्टोर विभाग ने पट्टा समझौता किये बिना बम्बई में 17550 वर्ग फुट का एक गोदाम 4430 रुपये प्रतिमास की दर से किराये पर दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त किरायेदार ने उस गोदाम को महाराष्ट्र सरकार को मई 1965 से मई 1968 तक 18,000 रुपये प्रतिमास की दर से आगे किराये पर देकर 2.6 लाख रुपये कमाये थे यद्यपि उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं था ;

(ग) कैंटीन स्टोर विभाग के उक्त अधिकारी का नाम और पदनाम क्या हैं जिसने उपर्युक्त पट्टे की मंजूरी दी और इतने बड़े गोदाम को बिना टेंडर आमंत्रित किये किराये पर देने के क्या कारण थे ; और

(घ) इस त्रुटि के लिए उपर्युक्त अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गोदाम को किराये पर उठाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, और उच्चतम बोली सर्वश्री शेरअली खान मोम्मद मानेकिया फर्म की थी। नगरपालिका दरों और करों, तथा बिजली और पानी के खर्चों की अदायगी के अतिरिक्त मासिक किराये का उनका टेंडर कुल 4430 रुपये का था। गोदाम इस फर्म को औपचारिक करनामे की निष्पत्ति की प्रत्याशा में 8 जनवरी, 1965 को सौंप दिया गया था।

(ख) राज्य सरकार ने इस गोदाम को मई 1965 से इस्तेमाल किया और उसने फर्म को 18500 रुपये मासिक किराया अदा किया। जब कैंटीन स्टोर्ज विभाग को इस प्रबन्ध का पता चला तो उन्होंने उस फर्म से कारण जानना चाहे कि दिए गए वचन के विरुद्ध उन्होंने उसे आगे किराये पर क्यों दिया। फर्म ने उत्तर दिया कि गोदाम क्रम संख्या 18 में भाण्डागार स्टोर रखने और सेवा के आधार पर प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग के द्रव्य रखे गए हैं, और उसे वास्तव में किराये के तौर पर आगे नहीं उठाया गया।

लाभ का पूरा पूरा निर्धारण कठिन है, क्योंकि वह, राज्य सरकार की गई किन्हीं सेवाओं पर किए गए व्यय पर निर्भर होगा।

(ग) टेंडर आमंत्रित किए गए थे। प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष उस समय ब्रिगेडियर जी० एफ० डिसूजा थे।

(घ) चूंकि गोदाम खुले टेंडर के फलस्वरूप किराये पर दिया गया था, अफसर के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई थी।

संयुक्तराष्ट्र सचिवालय में भारतीय कोटे के विरुद्ध अमरीका का विरोध

8776. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने संयुक्तराष्ट्र सचिवालय में भारतीयों की संख्या विशेषकर राजनीतिक और सुरक्षा परिषद् कार्य के मुख्य अवर-सचिव श्री लियोनिड कुताकोव केडिप्टी के रूप में श्री मंगलम होचाको की नियुक्ति का अमरीकी समाचारपत्रों में सार्वजनिक तौर पर विरोध किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक प्रमुख समाचारपत्र ने 'इंडियन मार्फिया' शब्द का प्रयोग किया और संयुक्त राष्ट्र कार्य कर रहे अन्य भारतीयों को अपशब्द कहे हैं ;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारतीयों को नियुक्त करने के बारे में इस प्रतिकूल रवैये के सम्बन्ध में अमरीका सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में नियुक्त भारतीयों की संख्या के बारे में, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने न तो कोई विरोध प्रकट किया है, न अभिवेदन किया है ।

इसके अतिरिक्त, 'वाशिंगटन पोस्ट' के 2 जनवरी, 1969 के अंक में इस प्रकार की टिप्पणी प्रकाशित हुई थी :—

> "यू थांट ने राजनीतिक तथा सुरक्षा कार्य परिषद् में एक अत्यधिक गोपनीय कार्यपद पर भारतीय सचिवालय के एक अधिकारी एम० ई० चाको को नियुक्त किया, जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ में पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि मण्डलों ने काफी आलोचना की । चाको अब राजनीतिक तथा सुरक्षा कार्य परिषद के महा अवर सचिव तथा सोवियत राष्ट्रिक लियोनिड कुताकोव के सहायक होंगे । पश्चिमी राजनयिकों की यह शिकायत है कि यू थांट ने इस पद के 9 उम्मीदवारों में किसी यूरोपवासी या गैर-भारतीय को चुनने की अपेक्षा, 'भारतीय जन-सामान्य' को खुश किया है । चाको की नियुक्ति एक दूसरे भारतीय एम० ए० वेल्लोडी के बाद की गई, जिसकी योग्यता की प्रशंसा सर्वत्र हुई ।"

(ग) और (घ). जी नहीं । संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय में भारतीय नागरिकों की नियुक्ति से संयुक्त राज्य अमरीका सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

चौथी योजना के उद्देश्यों सम्बन्धी अध्याय का दुबारा प्रारूप तैयार करना

8777. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चौथी योजना के उद्देश्यों सम्बन्धी अध्याय को दुबारा तैयार करने का प्रस्ताव है ताकि इसे अधिक प्रेरणात्मक बनाया जा सके ;

(ख) क्या उद्देश्यों सम्बन्धी अध्याय का दुबारा प्रारूप तैयार किये बिना पहली, अप्रैल, 1969 को चौथी योजना प्रकाशित कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस विषय में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) योजना का प्रारूप, राष्ट्रीय विकास परिषद् में बहुमत से स्वीकृत किया गया था और संसद् में प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रारूप के सभी पहलुओं पर संसद् तथा देश भर में विचार-विमर्श होगा । इन विचार-विमर्शों की मुख्य प्रवृत्तियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में,

सभा पटल पर 21 अप्रैल, 1969 को प्रस्तुत चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के साथ संलग्न प्रधान मन्त्री की टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

पूर्वी पाकिस्तान के तूफान पीड़ितों के लिए सहायता की पेशकश

8778. **श्री अदिचन :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के तूफान से पीड़ित लोगों के लिए सहायता की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की ओर उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). हाल ही पूर्व पाकिस्तान में तूफान से पीड़ित लोगों के लिए भारत सरकार ने एक लाख रुपये कीमत की दवाइयां और कपड़े देने की पेशकश की थी ।

इन्जीनियरी माल का निर्यात

8780. **श्री रामावतार शास्त्री :** वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की कमी के कारण इंजीनियरी माल का निर्यात कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् ने विभिन्न इस्पात उत्पादकों द्वारा लोहे तथा इस्पात के क्रयादेशों को क्रियान्वित करने में की गयी कुछ देरी की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है हालांकि यह बता दिया गया था कि मांग निर्यात उत्पादन के प्रयोजन के लिए थी । ऐसा प्रतीत होता है कि लोहे तथा इस्पात की कुछ किस्मों के उत्पादन में कमी आ गयी है । सम्पूर्ण मामले की ओर सरकार ध्यान दे रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि इंजीनियरी माल के निर्यात में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे ।

Expenditure on the Residence of Indian Deputy High Commissioner in U. K.

8781, **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the total amount spent on furnishing and making additions alterations in the residence of Indian Deputy High Commissioner in U. K. last year ;

(b) the amount spent on this account in respect of other buildings to the Indian High Commissioner in London ;

(c) whether such expenditure was on the high side ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the details of such expenditure ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) There was no expenditure during the financial year 1968-69 on additions/alterations at Sun House, which is the residence of the Deputy High Commissioner of India in U. K. But the total amounts spent on furnishing and on repairs and maintenance of the Sun House during the financial year 1968-69 were as follows :

1. Furnishing			
(i) Freight and handling charges and cost of fitment of carpets supplied from India.	£ 147-0-0	Rs.	2646.00
(ii) Minor purchases	£ 7-0-0	Rs.	126.00
(iii) Minor repairs	£ 5-0-0	Rs.	90.00
Total :	£ 159-0-0	Rs.	2862.00
2. Repairs and Maintenance			
(iI Repair of boundary wall	£ 729-0-0	Rs.	13,122.00
(ii) Minor repairs	£ 33-0-0	Rs.	594.00
Total :	£ 762-0-0	Rs.	13,716.00

(b) The following expenditure was incurred on furnishing/repairs and maintenance of the High Commissioner's residence at 9, Kensington Palace Gardens London :

1. Furnishing			
(i) Furniture and equipment repairs.	£ 100-0-0	Rs.	1800.00
(ii) Replacement of linen and mats and polishing cutlery etc.	£ 110-0-0	Rs.	1980.00
(iii) Misc. repairs etc.	£ 31-0-0	Rs.	558.00
Total :	£ 241-00	Rs.	4338.00
3. Repairs and Maintenance			
(i) Overhauling of plumbing, redecorations, road maintenance, attached mews, provision of basin and misc. repairs.	£1344-0-0	Rs.	24,192.00
(ii) Window cleaning (Maintenance)	£ 107-0-0	Rs.	1,926.00
(iii) Restoration of pictures	£ 45-0-0	Rs.	810.00
Total :	£1496-3-0	Rs.	26,928.00

(c) The expenditure was not on the high side and was the minimum necessary for keeping these properties in a normal state of repairs. Moreover for replacement of worn-

out items, the labour charges in U. K. are very high and the prices of material have shot up.

(d) Does not arise in view of the answer given to Part (c) above. Information already supplied in reply to Parts (a) and (b).

कृषि औजारों का आयात

8782. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसल काटने वाली मशीनें, गाहने की मशीनें तथा रीपर मशीनों का यूरोप के देशों से आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या देश में ही इन औजारों का निर्माण करने की कोई योजनाएं हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां। इस समय 75 कम्बाइंड हार्वेस्टेर और 13 थ्रेशर, रीपर, बाइंडर तथा घास के रेकर आदि का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से, वास्तविक प्रयोक्ताओं के वितरण के लिए, करने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) थ्रेशर का उत्पादन तो देश में पहले से ही हो रहा है और कम्बाइंड हार्वेस्टेर का भी देश में निर्माण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

लघु उद्योगों के लिए निर्यात संवर्धन निदेशालय

8783. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अप्रैल 1969 में हुई लघु उद्योगों सम्बन्धी निर्यात संवर्धन गोष्ठी में लघु उद्योग विकास संगठन में एक निर्यात संवर्धन निदेशालय स्थापित करने की सिफारिश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) (क) जी हां।

(ख) मामला औद्योगिक विकास विभाग के विचाराधीन है।

Manufacture of Tanks in the Country

8784. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of factories and places where the various types of tanks are manufactured in the country ;

(b) the total number of tanks in the country at present ; and

(c) the amonnt of foreign exchange incurred so far on the import of component parts of these tanks ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Vijayanta Tanks are manufactured in Heavy Vehicles Factory, Avadi.

(b) and (c). It will not be in the public interest to give the information.

Export of Pigs and Pork

8785. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the names of countries to which pigs, raw pork and dry pork were exported during the last three years ;

(b) the amount of foreign exchange earned therefrom ; and

(c) the names of the firms, companies and individual granted licences for exporting pork etc. to foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Director General Commercial Intelligence and Statistics maintains export figures under the nomenclature of Swine, meat of swine and bacon, ham and other dried, salted of emoked pig meat. There has been no export of these items during the last three years.

(b) and (c). Does not arise.

National Development Council Meeting

8786. **Shri Deorao Patil** :
Shri R. Barua :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri N. R. Laskar :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the details of issues considered by the National Development Council which met on the 19th and 20th April, 1969 in Delhi ; and

(b) the decisions taken thereon ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Council considered the draft Fourth Five Year Plan ; reports of the Working Groups on identifications of backward areas and on fiscal and financial incentives for starting industries in backward areas ; and the question of a change in the Financial Year.

(b) The decision taken on the draft Fourth Plan has been indicated in the Note attached to the draft Fourth Five Year Plan laid on the Table of the House on April 21, 1969.

Regarding the reports of the two Working Groups, it was decided that the reports be considered by a Committee of all Chief Ministers. As regards the Financial Year the consensus was against any change.

भारतीय भूतपूर्व सैनिकों की लीग का चौथा वार्षिक महासभा सम्मेलन

8787. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 17 अप्रैल, 1969 को नई दिल्ली में भारतीय भूतपूर्व सैनिकों की लीग के चौथे वार्षिक महासभा सम्मेलन का उद्घाटन किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनको एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की कुछ मांगें प्रस्तुत की गई थीं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उस पर सरकार द्वारा कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) लीग के अध्यक्ष द्वारा बताए गये तुरन्त कार्यवाही किये जाने वाले कई विषयों पर उन से एक नोट प्राप्त हुआ है।

(ग) उस नोट में निम्न सुझाव हैं :—

(1) भूतपूर्व सैनिकों की पेन्शन बढाने सम्बन्धी प्रश्न के निरीक्षण के लिए एक पेंशन आयोग की स्थापना के।

(2) भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के अध्ययन के लिए सेवाविमुक्त सेवा अफ़सरों की एक कमेटी की रचना, और उनको दूर करने के लिए सुझाव देना।

(3) भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अलग रोजगार दिलाने वाला कक्ष।

(4) राजकीय और निजी क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए असैनिक सेवा में नियुक्ति के लिये आयु में रियायत।

(5) विमुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण ;

(घ) एक पूर्व उल्लेख पर इन पर पहले ही विचार किया जा चुका है, और लीग के अध्यक्ष को उचित दे दिया गया है।

Construction of Houses for Emyloyees of State Trading Corporation

8788. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the reasons for which the officers of the State Trading Corporation do not co-operate in the matter on solving the housing problem of its employees when the Co-operative Society of the employees has already got land for them and when the employees have collected sufficient funds for constructing houses for themselves ;

(b) the time by which construction work of their houses is likely to start ;

(c) the name of the place where the co-operative Society of the said employees has purchased land for them and the amount collected so far by the employees for this purpose ;

(d) whether Government propose to give house rent at enhanced rates to the employees till the time their houses are constructed ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). There is no registered Co-operative House Building Society of the employees of the State Trading Corporation. A piece of land measuring 39.33 acres has, however, been purchased by the State Trading Corporation and the Minerals and Metals Trading Corporation on Mehrauli Road, New Delhi for the construction of staff quarters for the employees of the two Corporations. The development work through the architects is in progress and is expected to be completed by October, 1969. Steps are being taken by the C. P. W. D. to start the construction of the houses soon after the development work is completed.

(d) and (e). The S. T. C. has already enhanced the house rent allowance with effect from Decemher, 1968, to the maximum limit suggested by the Bureau of Public Enterprises viz., 30% of pay in Bombay and 25% of pay in Delhi, Calcutta and Madras. No further change is proposed at present.

Recruitment of Staff in State Trading Corporation

8789. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether any rules have been framed in regard to the administration, duties and promotions of the employees of the State Trading Corporation ;

(b) whether Government propose to lay a copy of these rules on the Table ;

(c) the reasons for which some of the officers have been called from outside on high salaries after banning the promotions of the officers and staff of the said Corporation ; and

(d) the reaction of Government towards the discontent among the officers and staff of the Corporation as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir. The State Trading Corporation has framed the following rules :

(i) Recruitment Rules

(ii) Conduct Rules

(iii) Service Regulations

(iv) Classification, Control and Appeal Rules

(v) Contributory Provident Fund Regulations

(vi) Gratuity Scheme.

(b) Copies are being prepared and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d). Promotions of officers and staff of the Corporation are not banned. Only when adequate talent with the requisite qualifications and experience is not available within the Corporation posts are filled with candidates from outside. Persons appointed on deputation from Government a e governed by terms specified by Government.

Draft Plan of Bihar Government

8790. **Shri Valmiki Chaudhary :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the present Bihar Government have submitted the Draft of State's Fourth Five-Year Plan which provides for an outlay of Rs. 441 crores ;

(b) If so, the major scheme and estimated expenditure thereunder ;

(c) whether priority has been accorded to agriculture therein ;

(d) if so, the details of irrigation schemes and the estimated expenditure thereon ; and

(e) the reaction of Government in regard to the Draft Five Year Plan of that State ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) to (e). Do not arise.

पाकिस्तान को हांगकांग होकर करघों के पुर्जों का निर्यात

8791. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता की कुछ बड़े करघे बनाने वाली फर्में हांगकांग और सिंगापुर के रास्ते से पाकिस्तान को करघों के पुर्जों का निर्यात कर रही है और उन पुर्जों को पाकिस्तान में जोड़ कर सम्पूर्ण करघे बना लिए जाते हैं ;

(ख) क्या इससे पाकिस्तान की पटसन के गलीचों की पट्टियों को बनाने की क्षमता बढ़ जायेगी जो भारतीय पटसन उद्योग का मुख्य आधार हैं और इस प्रकार इससे देश के उद्योग को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक): (क) से (ग). हांगकांग तथा सिंगापुर से होकर पाकिस्तान को चौड़े करघों के पुर्जों के निर्यात के सम्बन्ध में कुछ समाचार मिले हैं। अभी तक की गई पूछताछों से ऐसे समाचारों की अभिपुष्टि नहीं हुई है और आगे पूछताछ की जा रही है और पूछताछों के परिणाम के संदर्भ में उपर्युक्त उपाय किये जायेंगे। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ऐसे करघों अथवा करघों के पुर्जों को अन्य स्थानों से भी प्राप्त कर सकता है।

बिहार में परमाणु शक्ति के कच्चे माल का संसाधन

8792. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में परमाणु शक्ति के कच्चे माल के संसाधन का पूर्णरूपेण सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). बिहार में परमाणु ऊर्जा कच्चे माल के लिए अब तक किये गए सर्वेक्षणों के परिणामों का ब्यौरा परमाणु ऊर्जा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है। इस दिशा में आगे और कार्य किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय परमाणु संयंत्र

8793. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम-233, यूरेनियम-235 और प्लूटोनियम-239 का निर्धारण करने के उपकरण हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे की प्रयोगशालाओं में इस क़िस्म का कार्य करने के लिए सुविधाए उपलब्ध है।

(ख) इस कार्य के लिये जिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है वे द्रव्यमान-वर्ण क्रमीय तथा रेडियोमितीय प्रणालियां हैं। द्रव्यमान-वर्णक्रमीज प्रणाली में द्रव्यमान वर्ण-क्रम-मिति ठोस समेत का प्रयोग किया जाता है तथा इससे यूरेनियम और प्लुटोनियम के समस्थानिकीय संघटन का निर्धारण किया जा सकता है। रेडियोमितीय प्रणाली में अल्फा सक्रियता का विश्लेषण करने के लिये अल्फा गणन तथा उच्च वियोजन अल्फा वर्णक्रममिति का प्रयोग किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-बर्मा व्यापार

8794. **श्री रा० बरुआ** : **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री वेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने भारत के साथ मूल्य और मात्रा में व्यापार बढ़ाने के लिए इस वर्ष सकारात्मक कार्यवाही करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1962 से भारत और बर्मा के बीच व्यापार बहुत शिथिल हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच व्यापार में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). बर्मा के विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और इसकी सभी आयात निविदाओं द्वारा सरकार-प्रायोजित संस्थाओं के माध्यम से किये जाते हैं। इसलिए बर्मा को निर्यातों का विस्तार अधिकांशतः उत्पादों के गुण तथा प्रतियोगी मूल्यों पर निर्भर करता है। तथापि हमारे निर्यातों को अधिकतम करने के विचार से बर्मा की आयात आवश्यकताओं पर सतत ध्यान रखा जा रहा है। बर्मा को अपनी हाल की यात्रा में हमारे प्रधान मंत्री और बर्मा संघ की क्रान्तिकारी परिषद् के अध्यक्ष ने अन्य बातों के अतिरिक्त पारस्परिक व्यापार के विकास सम्बन्धी मामलों पर भी बातचीत की थी। वे इस बात पर सहमत थे कि दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार की काफी संभावना है और उन्होंने पारस्परिक व्यापार तथा वाणिज्य बढ़ाने की अपनी सरकारों की इच्छा की पुष्टि की। निम्नोक्त सारणी से यह स्पष्ट हो जायेगा कि बर्मा को हमारे निर्यातों में हाल में

काफी वृद्धि हुई है। 1968-69 के पहले नौ महीनों में 8.62 करोड़ रु० का निर्यात हुआ, जबकि 1967-68 में 3.84 करोड़ रु० का निर्यात हुआ था :—

(लाख रु० में)

वर्ष	बर्मा को निर्यात	बर्मा से आयात
1962-63	508	909
1963-64	636	845
1964-65	641	1030
1965-66	360	938
1966-67	374	4023
1967-68	384	924
1968-69 (अप्रैल-दिसम्बर)	862	806

सिंगापुर में विकासशील एशियाई देशों का सम्मेलन

8796. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री नि० र० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ : **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने भी सिंगापुर में एशिया तथा सुदूरपूर्व के देशों के लिए आर्थिक आयोग द्वारा आयोजित एशिया के विकासशील देशों के सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत के प्रतिनिधि ने व्यापार को उदार बनाने का सुझाव दिया था ;

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव को कहां तक स्वीकार किया गया ; और

(घ) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जी हां। 15 से 28 अप्रैल, 1969 तक सिंगापुर में हुए एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग के 25वें वार्षिक सत्र में भारत ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा सुझाए गए व्यापार उदारीकरण के छः सूत्री कार्यक्रम को आयोग ने स्वीकार कर लिया।

(घ) सम्मेलन में किये गये निर्णय आयोग द्वारा स्वीकृत नौ संकल्पों में निहित है जो ऐसे विषयों पर हैं जैसेकि द्वितीय विकास दशी, एशियाई नारियल समुदाय, इकाफे क्षेत्र के खनिज स्रोत, एशियाई हस्तशिल्प केन्द्र की स्थापना, क्षेत्रीय संगणना केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव, सामाजिक विकास, क्षेत्रीय आर्थिक आयोग के प्रधान कार्यालय के अमले की बाहर नियुक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आयोग की 50 वीं वर्ष गांठ, विशेषज्ञ अभिकरणों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण के साथ परामर्श के सम्बन्ध में कार्यविधि के नियमों में संशोधन। संकल्पों की प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिए संसद् पुस्तकालय में रखी जा रही है।

पूर्व जर्मनी में भारतीय व्यापार परिषद

8797. **श्री बलराज मधोक :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के व्यापारिक हितों की देखभाल करने के लिए पूर्व जर्मनी में व्यापारिक दूतावास स्थापित करने संबंधी भारत सरकार के प्रस्ताव के प्रति जर्मन लोकतंत्र गणराज्य की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या सरकार भारत और इसराइल के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए इसराइल में इसी प्रकार का दूतावास स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार का विचार पूर्व बर्लिन में व्यापार प्रतिनिधि रखने का है। वर्तमान प्रस्ताव में जर्मन संघीय गणराज्य में परामर्श-दाता भेजने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए व्यापार परामर्शदाता नियुक्त करने के बारे में जर्मन संघीय गणराज्य की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग). सरकार का इरादा इसराइल में व्यापार कार्यालय खोलने का नहीं है क्योंकि इससे किसी लाभदायक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों के वर्गीकरण के बारे में आदेशों की क्रियान्विति

8798. **श्री अ० श्री० कस्तूरे :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई, 1968 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों के वर्गीकरण के बारे में जारी किये गये आदेशों को उनके मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन प्रत्येक निगम के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों को श्रेणीवार पदोन्नत किया गया ;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त आदेशों को अब तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जिन्होंने उक्त आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में नियुक्त हिन्दी जानने वाले भारतीय

8799. **श्री अ० श्री० कस्तूरे :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में कुल कितने भारतीय नागरिक काम करते हैं ;

(ख) उनमें से कितने हिन्दी जानते हैं ; और

(ग) क्या उक्त दूतावास में नियुक्ति के लिए हिन्दी जानने वाले भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर यथा समय रख दिया जाएगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

8800. **श्री अ० श्री० कस्तूरे** : क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के गोपनीय अभिलेख की वर्गीकरण प्रणाली के बारे में गृह मंत्रालय के हाल के आदेशों का पालन उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न निगमों द्वारा किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी निगमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को श्रेणी-वार दी गई पदोन्नतियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इन आदेशों का अब तक पालन न किये जाने के क्या कारण है ;

(घ) संविधान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों के आरक्षण के लिए विशिष्ट उपबन्ध को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार इन कारणों को पर्याप्त समझती है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है, जिन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नौसेना मुख्यालय को बम्बई में मारमागोआ ले जाया जाना

8801. **श्री शिंकरे** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई जो भारत की औद्योगिक और वाणिज्यिक राजधानी है, पर निर्यात और आयात के माल के वहन का बहुत अधिक बोझ है और पत्तन मे जहाजों की भीड़ होने के कारण हमारी नौसेना के जहाजों के निर्बाध रूप से आने जाने में बाधा पड़ती है और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्राकृतिक पत्तन की भौगोलिक और सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार नौसेना मुख्यालय को बम्बई से मारमागोआ ले जाने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). बम्बई के बन्दरगाह में काम की बहुतायत का सरकार को ध्यान है । परन्तु स्ट्रेटेजिक कारणोंवश तथा बम्बई के नौसैनिक डाकयार्ड संस्थान में पहले से लगाए गए सरमाए तथा उसके प्रसार के लिए बनाई जा रही योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार बम्बई के नौसैनिक संस्थान को वहां से कहीं और ले जाने के संबंध में विचार नहीं कर सकती ।

लातीनी अमरीकी देशों को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल

8802. **श्री शिंकरे** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लातीनी अमरीका को "ललित कला का घर" और विशेष रूप से 'संगीत और नृत्य" के घर के नाम से पुकारा जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त देशों में स्थित अपने दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों को यह सलाह दी है कि वे स्थानीय व्यक्तियों को आकर्षित करने और अपने देश के हित में उनसे संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय संगीत का नियमित कार्यक्रम प्रस्तुत करें; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन देशों को सांस्कृतिक मंडल भेजने का है ताकि हमें विदेशी मशीनों को उन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में सहायता मिल सके ।

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (ग). जी हां। सरकार को लातीन अमरीका की ललित कला में रुचि, जिसमें संगीत और नृत्य भी शामिल है, की जानकारी है । भारतीय संगीत और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत करना हमारे सांस्कृतिक मंडल का नियमित कार्य का एक भाग है और इसके लिये हमारे चालू बजट में व्यवस्था कर दी गई है ।

लातीनी अमरीकी देशों के अध्यक्षों को आमंत्रण

8803. **श्री शिंकरे** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे प्रधान मंत्री के लातीनी अमरीका और विशेषकर ब्राजील के सद्भावना के दौरे के परिणामस्वरूप उन देशों से हमारे मैत्री संबंधों का एक नया युग आरम्भ हुआ है और यह आवश्यक हो गया है कि उन देशों के उच्च पदाधिकारियों को भारत के दौरे के लिये आमंत्रित किया जाये ताकि दोनों देशों के मैत्री सम्बन्ध मजबूत हो सकें ;

(ख) क्या सरकार ने लातीनी अमरीकी देशों के अध्यक्षों को भारत का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनको भविष्य में आमंत्रित करने का सरकार का विचार है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । प्रधान मंत्री ने जिन लातीनी अमरीकी देशों की यात्रा की, उसके दौरान वहां के राज्याध्यक्षों को उन्होंने भारत आने का निमन्त्रण दिया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Special Financial Resources for Backward States

8804. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the nature of special financial resources being made available to the backward States to bring them at par with other States ;

(b) whether any special consideration has been shown the towards border State of Rajasthan in view of its backwardness and limited financial resources ; and

(c) if not, to what extent the Central Government would be responsible if development in the State is delayed due to the deserts, tribal area, famine conditions and industrial backwardness ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Central assistance for the Fourth Five Year Plan is being distributed amongst the States in accordance with a formula adopted by the National Development Council. Under this formula, 10% of the divisible pool of Central assistance has been set apart for the States whose per capita income to below the national average. Another 10% is being distributed amongst States which are faced with certain specified special problems such as drought affected area, desert areas, tribal areas, hill areas, metropolitan areas, flood affected areas.

(b) Rajasthan's needs have already received special consideration on account of the fact that the per capita income in this State is below the national average and also because of the special problems of desert and scarcity areas of the State.

(c) Does not arise.

आयुध कारखानों के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

8805. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत से स्थानों पर क्वार्टरों की सुविधा उपलब्ध नहीं है और कुछ आयुध कारखानों के पास अपनी बस्तियां भी नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे आयुध कारखानों में कार्य करने वाले बहुत से कर्मचारी मजदूरों की बस्तियों में रहते हैं, और उनको कोई वैकल्पिक स्थान दिये बिना सरकार उन्हें वे बस्तियां छोड़ने के लिए विवश कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को मजदूरों की बस्तियों में क्वार्टर देने का है जो आयुध कारखानों में काम करते हैं ; और उन बस्तियों में रहते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) आर्डनेंस फैक्टरियों के कर्मचारियों के लिए वास्य क्वार्टर सभी फैक्टरियों में प्राप्य किए गए हैं—किए जा रहे हैं । तदपि, वास्तविक तौर पर प्राप्य क्वार्टरों की संख्या कर्मचारियों की समस्त आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पाती ।

(ख) से (ङ). जहां तक सरकार को ज्ञान है, कानपुर की आर्डनेंस फैक्टरियों के कुछ कर्मचारी और कानपुर के रक्षा संस्थानों के कुछ कर्मचारी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा सब्सिडी से औद्योगिक भवन योजना के अन्तर्गत बनाए गए क्वार्टर धारण किए हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने उन में बसने वालों को क्वार्टर खाली करने को कहा है । मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है जिन्हें कहा गया है कि मामले पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाए । उस सरकार को यह भी सुझाव दिया गया है कि जो बसने वाले उन क्वार्टरों को किराया-क्रय आधार पर खरीदने के लिए

रजामन्द हैं, उन्हें ऐसा करने दिया जाये । दूसरों की हालत में उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा सुझाव दिया गया है, कि उन लोगों को युक्ति संगत किराये की अदायगी पर उन क्वार्टरों में रहने दिया जाये । राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है ।

Import of Newsprint

8806. **Rhri Valmiki Choudhary :**
Shri Tulsidas Dasappa :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration and proposal to import newsprint from Russia, America and other countries ; and

(b) if so, the quantity of newsprint proposed to be imported from each country during the year 1969-70 and the amount of money, in terms of foreign exchange and in rupees, separately, likely to be spent on its import ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) Details of proposed imports of newsprint during the year 1969-70 are given in the statement below :

S. No.	Country from which to be imported	Quantity (in M. Tons)	Value (Rs. in crores)	Remarks
1.	U. S. S. R.	40,000	4.628	Rupee payment
2.	Canada	25,000	2.833	Free foreign Exchange
3.	Canada	13,500	1.645	Under Canadian Development Loan Assistance of 1968.
4.	Canada	16,000	1.949	Under Canadian Development Loan Assistance of 1969.
5.	Scandinavian countries	12,000	1.475	Free foreign exchange
6.	Poland	4,000	0.447	Rupee payment
7.	U. S. A.	3,850	0.443	Under AID of 1968
8.	U. S. A.	5,650	0.650	Under AID of 1969

कोसीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी

8807. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री कोमेश्वर सिंह :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री उमा नाथ :**

क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसीपुर गन एण्ड शैल फैक्टरी में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और 19 सितम्बर, 1968 को कितने लोग काम पर उपस्थित थे ;

(ख) क्या फैक्टरी के द्वार पर एक घन्टा लगा है और यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या 8 अप्रैल, 1969 को फैक्टरी के अधिकारियों को शीघ्र आने के लिये कहा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ला० ना० मिश्र) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

कोरी फिल्मों के कोटे का दुरुपयोग

*8808. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (एक) आल इण्डिया पिक्चर्स, बम्बई (दो) अलंकार चित्रा (तीन) अनुपम चित्र (चार) अजन्ता आर्ट्स (पांच) एसोसिएटिड फिल्म इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड (छः) आरजू फिल्म्स (सात) अजय फिल्म्स (आठ) अशोक फिल्म्स (नौ) अल्पना फिल्म्स, बम्बई को कोरी फिल्मों का कितना-कितना कोटा दिया गया है ;

(ख) क्या इन फिल्म कम्पनियों के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने उनको दिये गये कोरी फिल्मों के कोटे का दुरुपयोग किया हैं और अन्य फिल्म कम्पनियों को बेच दिया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोरी फिल्मों के कोटे का दुरुपयोग

*8809. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में निम्नलिखित फिल्म कंपनियों को कोरी फिल्मों का कितना-कितना कोटा दिया गया था:—

(एक) बम्बई फिल्म लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड

(दो) बिन्दु कला मंदिर

(तीन) बोहरा ब्रदर्स

(चार) बी० एण्ड सी० फिल्म्स

(पांच) चित्रलोक प्राइवेट लिमिटे

(छः) साइन दीपक प्रोडक्शन्स

(सात) भारत कला मन्दिर, बंबई

(आठ) ब्राडवे फिक्चर्स ;

(ख) क्या इन फिल्म कंपनियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने कोरी फिल्मों का लगभग सारा कोटा चोर बाजार में कुछ अन्य फिल्म कम्पनियों को बेच दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोरी फिल्मों के कोटे का नियतन

*8810. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1969 तक गत तीन वर्षों में निम्नलिखित फर्मों में से प्रत्येक को कोरी फिल्मों का कितना कोटा दिया गया है :—

(एक) डीलक्स फिल्म्स (दो) डिंपल फिल्म्स (तीन) इगल फिल्म्स (चार) एम के प्रोडक्शन्स (पाँच) ईस्ट एण्ड वैस्ट मूवीज (छः) फेमस साइन लेबारेटरीज एण्ड स्टूडियो लिमिटेड (सात) फिल्म युग (आठ) फिल्मालय (प्राइवेट) लिमिटेड (नौ) फिल्मस्तान प्राइवेट लिमिटेड (दस) फिल्म एशिया (ग्यारह) गोयल साइन कार्पोरेशन (बारह) गोल्डन फिल्म्स (तेरह) गीताँजली पिक्चर्स ;

(ख) क्या उपर्युक्त फिल्म कंपनियों ने उपर्युक्त अवधि में कोरी फिल्मों का अपना कोटा बढ़ाने के लिये सरकार से कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों के साथ औद्योगिक सहयोग

*8811. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई, अफ्रीकी तथा दक्षिण अमरीका के देशों के बीच कोई औद्योगिक सहयोग संबंधी समझौते किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी हां । दक्षिण-पूर्व एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के स्थानीय उद्यमियों के सहयोग से विभिन्न औद्योगिक प्रायोजनाएं स्थापित करने के लिये विभिन्न भारतीय फर्मों/पार्टियों की ओर से 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले 1968-69 के वर्ष में 19 प्रस्तावों का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है । दक्षिण अमरीका के किसी भी देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव

प्राप्त नहीं हुआ । अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

क्रमांक	देश	प्रायोजना	भारतीय सहयोग
1.	कन्या	कागज एवं लुग्दी प्रायोजना	मे० बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता ।
2.	मारीशस	मोजैक टाइलों एवं रोलिंग शटर्स उत्पादक इकाई ।	मे० सिद्धार्थ जसूभाई लालभाई, अहमदाबाद ।
3.	यूगोडा	पटसन मिल	मे० बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता ।
4,	जाम्बिला	प्रयुक्त स्नेहकों का पुनः परिष्करण	श्री एन० बी० देसाई, बम्बई ।
5.	श्रीलंका	अभ्रक खनन	मे० कृष्ण माइनिंग कं०, गुडूर ।
6.	श्रीलंका	कमरा-शीतक, वातानुकूलक आदि का निर्माण	मे० इलेक्ट्रोनिक्स लि० नई दिल्ली ।
7.	श्रीलंका	भेवजें	मे० थेमिस भामैस्यूटिकल्प, बम्बई ।
8.	,,	ए०ए०सी०/ए०सी०एस०आर० कंडक्टरों का निर्माण	मे० मैसूर वायर एण्ड मैटल इंडस्ट्रीज, बंगलौर ।
9.	,,	फिल्टरों का निर्माण	मे० प्रिट्ज एण्ड सिंह (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली ।
10.	अफगानिस्तान	सिलाई-धागों के गोलों आदि का निर्माण	मे० दरबार कं० (प्रा०) लि० दिल्ली ।
11.	,,	साइकिलों का निर्माण	मे० पर्ल साइकिल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली ।
12.	इण्डोनेशिया	रबड़ उत्पाद निर्माण करन का संयंत्र	मे० कासमास इंडिया रबड़ वर्क्स (प्रा०) लि०, बम्बई ।
13.	मलयेशिया	ए०सी०एस०आर०/ए०ए०सी०/ पी०वी०सी० इंसुलेटिड कंडक्टरों का निर्माण	मे० इंडियन एल्युमिनियम केबुल्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।
14.	,,	सूक्ष्मकार्य औजार तथा गेज निर्माण	मे० गुप्त मशीन टूल्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता ।
15.	,,	बिजली के पंखों तथा सिलाई की मशीनों का निर्माण	मे० जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता ।

16.	,,	मिठाई की गोलियों आदि का उद्योग	मे० पैरीज कंपेकनरी लि० मद्रास ।
17.	सिंगापुर	वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स	मे० एम०एस० एलाय इलेक्ट्रोड्स (प्रा०) लि०, बम्बई ।
18.	थाईलैंड	इस्पात रि-रोलिंग मिल	श्री एस० ए० जिप्री, मद्रास ।
19.	,,	संश्लेषित तन्तु कताई संयंत्र	मे० बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।

जनता को बिहार में आयातित कारों की बिक्री

8812. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1 अप्रैल, 1967 से अब तक आयातित कारें खरीदी हैं, ये कारें किन-किन प्रयोजनों के लिये खरीदी गई और प्रत्येक कार का कितना मूल्य दिया गया ; और

(ख) क्या इस बात को जानने का कोई प्रयत्न किया गया था कि क्या इन कारों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है जिनके लिये वे खरीदी गई थीं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोरी फिल्मों के कोटे का नियतन

8813. **श्री काशीनाथ पांडेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में निम्नलिखित फिल्मनिर्माताओं को कोरी फिल्मों का कितना-कितना कोटा दिया गया है ;

(एक) श्री बी० आर० चोपड़ा (दो) श्री कुलजीत पाल, बम्बई (तीन) श्री ओ० पी० रलहन (चार) श्री रोशन लाल मल्होत्रा (पांच) श्री अजीत बोस, कलकत्ता (छः) श्री एन० सी० सिप्पी (सात) श्री महमूद (आठ) श्री आई० एस० जौहर (नौ) श्री जे० ओम प्रकाश ;

(ख) क्या इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन फिल्म निर्माताओं ने उपर्युक्त अवधि में कोरी फिल्मों के कोटे का दुरुपयोग किया है अथवा उन्हें बेच दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोरी फिल्मों के कोटे का नियंत्रण

8814. **श्री काशी नाथ पांडेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में निम्नलिखित व्यक्तियों में से प्रत्येक को कोरी फिल्मों का कितना-कितना कोटा दिया गया था ;

(एक) श्री नासिर खान
(दो) श्री रामानन्द सागर
(तीन) श्री कुन्दन कुमार
(चार) श्री प्रमोद चक्रवर्ती
(पांच) श्री मदन मोहुल्ला
(छः) श्री देवेन्द्र गोयल
(सात) श्री देवानन्द
(आठ) श्री राज कपूर
(नौ) श्री एस० डी० नारंग

(ख) क्या उपर्युक्त निर्माताओं ने अपने कोरी फिल्मों के कोटे बढ़ाने के लिए सरकार को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Trade Delegations sent Abroad

8815. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the brief details in regard to the number of Trade Delegations which visited foreign countries during the last three years with the names of countries and places visited by them and the strength of each such delegations and also the results achieved ;

(b) the number of trade delegations proposed to be sent abroad this year with the names of countries to be visited by them for export promotion and for establishment of trade links ; and

(c) the number and names of Members of Parliament to be included therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). Information is being compiled and will be laid on the Table of the House.

Removing of Regional Imbalances

8816. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the changes being made in the Fourth Plan published by the Planning Commission with a view to removing regional imbalances and achieving economic equality in the country ; and

(b) the time by which a final decision is likely to be taken in regard to making special provisions in the Fourth Plan for the industrial development of the backward State like Uttar Pradesh, Rajasthan and Bihar and also for providing facilities regarding the irrigation and power in these States ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No changes are presently being made in the Draft Fourth Five Year Plan as presented by the Planning Commission. The Draft was approved by the National Development Council by majority on April 19 and 20, 1969 and has now been placed before the Parliament for consideration. It has also been released to the public for general discussion. It is intended to review the resources position again later this year after the report of the Fifth Finance Commission becomes available.

(b) The assignment of inter-sectoral priorities and the allocation of resou ces for individual sectors is determined by the States in consultation with the Planning Commission. Central assistance is now to be distributed among States on the basis of objective criteria adopted by the National Development Council, which are designed to give some additional assistance to relatively backward States. Taking into account the Central assistance available to them and their own resources, the States would themselves have to decide as to what provision should be made by them for their industrial development or for the provision of irrigation and power facilities.

Selection of M. Ps. for Delegations going Abroad

8817. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of Members of Parliament included in various delegations sponsored by his Ministry and other Ministries or sent on invitations from abroad during the last three years ;

(b) the dates on which they went and the countries visited by them :

(c) the number of similar delegations proposed to be sent during 1969-70 ;

(d) whether the names of delegates to be included in these delegations have been finalised ; and

(e) if not, the time by which the names are likely to be finalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Projecting a True Image of India by Missions Abroad

8818. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the efforts being made by the Indian Missions abroad to project a true picture of Indian life, culture and social set-up in foreign countries ; and

(b) how far high officials and employees in our Missions abroad have been successful in earning goodwill for India by their conduct, habits and way of life ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) One of the important aims of our Missions abroad is to project a correct image of India's cultural heritage. Most of the Missions have well equipped libraries containing books on various aspects of India's culture. There is also a regular programme of presentation of representative collections of books on India to libraries and educational institutions abroad. Exhibitions of Indian films are arranged either by the Missions themselves or through local associations. India also participates in international film festivals, book fairs and other

cultural events. In many countries Indian Missions organize cultural evenings and also help local organizations to observe 'India Day' or 'India Week', presenting programmes of Indian music, dance etc.

(b) Reports from our Missions show that by and large our officials, by their conduct and way of life earned goodwill for India.

Government Officials and Folk Dancers from States Attending Repulic Day Celebrations

8819. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1125 on the 16th April, 1969 and stated :

(a) the number of Government officials and folk dancers who came from various States to take part in the Republic Day celebrations this year and the expenditure incurred on them ;

(b) the number of days prior to the Republic Day when the folk dancers arrived in the Capital and the expenditure incurred on their board, lodging, etc. ;

(c) the propriety of including dances and other similar programmes in the Army Parade and whether they have proved to be of any educative value to the country ; and

(d) if not, the reasons for including the said programmes in the Army Parade ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). 107 Government officials and 809 folk dancers and tableaux artists came from various States and Union Territories to take part in Republic Day celebrations 1969. They came between 12th January and 25th January. Accounts for the Talkatora Camp. where the contingents were accommodated, have not yet been finalised and a statement showing the expenditure incurred will be laid on the Table of the House after the accounts have been finalised.

(c) and (d). Republic Day Parade 1969 consisted of :

(1) Armed Forces contingents, Service equipment, etc., and

(2) cultural pageant comprising—

(i) elephants ;

(ii) tableaux ;

(iii) civilian employees of Defence installations ;

(iv) school children ; and

(v) folk dancers.

The cultural procession is designed to demonstrate both the unity, and variety and diversity of the country. In addition to its educative value, this also gives an opportunity to the States and Union Territories to participate in the national celebrations at the Union Capital.

आयुध कारखानों का ग्रुपों में वर्गीकरण

8820. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों का पहले ग्रुपों में वर्गीकरण नहीं किया गया था और एक कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों की दूसरे कारखाने में तबदीली की जा सकती थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में आयुध कारखानों का ग्रुपों में वर्गीकरण कर दिया

गया है और एक ग्रुप के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की दूसरे ग्रुप के कारखानों में तबदीली नहीं की जा सकती ;

(ग) यदि हां, तो क्या आयुध कारखानों का ग्रुपों में वर्गीकरण करने समय सरकार ने उन कारखानों में काम कर रहे कर्मचारियों से उनकी इच्छा पूछी थी कि वे कारखानों के किस ग्रुप में काम करना चाहते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपकरण ग्रुप के कारखानों में अब काम कर रहे अनेक कर्मचारियों ने अतिरिक्त तकनीकी अर्हता प्राप्त कर ली है और उनकी सेवाओं का इंजीनियरी ग्रुप के कारखानों में अधिक प्रभावी ढंग से सदुपयोग किया जा सकता है, सरकार का विचार आयुध कारखानों के कर्मचारियों को अन्तिम रूप से कारखानों के किसी ग्रुप में भेजने से पूर्व उनसे उनकी इच्छा पूछने का है ; और

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) मई 1967 में निर्णय किया गया था कि 27 आर्डनेंस फैक्टरियों में से 5 फैक्टरियां अर्थात (1) क्लोदिंग फैक्टरी शाहजहांपुर, (2) होनसं तथा सेड़लरी फैक्टरी कानपुर, (3) आर्डनेंस फैक्टरी चण्डीगढ़, (4) आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी आवडी, और (5) आर्डनेंस पैराशूट फैक्टरी कानपुर जो वस्त्र तथा व्यापक स्टोर्ज के निर्माण में प्रवृत्त है एक अलग गुट में रखी जाएं जिसका नाम है आर्डनेंस साज सामान फैक्टरी गुट और दिन व दिन प्रशासन के लिए उन्हें एक अतिरिक्त मुख्य निदेशक आर्डनेंस फैक्टरीज के नियन्त्रण में रखा जाए । तदापि, समग्र नियन्त्रण मुख्य निदेशक अर्डनेंस फैक्टरीज का ही रहेगा । शेष फैक्टरियां अभी किसी गुटों में विभाजित नही की गई हैं । आर्डनेंस साज-सामान फैक्टरीज गुट के बन जाने पर भी फैक्टरी के कर्मचारी जभी लोक हित में आवश्यक होता है दूसरी फैक्टरी में तबदील किए जाते हैं ।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठते ।

कोरी फिल्मों का कोटा

8821. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित फिल्म कंपनियों अथवा चलचित्र निर्माताओं में से प्रत्येक को कोरी फिल्मों का कितना-कितना कोटा दिया गया ;

(1) के० वी० एस० प्रोडक्शंज, मद्रास (2) श्री डी० वी० बावाडेकर, बम्बई, (3) जय फिल्म्स, बंबई, (4) केवलजीत प्रोडक्शंज बंबई (5) श्री दर्शन, बंबई (6) श्री पन्नालाल महेश्वरी बंबई (7) श्री कुन्दन कुमार, बंबई (8) सर्वोदय पिक्चर्ज, बंबई (9) श्री एच० एस० रखेल, बंबई (10) श्री बी० एल० रावल, बंबई ;

(ख) क्या उनको दिये गये कोरी फिल्मों के कोटे का उन्होंने पूरी तरह उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोरी फिल्मों का कोटा

8822. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में बंबई तथा मद्रास के निम्नलिखित चलचित्र निर्माताओं में से प्रत्ये को कोरी फिल्मों का कितना-कितना कोटा दिया गया ;

(1) श्री रामनीकलाल जी डावे (2) श्री महमूद अली एण्ड एन० सी० सिप्पी (3) सपरा फिल्म्स (4) लाइट प्रोडक्शंज (5) प्रसाद प्रोडक्शन, मद्रास (6) शिवाजी फिल्म्स (प्रा०) लिमिटेड, मद्रास (7) मूवी मुगल्स (8) वीनस पिक्चर्स, मद्रास (9) स्क्रीन जैम्स, मद्रास (10) श्री बी० के० आदर्श (11) श्री एस० जे० राजदेव, बम्बई; और

(ख) उनमें से प्रत्येक ने सरकार को कितनी-कितनी धन राशि दी और उनको कोरी फिल्में किस मूल्य पर बेची गई ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोरी फिल्मों का कोटा

8823. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित फिल्म कम्पनियों अथवा चलचित्र निर्माताओं से प्रत्येक को कोरी फिल्मों का कितना-कितना कोटा आवंटित किया गया और प्रत्येक ने सरकार को कितनी-कितनी धनराशि दी :

(1) पी० एस० वी० फिल्म्स, मद्रास (2) बाल सुब्रह्मण्यन एंड कम्पनी, मद्रास (3) श्री ए० कादिर, बम्बई (4) श्री जाफर अली एण्ड संस, फागू बम्बई (5) गुरुदत्त फिल्म्स, (प्राइवेट) लिमिटेड, बंबई (6) श्री के० पी० वर्मा (7) श्री अमरजीत, बम्बई (8) जे० एम० फिल्म्स, बंबई (9) जैमिनी आर्टस (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास (10) रेनबो फिल्म्स बम्बई ;

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोरी फिल्मों का कोटा

8824. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित फिल्म कम्पनियों अथवा चलचित्र

निर्माताओं से जिनको चलचित्र वित्त निगम द्वारा ऋण दिया गया है प्रत्येक को कोरी फिल्मों का कितना-कितना कोटा दिया गया :

(1) यू० एन० प्रोडक्शन बम्बई (2) श्री सुधीर मुकर्जी कलकत्ता (3) श्री ए न० वी० कृष्णास्वामी मद्रास (4) श्री ए न० लक्ष्मीपति मद्रास (5) श्री गजानन जागीरदार बम्बई (6) श्री वी० ए म० जोगलेकर बम्बई (7) श्री पी०पी० माहेश्वरी (8) श्री बसु भट्टाचार्य बम्बई (9) बंबई मूवीटोन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई (10) श्री सदाशिव जे० रो० कवि, बम्बई ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन फिल्म कंपनियों अथवा चलचित्र निर्माताओं ने कोरी फिल्म को अपने कोटे को ऊंचे दामों पर अन्य फिल्म निर्माताओं को बेच दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोरी फिल्मों का कोटा आवंटन

8825. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित चलचित्र निर्माताओं अथवा फिल्म कम्पनियों को जिन को चलचित्र वित्त निगम द्वारा ऋण दिया गया है कोरी फिल्मों का कितना कोटा आवंटित किया गया ;

(1) गोप प्रोडक्शंज, बम्बई (2) श्री रामचन्द्र ठाकुर, बंबई (3) एमजी फिल्म्स, बंबई (4) श्री आर० आर० डावे, बंबई (5) राजन फिल्म्स, बंबई (6) बिमल राय पिक्चर्स, बंबई (7) के० जी० पिक्चर्स, बंबई (8) फिल्म क्रैफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता;

(ख) क्या सरकार को इन फिल्म कम्पनियों से इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई है कि उनको कोरी फिल्मों का कोटा कम मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की कुछ धाराओं का अमान्य ठहराया जाना

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व

के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ ओर अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"उच्चतम न्यायालय का स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की कुछ धाराओं को अमान्य ठहराने वाला निर्णय और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया"।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं उस ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में यह वक्तव्य दे रहा हूँ जो सर्वोच्च न्यायलय के हाल ही में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में है जिसके द्वारा स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 के कतिपय उपबंधों को घोषित किया गया है।

30 अप्रैल 1969 को, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी तीन रिट-याचिकाओं पर अपना निर्णय दिया। याचिका देने वाले लाइसेंसशुदा व्यापारी और/या महाजन थे।

इन तीनों रिट-याचिकाओं में समान रूप से और सब से महत्वपूर्ण तर्क यह दिया गया था कि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968, सातवीं अनुसूची की सूची। (संघ सूची) की प्रविष्टि 52 और सूची III (संवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 के अन्तर्गत संसद की विधायी क्षमता के बाहर था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 को संवैधानिक शक्तियों की पुष्टि की है और उसे पूर्णतः संसद की विधायी क्षमता के दायरें में पाया है।

इस मुख्य दलील के अलावा स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के लगभग 26 उपबंधों की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि वे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और (छ) तथा अनुच्छेद 14 का उल्लघंन करते हैं। जिन उपबंधों का विरोध किया गया था उनमें से अधिकांश ज्यों के त्यों कायम हैं। जिस उपबंध के बारे में लाइसेंसशुदा व्यापारी सबसे ज्यादा हैरान थे वह था धारा 16 (7) का एक उपबंध, जिसके अनुसार प्रत्येक लाइसेंसशुदा व्यापारी और परिष्करणकार के लिये यह आवश्यक था कि वह अपने पास की सोने की सारी वस्तुओं और आभूषणों की घोषणा करे। न्यायालय ने इस उपबंध की वैधता की पुष्टि की है।

जिन उपबंधों को अवैध घोषित किया गया है, वे हैं :

(i) धारा 5 की उप-धारा (2) का खंड (ख) :

अधिनियम के अन्य विशिष्ट उपबन्धों से भिन्न, यह एक सामान्य उपबन्ध है, जो प्रशासक को स्वर्ण-वस्तुओं के निर्माण आदि को लाइसेंस या परमिट द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से विनियमित का अधिकार देता है।

(ii) और (iii) धारा 27 की उप-धारा का खंड (घ) और उप-धारा (6)

अधिनियम की धारा 27 का सम्बन्ध व्यापारियों को लाइसेंस देने से है। उसकी उप-धारा (2) के खंड (घ) में उन शर्तों की व्यवस्था है जो व्यापारियों को जारी किये जाने वाले लाइसेंसों के बारे में लगाई जाएं ; और उप-धारा (6) का सम्बन्ध व्यापारी लाइसेंस जारी करने और उसके बधीकरण से है, जो साथ ही साथ उसके मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करती है।

(iv) धारा 32 :

इसमें लाइसेंसशुदा व्यापारियों द्वारा प्राथमिक स्वर्ण रखने विषयक है और साथ ही साथ

यह धारा व्यापारियों द्वारा मानक स्वर्ण शलाका से भिन्न अन्य प्राथमिक स्वर्ण को रखने की मात्रा विषयक सीमा निर्धारित करती है ।

(v) धारा 46 :

यह उपबन्ध धारा 32 का स्वाभाविक परिणाम है और इसमें व्यवस्था है कि लाइसेंसशुदा व्यापारी द्वारा नियोजित कारीगरों के कब्जे में रखा हुआ प्राथमिक सोना, धारा 32 के अधीन उस व्यापारी को लागू मात्रागत सीमा में गिना जाएगा ।

(vi) धारा 88 :

इसमें ऐसे लाइसेंसशुदा व्यापारी या परिष्करणकार द्वारा उकसाये जाने के सम्बंध में दण्ड की व्यवस्था है जो इस बात को जानता है अथवा जिसके लिये ऐसा विश्वास करने का कारण है कि उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी नौकरी के दौरान स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के किसी उपबन्ध या नियम अथवा उसके अन्तर्गत दिये हुए किसी आदेश का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है ।

(vii) धारा 100 :

इस उपबंध में यह अपेक्षित है कि लाइसेंसशुदा व्यापारी अन्य बातों के साथ-साथ उस व्यक्ति की शनाख्त के सम्बन्ध में अपनी तसल्ली के लिए उपयुक्त उपाय करें जिससे कि उसने सोना उपार्जित या प्राप्त किया हो, तथा यदि उसने इस दिशा में उपयुक्त उपाय न किये हों तो यह माना जा गा कि जानबूझ कर इस उपबन्ध की उपेक्षा की है ।

मेरा निवेदन है कि सर्वोच्य न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अभिमत दिया है कि अवैध घोषित किये गये उपबन्ध समूचे अधिनियम की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं डालते और यह अधिनियम अभी भी अपने मूल रूप में वही अधिनियम है जैसा कि संसद द्वारा पारित किया गया था ।

सरकार, देश के सर्वोच्य न्यायलय के इस निर्णय को सर्वाधिक सम्मान देती है तथा वह उसका अक्षरश: और तत्त्वत: पालन करेगी । यद्यपि न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किये गये उपबन्धों को निकाल देने से स्वर्ण नियंत्रण की मूल योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथापि धारा 27 (6) तथा 32 के अवैध घोषित कर दिये जाने से उत्पन्न प्रक्रिया सम्बन्धी रिक्तता को भरने के लिए कुछ न कुछ उपचारात्मक उपाय करने ही होगें । न्यायालय के निर्णय के मूलपाठ का सरकार के विधि अधिकारियों के परामर्श से सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा, जिससे कि न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में इस बात की जांच की जा सके कि किन-किन उपचारात्मक उपायों को अपनाना आवश्यक और व्यवहार्य होगा । यह सम्भव है कि इनमें से कुछेक बातों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 114 के अन्तर्गत उपयुक्त नियम बना कर उपबन्धों की व्यवस्था की जा सकती है । न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल 1969 को निर्णय दिये जाने के तत्काल बाद ही निर्णय की एक प्रमाणित प्रति की तुरन्त सप्लाई के लिए एक प्रार्थनापत्र दे दिया गया था । निर्णय की प्रमाणित प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है । अतएव, इस मामले में इस समय मुझे इससे अधिक और कुछ कह सकना सम्भव नहीं है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 (2) (ख) के अन्तर्गत स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक को दी गई शक्तियां विधायी हैं, अत्यधिक व्यापक हैं और विधायी शक्तियों का बहुत अधिक प्रत्यायोजन किया गया हैं। अतः इस धारा को और अन्य धाराओं को संवैधानिक रूप से अमान्य ठहरा दिया गया है। इस अधिनियम की कुछ महत्व पूर्ण धाराओं का उच्चतम न्यायलय द्वारा अमान्य ठहराया जाना एक प्रकार से सरकार की नीति की आलोचना और निन्दा करना है। सरकार इस प्रकार के कानून क्यों पारित करते हैं जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं। मेरी मुख्य आपत्ति यही है।

दूसरे मेरा माननीय उप-प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम की कुछ धाराओं को अमान्य घोषित कर दिया है, तो क्या सरकार इस समूचे स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को वापस लेने पर विचार करेगी ? इस अधिनियम के कारण हजारों स्वर्णकारों को भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है कुछ तो बेचारे मर भी गये हैं। जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम संसद के सामने लाया गया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी है इससे तस्कर व्यापार भी नहीं रोका जा सका है और न ही इससे सोने के देशीय मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में भारी अन्तर को कम किया जा सका है। सोने का प्रलोभन भी कम नहीं हुआ है और मुद्रा स्फीति के कारण रुपये का मूल्य कम हो गया है।

सरकार को प्रशासक को अत्यधिक शक्तियां नहीं देनी चाहिये। इससे वह डिक्टेटर बन जायेगा। इन शक्तियों की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिये। अत्यधिक शक्तियां देने से मूल-भूल अधिकारों का हनन होता है। हमें विधान बनाने के मामले में मानवीय पहलू की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सार्वजनिक सभा नहीं है। यह संसद है, जिसमें ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार किया जा रहा है। आपको कुछ सूत्रों का पालन करना पड़ेगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठरी : सरकार को संसद सदस्यों की एक तदर्थ समिति नियुक्त करनी चाहिये जो स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की समूची योजना पर विचार करे और यह निर्णय करे कि भविष्य में क्या उपाय किये जाय। तीसरे सरकार स्वर्णकारों को उदारतापूर्वक लाइसेंस दे ताकि वे बिना किसी बाधा के इस पेशे में आ सकें चौथे क्या सरकार इस बात के लिये तैयार हो जायेगी कि कारीगरों और स्वर्णकारों पर मूल सोना रखने के मामले में किसी प्रकार की सीमा नहीं लगायेगी।

श्री मोरारजी देसाई : जहां तक माननीय सदस्य के पहले प्रश्नों का सम्बन्ध है, मेरा उत्तर नकारात्मक है। उनके अन्तिम प्रश्न का उत्तर मैं निर्णय देखने के बाद ही दे सकता हूँ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : स्वर्ण नियंत्रण विधेयक पर चर्चा के दौरान इस सभा के अनेक सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किये थे कि इस विधेयक के कुछ उपबन्ध संवैधानिक नहीं होंगे। इस अधिनियम की कुछ और धाराओं के अमान्य घोषित किये जाने की सम्भावना है क्योंकि यह एक याचिका है जो, जैसा कि स्वयं माननीय मन्त्री जी ने कहा है, व्यापारियों और

साहूकारो द्वारा प्रस्तुत की गई है इस अधिनियम के अन्तर्गत समाज के अनेक अन्य वर्गों पर भी प्रभाव पड़ा है।

स्वर्णकारों पर लगे प्रतिबन्धों के बारे में न्यायालय को अभी निर्णय करना है। इसी प्रकार से इस अधिनियम में एक निश्चित मात्रा से अधिक सोना खरीदने पर समाज के एक बड़े वर्ग पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है। सामान्य नागरिक पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध के स्वरूप के बारे में भी न्याय लय को निर्णय करना है। उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया है कि इस धारा के अमान्यविस्था का समूचे अधिनियम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु ऐसी बात नहीं है। अपने निर्णय में न्यायालय ने कहा है :

> "हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अधिनियम की धारायें 27 (2) (एक) और 27 (6) अमान्य हैं, तो धारा 27 के शब्दों द्वारा निहित लाइसेंस योजना को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। अतः संसद के लिये एक नया विधान बनाना आवश्यक है जिसके अन्तर्गत व्यापारियों को लाइसेंस देने और नवीकरण के बारे में समुचित शर्तें और प्रतिबन्ध लगाये जायेगें।"

अतः, यद्यपि तकनीकी तौर पर अधिनियम बिल्कुल ठीक है, इसके उपबन्धों को व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किया गया जा सकता। इन सब बातों को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण अधिनियम का खंडों में संशोधन करने की बजाय क्या मैं माननीय उपप्रधान मन्त्री जी से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे इस अधिनियम के अभी ऐसे ही और उन अन्य उपबन्धों सहित, जिन पर हाल को इस मामले में आपत्ति नहीं की गई है, समूचे अधिनियम के बारे में कानूनी सलाह लें।

श्री मोरारजी देसाई : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि निर्णय पर ध्यानपूर्वक विचार किये बिना मैं कोई राय नहीं दे सकता।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Bhagpat) : The judgement given by the Supreme Court has confirmed the objections and the concern expressed by several numbers in the House about various sections of the Act during discussion on the Act. There are now only two alternatives before the Government. The first alternative is to amend the Act and bring it before Parliament and the second alternative is to amend the rules according to section 114. It will be now proper on the part of Government to amend the Act and bring it again before Parliament for consideration so that more and more members may have an opportunity to express their views. The hon. Deputy Prime Minister should give an assurance that the spirit of the Supreme Gourt will find a place in the amendment. Here amendment of the rules will not serve the purpose.

Shri Morarji Desai : I cannot give any assurance to the hon. Member. I can give only this assurance that whatever will be essential in accordance with the rules of Constitution and Parliament, that will be done.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : Sir, I beg to lay the following papers on the Table of the House.

(1) A copy each of the following Notification under sub-section (3) of section 17 of the Export (Quality control and Inspection) Act, 1963 ;

(i) The Export of Stainless Steel Utensils (Inspection) Amendment Rules 1969, published in Notification No. S.O. 1428 in Gazette of Indla dated the 15th April, 1969.

(ii) The Export of Mica (Inspection) Amendment Rules, 1969 published in Notification No. S. O. 1431 in Gazettee of India dated the 15th April, 1969. [*Placed in Library. See* No. LT-1020/69.]

(2) (i) A copy of Notification No. S. O. 741 (Hindi and English Versions) published in Gazette of India dated the 20th February, 1969 regarding management of the Bengal Nagpur Cotton Mills Limited, Rajnandgoan, under sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(ii) A statement (Hindi and English Versions) showing reasons for delay in laying the above Notification. [*Placed in Library. See* No. LT-1021/69.]

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

ESTATE DUTY (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रताव करता हूँ :

"सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में अगले संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का सम्बन्ध पांचवें वित्त आयोग द्वारा सम्पदा शुल्क राशि के राज्यों में वितरण के बारे में दी गई सिफारिशों से है । वित्त आयोग को अन्य कामों के साथ यह काम भी सौंपा गया था कि क्या सम्पदा शुल्क के राज्यों में वितरण सम्बन्धी सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन किया जाये । आयोग ने अनेक सुझावों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्तमान वितरण-व्यवस्था में भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । हां, आयोग ने संघ राज्यों को दी जाने वाली राशि 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी है । सरकार ने आयोग को सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सभा में यह विधेयक लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उपरोक्त प्रस्ताव सभा के समक्ष पेश किया गया ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पर 31 दिसम्बर 1969 तक जनमन जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा के समक्ष दोनों प्रस्ताव हैं ।

श्री रा० की० अमीन (बंधुका) : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि वितरण की विद्यमान व्यवस्था और नई व्यवस्था में अन्तर बहुत थोड़ा है फिर भी मैं इस सम्बन्ध में एक-दो बातें कहना चाहता हूँ । पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि वितरण योजना पर बिल्कुल नये सिरे से विचार किया

जाये ताकि किसी राज्य के साथ अन्याय न हो। अन्यथा आसाम के पहाड़ी राज्य जैसे राज्यों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी और उनका मामला पुनः वित्त आयोग को सौंपना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आज वितरण का आधार चल सम्पत्ति के लिए जनसंख्या है और अचल सम्पत्ति के लिए सम्पत्ति का स्थान है। यदि राज्यों को अपने राज्यों में ये कर लगाने और वसूल करने का अधिकार दे दिया जाये तो चल और अचल सम्पत्ति में भेद करने की आवश्यकता ही न होगी। अतः मेरे विचार से वितरण-योजना में परिवर्तन करने के बजाय पूरे मामले को फिर वित्त आयोग के पास विचारार्थ भेजा जाये। और उसके नये प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जाये। हो सकता है नये प्रतिवेदन के अनुसार परिवर्तन ही न करना पड़े।

श्री कन्डप्पन (मैदूर) : मैं प्रो० अमीन द्वारा कही गई बात का समर्थन करता हूं। अब राज्यों में यह प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है कि उनके पास राजस्व अधिक हो और उन्हें अधिक कर लगाने का अधिकार दिया जाये। अब चूंकि कांग्रेस का एक दम शासन समाप्त हो गया है इसलिये यह उचित समय है जबकि कर के सम्पूर्ण ढांचे पर पुनः विचार किया जाए। यदि राज्यों को करों के मामले में स्वाधीन बना दिया जाये तो वे अपने आपको मानसिक रूप से सबल अनुभव करेंगे और वे विकास-कार्यों के लिए अधिक धन एकत्र कर सकेंगे तथा केन्द्रीय सरकार पर दोषारोपण न कर सकेंगे। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पूरे मामले पर पुनः विचार किया जाए।

श्री रानेन सेन (बारसाट) : इस विधेयक में राज्यों में सम्पदा शुल्क के वितरण की व्यवस्था है। चौथे आम चुनावों के पश्चात भारत में राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन आ गया है। अब न केवल गैर कांग्रेसी सरकारें बल्कि कांग्रेसी सरकारें भी अधिक वित्तीय शक्तियों की मांग कर रही है। अतः हमें इस विधेयक पर एक नए राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार करना है और वह है केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का। संघ राज्य-क्षेत्रों के भाग में वृद्धि किए जाने का मैं विरोध नहीं करता परन्तु यह अवश्य चाहता हूँ कि राज्य सरकारों को एकत्रित कर राशि में से कम से कम उतनी राशि तो मिले जितनी उन्हें उस समय मिलती जबकि वे स्वयं इसे एकत्र करते।

दूसरी बात यह है कि कृषि सम्पत्ति को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति पर केन्द्रीय सरकार सम्पदा शुल्क लगाती है। सम्पत्ति उत्तराधिकार कर भी केन्द्रीय सरकार ही लगाती है। सम्पदा शुल्क और सम्पत्ति उत्तराधिकार कर में बहुत ही सूक्ष्म अन्तर है। अतः मुझे शंका है कि कहीं हर व्यक्ति पर दोहरा कर न लग जाए। कुछ राज्यों ने भी इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है। अन्त में मेरा यह निवेदन है कि यह विधेयक केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की दृष्टि से बड़ा महत्त्व-पूर्ण है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो आयोग का अन्तरिम निवेदन ही आया है। उसके अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। फिर वित्त मंत्री इस विधेयक मामले में इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं। आज पूरे भारत में अन्तर्राज्जीय सम्बन्धों और केन्द्र-राज्य

सम्बन्धों का मामला बहुत महत्त्वपूर्ण बन गया है। अत: इस विधेयक के बारे में इतनी शीघ्रता नहीं की जानी चाहिए। अब 5 वर्षीय या 10 वर्षीय वित्त आयोग स्थापित किया जाना चाहिए, अस्थायी आयोगों से अब काम नहीं चलेगा। अब तो राज्यों में सम्पदा शुल्क की वितरण व्यवस्था को नया रूप देना ही होगा।

आयोग ने वितरण के लिए दो सिद्धान्तों का सुझाव दिया है। चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में जनसंख्या आधार माना जाएगा और अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में अचल सम्पदा के स्थान का आधार माना जाएगा। मेरे विचार से सम्पदा शुल्क का वितरण राज्य की जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि किसी अचल सम्पत्ति के मैसूर या बिहार या महाराष्ट्र में होने से क्या अन्तर पड़ता है। यह जहां भी है, भारतीय सम्पत्ति है। राज्य को कल्याणकारी कार्यों पर जनसंख्या के अनुसार ही खर्च करना पड़ता है।

मेरा इस विधेयक के बारे में यह सुझाव है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये और इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति ली जाए। अत: इस मामले में शीघ्रता न की जाये मुझे पूर्ण आशा है कि वित्त मन्त्री महोदय मेरे विचारों पर अवश्य ही ध्यान देंगे।

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : यह एक साधारण विधेयक है तथा इस के सम्बन्ध में अधिक दलीलें पेश नहीं की जा सकती हैं। मेरे माननीय मित्र ने जो मुझ से पहले बोले थे, यह सुझाव दिया था कि सम्पदा शुल्क की वसूली का कार्य विभिन्न राज्यों को सौंप दिया जाना चाहिए। यह एक विचित्र तर्क है। इस से तो अधिक गड़बड़ी पैदा होगी तथा प्रादेशिक भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। हम चाहते हैं कि सभी करों का एककीकरण किया जाना चाहिए और उन्हें देश भर में समान आधार पर लागू किया जाना चाहिए। सम्पदा शुल्क का केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाना सही है और इस सुझाव में कोई सार नहीं है कि इसे विभिन्न राज्यों को सौंपा जाए। इस समय यह मांग जोर पकड़ रही है कि राज्यों द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सभी करों का एककीकरण किया जाना चाहिए तथा उसे देश भर में समान दर पर लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर हर मनोरंजन कर को लीजिए। इसे विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किया जाता है तथा इस की दरें भिन्न भिन्न हैं। अब यह भावना पैदा हो रही है कि मनोरंजन कर का एककीकरण किया जाना चाहिये और देश भर में इसकी समान दर होनी चाहिये। राज्य बिक्री कर के बारे में भी यही स्थिति है। अत: सम्पदा शुल्क के अतिरिक्त मनोरंजन कर, बिक्री कर इत्यादि भी केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाने चाहियें, ताकि देश भर में एकरूपता लाई जा सके।

यह विधान ब्रिटिश विधि से लिया गया है। ब्रिटेन में इसे वर्ष 1894 में लागू किया गया था। भारतीय विधान में विभिन्न न्यायिक निर्णयों से लाभ उठाया गया है, परन्तु हिन्दू विधि के कारण कुछ पैचीदगियां पैदा हो गई हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उन का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये और उन्हें सुलझाया जाना चाहिये।

यह कानून धन कर, आयकर तथा अन्य उपहार कर से मिलता जुलता है। परन्तु सम्पदा शुल्क के बारे में जो विभिन्न खण्ड हैं वे सम्पत्ति कर तथा आयकर के खण्डों से भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर सम्पदा शुल्क अधिनियम के खण्ड 10 को देखिये जिसमें एक दूसरा परन्तुक जोड़ दिया

गया है और जिस के द्वारा इसे वास्तव में सरल बना दिया गया है। उस परन्तुक में यह व्याख्या की गई है कि एक पति जिस ने अपना मकान अपनी पत्नि को उपहार के रूप में दे दिया है, उस मकान में रह सकेगा तथा ऐसा करना सम्पदा शुल्क अधिनियम का उल्लंघन नहीं होगा। अन्य मामलों में भी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ऐसे स्पष्टीकरण दिये जाने चाहियें। जहाँ तक अस्तियों की मूल्यांकन प्रणाली का सम्बन्ध है, धन कर के सम्बन्ध में भिन्न मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई है तथा उपहार कर के सम्बन्ध में भिन्न मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई है और संपदा शुल्क के सम्बन्ध में भिन्न प्रणाली अपनाई गई है। मैं महसूस करता हूं कि धन कर के सम्बन्ध में अस्तियों के मूल्यांकन की जो प्रणाली अपनाई गई है, वह सरल है और उसे यहाँ भी अपनाया जाना चाहिये।

हम शीघ्र ही आय कर अधिनियम का सरलीकरण करने वाले हैं। संपदा शुल्क एक नया अधिनियम है तथा इस से सम्बन्धित बहुत से मामले उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायाधिकरणों में अनिर्णित पड़े हैं। सरकार को उनकी जाँच करनी चाहिये तथा उन को ध्यान में रखते हुए सभी बातों का पूर्ण स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये, ताकि कोई संदिग्ध अवस्था न रहे और न्यायालयों में कठिनाइयां सुलझाने के लिए स्थान न रहे। सम्पदा शुल्क अधिनियम के सरलीकरण के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, when the Estate Duty (Distribution) Amendment Bill was introduced, the objection raised by me was that this Bill should be brought before the House after the receipt of the final report of the Fifth Finance Commission. I reiterate my same objection.

There is no doubt that it has been recommended in the interim Report of the Fifth Finance Commission that the Union Territories should by given 3% share instead of 2% from the Estate Duty collections. Though this recommendation concerns the Union Territories, yet it is in the interest of the Centre to implement it, because the Union Territories are under the Centre and the Centre will thus have the exclusive control over the amount meant for Union Territories. So only those recommendations of the Fifth Finance Commission are being implemented which will serve the purpose of the Centre and the Centre is not willing to implement the other recommendations. For instance it has been recommended in the interim report of Fifth Finance Commission that a permanent Finance Commission soould be set up to evaluate the needs of the State and to determine the extent to which Central assistance should be given to them to meet their needs. But the Centre is not going to implement this recommendation because it is not their favour.

The main reason of Centre-State differences is the financial issue. The States which are underdeveloped and which want to make rapid progress want money for their development, but the Centre fixes certain limit for their financial assistance. There are certain State Governments which really want the rapid development of their States, but they have little resources and adequate Central assistance is not available to them.

I agree that the Centre has its own responsibility. There are Central projects for which money is required. But there are certain States like Kerala and West Bengal, where the parties in power are other than the party in power at the Centre and which want the rapid development of their States. There are other States also which are demanding more money. So my submission is that this Bill should be considered after the receipt of the final report of the Fifth Finance Commission and till then its consideration should be postponed.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : यह एक बहुत छोटा विधेयक है तथा इसके द्वारा

पांचवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिश को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का उल्लेख किया गया है। मेरी राय यह है कि अनुच्छेद 269 के अधीन प्राप्त कर संसाधन सामान्य वितरणार्थ कोष का एक होना चाहिये, जिस से राज्यों की अपेक्षित जरूरतों के समान सिद्धांत पर धन का वितरण किया जा सके। उदाहरण के तौर पर आप मध्य प्रदेश को लीजिये। मध्य प्रदेश एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें अधिकांश आदिवासी लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश के बहुत से जिले अविकसित हैं तथा उनकी आवश्यकतायें समृद्धिशाली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अथवा बिहार से कहीं ज्यादा हैं। परन्तु होता क्या है ? मध्य प्रदेश को संपदा शुल्क की कम प्रतिशत राशि मिलती है, जब कि महाराष्ट्र तथा बिहार को अधिक प्रतिशत राशि मिलती है। वास्तव में मध्य प्रदेश को अधिक राशि मिलनी चाहिए, परन्तु उसे कम राशि मिल रही है।

अतः मेरा निवेदन यह है कि बदली हुई राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रत्येक राज्य की आवश्यकता को देखते हुए वित्त आयोग को करों के वितरण के मामलों की जांच करनी चाहिए और एक ऐसा न्यायोचित सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिये जिस से विभिन्न राज्यों की विकास सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी हो सकें। गत 20 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में बहुत अधिक विकास हुआ है, जब कि कुछ राज्य अभी तक पिछड़े हुए हैं। इसलिए पिछड़े हुए राज्यों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

राज्यों के पास केवल दो महत्वपूर्ण कर हैं—अर्थात बिक्री कर और मनोरंजन कर। राजस्व के अधिकांश स्रोत केन्द्र के अधीन हैं। वास्तव में हम चाहते हैं कि केन्द्र को मजबूत होना चाहिये परन्तु मेरा निवेदन तो केवल इतना है कि वित्त आयोग को समूची कर व्यवस्था का पुनरीक्षण करना चाहिए तथा उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और कोई ऐसा न्यायोचित सिद्धान्त बनाना चाहिए जिस के आधार पर विभिन्न राज्यों में करों तथा राजस्व की राशि का वितरण किया जा सके। अविकसित राज्यों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेरी समझ में यह तर्क नहीं आया कि इस विधेयक पर चर्चा को स्थगित किया जाए। यह कहा गया है कि अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने तक इस पर विचार स्थगित किया जाए। जहां तक इस मुद्दे का सम्बन्ध है, यह वित्त आयोग की अन्तिम रिपोर्ट है। इस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसलिए इसको स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं है। वितरण का सिद्धान्त ठीक वही हैं जैसाकि पहले वित्त आयोगों द्वारा किया गया था केवल इस में संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या को देखते हुए उन्हें एक प्रतिशत और दिया गया तथा तदानुसार परिवर्तन कर दिया गया है।

जहां तक पवर्तीय राज्य के निर्माण का सम्बन्ध है, इसे पृथक राज्य नहीं बनाया गया है। यह आसाम का अंग है। आसाम राज्य को अवश्य हिस्सा दिया जाएगा।

तेलंगाना का भी उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह सही नहीं है। इस विधेयक को केवल इसलिए स्थगित करना सही नहीं है कि तेलंगाना में भविष्य में क्या होगा। वास्तव में वित्त आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1968 में प्राप्त हुई थी और उसी की सिफारिशों की पूर्ति के लिए यह विधेयक लाया गया है।

श्री कन्डप्पन :मेरे इस सुझाव के बारे में आप की क्या राय है कि वसूली का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

श्री मोरार जी देसाई : यह सिद्धांत सही नहीं है कि वसूली का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया जाए। जहां सम्पतियां अन्तर्गस्त होंगी, वहाँ उन्हें कठिनाइयां महसूस होगी। इसे वसूल करने में उन्हें कठिनाई होगी और इससे अधिक झगड़े बढ़ेंगे। इसी लिए इसे केन्द्र को सौंपा गया है। केन्द्र को राजस्व में दिलचस्पी नहीं है, केन्द्र को तो सब से अधिक दिलचस्पी इसमें है कि अधिक से अधिक भाग राज्यों को प्राप्त हो और यह उनको इतना ही प्राप्त होगा। जितना कि वे स्वयं अलग से लगाकर प्राप्त कर सकते हैं।

यदि वर्ष 1967 में राजनैतिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है तो वह अन्तिम परिवर्तन नहीं है, भविष्य में और भी परिवर्तन हो सकते हैं और हर परिवर्तन के साथ हम अपनी इच्छानुसार संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर 31 दिसम्बर, 1969 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में अन्तर्गत संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि खण्डों के बारे में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इस लिये मैं सब खण्डों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है : -

"**खण्ड 2,3 और 1, अधिनियम का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2,3 और 1, अधिनियम सूत्र तथा अधिनियम का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 2, 3 and 1, the Enacting Formula and the Title and part of the Bill.

श्री मोरार जी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted,

जन्म तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण विधेयक (जारी)

REGISTER OF BIRTHS AND DEATHS BILL—(Contd.)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक पर आगे खण्ड-वार चर्चा होगी ।

इसके पश्चात लोक-सभा माध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Three minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

दो राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने के लिए विधान के बारे में

RE-LEGISLATION FOR ABOLITION OF UPPER HOUSES IN TWO STATES

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय मुझे अभी थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के संसद् कार्य मन्त्री का टेलीफोन प्राप्त हुआ है तथा उन्होंने मुझे सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वे सब औपचारिक्तायें पूरी कर दी है, जिन से केन्द्र विधान परिषद् को समाप्त करने सम्बन्धी विधेयक को पास कर सके । उन्होंने मुझे बताया है कि विधेयक को वापस भेज दिया गया है । मेरी जानकारी यह है कि विधेयक वापस आ गया है ।

इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए केवल 2 अथवा 3 अथवा 4 घण्टे के समय की जरूरत है । चूंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूँ कि इस के लिये समय निश्चित किया जाये ।

श्री धीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक पंजाब का संबंध है, पंजाब सरकार ने संदेशवाहक के द्वारा अपना संकल्प भेजा है, ताकि इस विधेयक को इसी सत्र में लिया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस सभा का कार्य एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार चलाया जाता है । यदि वे इस मामले को बहुत आवश्यक समझते हैं, तो उन्हें-ने इसे कार्य मंत्रणा समिति में उठाना चाहिए । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज सायं 4 बजे हो रही है । मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ ।

जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक, १९६८ (जारी)

REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS BILL—(Contd.)

उपाध्यक्ष महोदय : हम खण्ड 10 तथा उस पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर पूर्ण रूप से

चर्चा कर चुके हैं। अब मैं श्री लोबो प्रभू द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या (पुराना) 20 सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

गृहकार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० रा० रामास्वामी) : मैं ने एक सरकारी संशोधन प्रस्तुत किया है, जो कि श्री वेणी शंकर शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या (पुराना) 26 के समान है। इसलिये हम संशोधन संख्या (पुराना) 26 को स्वीकार करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या (पुराना) 26 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"[पृष्ठ 6—

पंक्ति 8 और 9 को निकाल दिया जाय।

[पुराना) 26]

[*Omit* **lines 8 and 9**]

संशोधन स्वीकृत हुआ

The amendment was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या (पुराना) 28 सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 3 संशोधन संख्या (पुराना) 26 के समान है जिसे प्रस्तुत तथा स्वीकार किया जा चुका है। मैं अब सरकारी संशोधन संख्या 9 और 10 सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है :—

(1) [पृष्ट 9– पंक्ति 10,

(iii) के स्थान पर (ii) रखा जाय।

[9]

(2) [पृष्ठ 6 --पंक्ति 13,—

(iv) के स्थान पर (iii) रखा जाय

for (iv) substitue (iii) 10]

संशोधन स्वीकृत हुआ

The amendments were adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 11 मतदान के लिये रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment No. 11 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 15,16 और 17 मतदान के लिये रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15,16 और मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Amendments Nos. 15, 16 and 17 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 as amended, was added to the Bill.

खण्ड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 11 and 12 were added to the Bill.

खण्ड 13

Clause 13

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 23 और 24 प्रस्तुत करता हूँ।

Generally speaking the Bill is quite good because it provides for the registration of Births and Deaths in India, During the past no proper account of the births and deaths has been maintained. Today there is no anthentic record to show the date of birth of Sardar Vallabh Bhai Patel. So this Bill is good. My amendment is that late fee should not be imposed and that is why I have suggested that the words "on payment of such late fee" be substituted with the words "without payment of any fee."

My Amendment No. 24 is at on page 7 in lines 19 and 20 for "on payment of the prescribed" the words "without payment of any fee" should be substituted.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I support these amendments. I want a clarification from the hon. Minister. The labourers working in Government Undertakings are required to produce birth certificates for granting them extensions etc. But in the birth register certificates names are not written. Whatever is written is only this that a boy or a girl is born. So later difficulty is felt. Suppose my name is Ram Lal. It is not there in the certificate. In that case in order to prove that I am Ram Lal. I have to give an affidavit. So I want to know what provisions have been made to overcome this difficulty.

श्री रामास्वामी : इस विधेयक का उद्देश्य जन्म तथा मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण है। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जन्मो तथा मृत्यु का समय पर पंजीकरण हो, विलम्ब शुल्क की व्यवस्था की गई है। हम श्री झा के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन के संशोधन को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं।

श्री रामास्वामी : जी नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

श्री रामास्वामी : खण्ड 4 में यह उपबन्ध किया गया है कि बिना नाम बालक का पंजीकरण किये जाने पर उसके माता पिता अथवा संरक्षक उस का नाम रखे जाने पर एक निश्चित अवधि के अन्दर रजिस्ट्रार को उस के नाम की सूचना देगें ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23 और 24 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Amendments Nos. 23 and 24 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14

Clause 14

श्री देव राव पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूँ ।

My amendment is very appropriate and simple. Clause 14 provides for the registration of name of the child. It has been provided in Clause 12 that the extract of registration entries would be given by the registrar to the in for masil free of change as soon as the registration of a birth or death is completed under sections 8 and 9. But this provision has not been made in Clause 14 and that is why I here submitted that the words "and shall give free of charge and extract of the particulars to the person concerned" be added at the end.

Much importance is attached to the name of a person and so I request that my amendment be accepted.

Shri S. M. Banerjee : I support the amendment. There is practical difficulty is given the name of a child on the day of his birth. It is practically impossible. In birth certificates the name is not written. Whatever is written is only that a male or female child was born. So I request that certain rules should be framed in this regard to eliminate the difficulty.

श्री रामास्वामी : ज्यों ही किसी बच्चे के जन्म की सूचना रजिस्ट्रार को दी जाती है वह सम्बन्धित व्यक्ति को सर्टिफिकेट देता है । जब उस बच्चे का नाम रखा जायेगा तथा वह व्यक्ति रजिस्ट्रार को उसके नाम की सूचना देगा तो उस का नाम उसी सर्टिफिकेट में दर्ज कर दिया जायेगा । इस लिये इस काम को दोबारा से करने की जरूरत नहीं है । जहां तक नियम बनाने का सम्बन्ध है, यह शक्ति राज्य सरकारों को दे दी गई है । राज्य सरकारें नियम बनायेंगी तथा वे इस सम्बन्ध में हम से सलाह लेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 12 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15 से 22 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 15 to 22 were added to the Bill.

खण्ड 23

Clause 23

श्री देवराव पाटिल : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूँ।

डा० रानेन सेन : मैं अपने संशोधन संख्या 19 और 20 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 25 और 26 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Deo Rao Patil : Sir, I have suggested in my amendment that the penalty of Rs. 50/- provided far in Clause 23, in case any person does not inform the Registrar about the birth or death of his child within the prescribed time be reduced to Rs. 25/-.

According to the National Sample Survey 80 per cent of our population lives in village and their daily income is less than Re. 1/-. So in case any of them fails to inform the Registrar about the birth or death of his child, he will be subjected to a penalty of Rs. 50/- under Clause 23. It is too much. So I have suggested that this amount be reduced to Rs. 25/-.

डा० रानेन सेन : यद्यपि यह एक बहुत अच्छा तथा महत्वपूर्ण विधेयक है तथापि इसे बहुत कड़ा बना दिया गया है । विधेयक का मुख्य उद्देश्य लोगों को शिक्षा देना तथा जन्म तथा मृत्यु की सूचना दर्ज कराने के लिये उन्हें राजी करना है । परन्तु इसे बहुत कठोर बना दिया गया है । हमारे देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं और वे इस विधेयक के उपबन्धों का पालन करने में भूल कर सकते हैं । अतः उन्हें बताया जाना चाहिये कि जन्म तथा मृत्यु की सूचना देना देश के हित में है । इस के विपरीत विधेयक में दण्ड देने के उपबन्ध किये गये हैं । यह ठीक नहीं हैं । मन्त्री महोदय को इस पर विचार कर इन्हें वापस लेना चाहिये ।

Shri Shiva Chandra Jha : Sir, Clause 23 provides for the penalties for the non-fulfillment of the provisions of this Bill. I have suggested in my amendment that in case any Registrar or Sub-registrar shows neglect and does not perform his duty well than a penalty of Rs. 100/- should be imposed on him. After all the Registrars and the Sub-registrars are Government servants and we cannot toleratc my negligence on their part.

So far as Sub-clause 3 of Clause 23 is concerned it has been provided in this Sub-clause that in case any medical practitioner refused to give the death certificates of any person, who was atteneded to by him a penalty of Rs. 100/- should be imposed on him instead of a pelanty of Rs. 50/- as provided in the Bill.

Shri Hem Raj (Kangra) : Sir, I support the amendment moved by Shri Patil.

The people of our country are poor and they are illitrate and it cannot be expected from them that they will get the births and deaths registered immediately. So it will be a great injustice to them to impose a penalty of Rs. 50/-. Shri Shiva Chandra Jha has said that it should not be reduced.

Shri Shiva Chandra Jha : My amendment is regarding that Sub-clause which deals with the high handedness of the Registrar.

Shri Hem Raj : I have no objection regarding the penalty being imposed as Registrar. My sub-mission is that that instead of Rs. 50/- it should be reduced to Rs. 25/- or Rs. 5/- only if possible in case of private citizens. The present need of the hour is to educate them. So my sub-mission is that the penalty be reduced to Rs. 25/- or Rs. 5/- only, if possible, because it will be a great injustice to impose a penalty of Rs. 50/-.

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : Sir, a provision of a penalty of Rs. 50/- has been made in Clause 23. It is on the high side. The common man cannot be educated in this way. Thit is a great injustice to him. So I request that this penalty should be withdrawn. If Government thinks that it is absolutely essential to have a provision for penalty then the maximum penalty should be Rs. 5/- or Rs. 10/- at the most.

श्री अनन्त राव पाटिल (अहमद नगर) : मुझे खेद है कि विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्तियों ने देहाती क्षेत्रों की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा है। देश में हजारों से गांव हैं जहाँ से लोग जन्म अथवा मृत्यु को दर्ज कराने के लिए तालुक तथा जिला नगर में आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। अत: उन का वहाँ कम से कम एक सप्ताह में पहुंचना स्वाभाविक है। यदि उस स्त्री का पति जिस के बच्चा पैदा होता है, घर से दूर रहता है, तो उसके लिए तो समय पर पहुंचना और भी मुशकिल होगा। ऐसी स्थिति में विलम्ब होना स्वाभाविक है। परन्तु इस विलम्ब के कारण उन्हें 50 रुपये जुर्माना देना होगा। यह अन्याय है। यह उन लोगों के प्रति घोर अन्याय है जो अशिक्षित हैं तथा दूर देहात में रहते हैं।

यह और भी अन्याय की बात है कि यदि रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार जो कि शिक्षित व्यक्ति हैं, यदि सूचना दर्ज नहीं करते हैं, तो उन पर केवल 25 रुपये जुर्माना होगा, जब कि अशिक्षित व्यक्तियों पर 50 रुपये।

विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि परिवार का सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति पंजीयन करायेगा, परन्तु यदि बच्चे का जन्म पिता की मृत्यु के बाद होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा। इसके लिए कोई उपबन्ध करना चाहिये।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूँ, परन्तु मैं समझता हूँ कि वह इस उपबन्ध को ठीक प्रकार से समझ नहीं सके हैं। यदि इस खण्ड को ध्यान से पढ़ा जाये तो इस से स्पष्ट हो जाता है कि जुर्माना तभी किया जायेगा यदि कोई व्यक्ति उचित कारणों के न होते हुए भी सूचना दर्ज नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति उचित कारणों से विवश होकर सूचना दर्ज कराने में असमर्थ होता है, तो उस पर जुर्माना नहीं किया जायेगा।

दूसरे 50 रुपये जुर्माने की अधिकतम सीमा है तथा परिस्थितियों को देखते हुए जुर्माने की राशि एक अथवा दो रुपये भी हो सकती है। यह दण्ड देने वाले अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर है।

Shri Shrichand Goel (Chandigarh) : It is not proper to impose such a heavy penalty on the Head of the family if he faults to report the death or birth of some one in that family in time to the authorities concerned. This aspect should be taken in mind that most of one countrymen are illitrate and are innocent of the law. Moreover this should not be made a source of revenue. I suggest that the amount of penalty should be reduced from fifty to five rupees only.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापटनम) : देश में लगभग प्रतिवर्ष औसतन 52 लाख नये व्यक्ति जन्म लेते है परन्तु ये जन्म नगरों में नहीं होते जहां कि लोग पडे लिखे हैं। देश को 80 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है और गांवों में रहती है। ये लोग कानून से परिचित नहीं हैं। अतः यह उपबंध पढ़े लिखे लोगों पर ही लागू किया जाना चाहिये। गांवों में और भी अनेक कठिनाइयां होती हैं जैसेकि तीन अथवा चार गांवों के लिए केवल एक ही अधिकारी होता है। जब ग्रामवासी जन्म अथवा मृत्यु की सूचना देने जाता है तो कई बार अधिकारी से उसका मेल नहीं होता। ऐसी ही अन्य अनेक कठिनाइयों का सामना देहातियों को करना पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि यह उपबन्ध केवल पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जाये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I fully support the measure. It has been provided here in Clause 23(1)(c) that any person who refuses to write his name, description and place of abode or to put his thumb mark in the register as required by section 11 shall be punishable with five which may extend to fifty rupees. I want to say one thing about this position that this five should be imposed only on that person who refers to report the birth of a child to the concerned authority. In matter of delays this fine should not be imposed because sometimes such circumstances are created which forces the person to delay the reporting of the birth. Moreover, I would also say that amount of the fine should also be reduced.

श्री रामास्वामी : यह आवश्यक नहीं है कि गरीब लोगों पर अधिकतम जुर्माना ही किया जायेगा। लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जायेगा और कम से कम जुर्माना किया जायेगा। जहां तक उप-खण्ड (2) का प्रश्न है विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त इस जुर्माने का प्रस्ताव है। चिकित्सा व्यवसायियों के बारे में जुर्माने का अधिकतम राशि 50 रुपये निर्धारित की गई है। खण्ड 24 के अन्तर्गत भी जुर्माने की राशि 50 रुपये की गई है। मेरे विचार में यह उचित है।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : It has been provided in this clause that Head of family should report the birth. This should be amended to the effect that any responsible member of the family can give information. Government should accept this amendment.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : इस उपबंध के अन्तर्गत अनेक व्यक्तियों पर जुर्माना किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्रय क्या होगा ? क्या इन सभी पर जुर्माना किया जायेगा अथवा कुछ व्यक्तियों पर ?

श्री रामास्वामी : यदि कोई बिना उचित कारणों के सूचना नहीं देता तो उस पर जुर्माना किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारी आयु पचास वर्ष से ऊपर है। अतः हमें कोई खतरा नहीं परन्तु...(**अन्तर्बाधा**)...

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाया गया है। माननीय मंत्री ने उत्तर

देते समय सभी बातों को ध्यान में रखा है। संशोधन संख्या 13 श्री देवराव पाटिल द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं उसको सभा में मतदान के किए रख रहा हूं।

प्रश्न यह है।

पृष्ठ 10 पंक्ति 3—

'Fifty rupees' [पचास रुपये] के स्थान पर 'Twenty five rupees' [पचीस रुपये] रखे जायें।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 30 विपक्ष में 72

Ayes 30 72 Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 23 was added to the Bill.

खन्ड 24 (अपराधों के बारे में पारस्परिक समझौता करने का अधिकार)

श्री देवराव पाटिल : मैं संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूँ।

पृष्ठ 10 पंक्ति 36—

'Fifty rupees' [पचास रुपये] के स्थान पर 'One hundered rupees' [एक सौ रुपये] रखें जायें।

I suggest that the maximum limit of five of rupees fifty should be raised to rupees one hundred because only the rich people or the employees of the Government will go to the court to compound their cases. Poor people do not have enough money to go to the court. He will simply pay the penalty. Hence this amount should be raised to one hundred rupees.

Shri Shri Chand Goel : I oppose this amendment because not only the rich people and employees will be effected but poor citizens will also be affected by this amendment. This thing will go against the interest of the poor people also.

श्री के० एस० रामास्वामी : इस खण्ड के अन्तर्गत अपराध के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि पचास रुपये रखी गई हो यह खण्ड आपसी समझौतों के बारे में है। जब समझौते की बात हो तो इसका अर्थ यह है कि अपराध का कारण बन गई है और कि अपराध सिद्ध नहीं हुआ। अत: पचास रुपये की राशि पर्याप्त है

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 10 पंक्ति 26—

'fifty rupees' [पचास रुपये] पर 'One hundred rupees' [एक सौ रुपये] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 24 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 25 से 32 तक के बारे में कोई संशोधन नहीं है।

श्री वेणी शंकर शर्मा : खण्ड 30 के बारे में मेरा संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसको उचित समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह रिकार्ड पर नहीं है। यदि आप इस खंड पर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा करने की अनुमति दूंगा। संशोधन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री वेणी शंकर शर्मा : राज्य सरकार के बजाय कानून बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। मैंने अपने संशोधन में 'केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से' के शब्दों को हटाने को कहा है।

यह एक केन्द्रीय अधिनियम है अतः राज्य सरकारों को इस बारे में कानून बनाने के लिए कहने की बात मेरी समझ में नहीं आई। यह शक्ति केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए।

श्री के० एस० रामास्वामी : विभिन्न राज्यों में पृथक-पृथक पद्धतियां हैं। अतः इस संबंध में कानून बनाने की शक्तियां राज्य सरकारों को देना उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 से 32 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 25 से 32 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 25 to 32 were added to the Bill.

खंड 1

Clause 1

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में सरकारी संशोधन संख्या 7 है ।

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 1 पंक्ति 6

"1968' के स्थान पर '1969' रखा जाये ।"

[श्री के० एस० रामास्वामी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

ENACTING FORMULA

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा इस बारे में संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत किया गया है ।

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

'Nineteenth' ['उन्नीसवां'] के स्थान पर 'Twentieth' ['बीसवां'] शब्द रखे जाये ;"

[श्री के० एस० रामास्वामी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as ammended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill.

श्री के० एस० रामास्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : जैसा मैंने पहले कहा प्रत्येक वर्ष 52 लाख बच्चे जन्म लेते हैं । उस विधेयक के पास होने से प्रत्येक बच्चे को हाथ में पचास रुपये लेकर जन्म लेना होगा क्योंकि हो सकता है उनके माता-पिता उनके जन्म की सूचना सरकार को न दे सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) (विधेयक)

UNION TERRITORIES (SEPARATION OF JUDICIAL AND EXECUTIVE FUNCTIONS) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संघराज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों के पृथक्करण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

[Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

इस विधेयक पर संयुक्त समिति ने पूरी तरह से विचार किया है । संयुक्त समिति द्वारा विधेयक का कुछ पहलुओं से संशोधन भी किया गया है । श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा दिये गये संशोधनों पर भी संयुक्त समिति द्वारा विचार किया गया था उनमें से किसी को भी विधेयक में शामिल नहीं किया गया है ।

इस विधेयक का लक्ष्य संविधान के अनुच्छेद 50 में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करना है । विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय पंजाब (न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) अधिनियम (और बम्बई न्यायिक तथा कार्यपालिक पृथक्करण) अधिनियम, 1951 के अधिकांश उपबन्धों को लिया गया है । कृत्यों के वर्गीकरण का सिद्धान्त खण्ड 5 में दिया गया है । खंड 3 का उद्देश्य विधेयक की अनुसूची में निहित हद तक दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना है ।

पंजाब को विभाजित किये जाने के पश्चात कुछ नये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिये गये हैं । भूतपूर्व पंजाब राज्य के कुछ अधिनियम उन क्षेत्रों पर लागू होते थे खण्ड 6 में उनको रद्द करने का प्रयत्न किया गया है । हमारा ध्येय यह है कि एक संघ राज्य क्षेत्र तथा दूसरे संघराज्य क्षेत्र में कोई अन्तर न हो ।

श्री श्रीनिवास मिश्र के संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यह था कि कोई भी न्यायिक कृत्य कार्यपालिका के अधिकारियों को न सौंपा जाये। इसी प्रकार कार्यपालिका का कोई भी कृत्य न्यायपालिका को नहीं सौंपा जाना चाहिए। श्री श्रीनिवास मिश्र यह भी चाहते थे कि धारा 107 के अन्तर्गत शान्ति बनाये रखने तथा धारा 109 और 110 के अन्तर्गत अच्छे चाल-चलन लिए प्रतिभूति लेने की शक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपी जानी चाहिए। ये शक्तियां प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास ही रहेंगी। परन्तु वह इन शक्तियों को प्रथम श्रेणी के कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों से लेना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि ये विधि व्यवस्था बनाये रखने की शक्तियां हैं। ये न्यायिक शक्तियां नहीं हैं। परन्तु इन कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को किसी न्यायिक मामले के बारे में निर्णय देने की शक्तियां नहीं हैं। किसी बुरे चरित्र के व्यक्ति से प्रतिभूति लेना न्यायिक कृत्य नहीं है। विधेयक में इन शक्तियों को कार्यपालिका के मजिस्ट्रेटों को दिया गया है।

विधेयक में कुछ परिवर्तन मुख्य रूप से उपबंधों को स्पष्ट करने तथा उन पर जोर देने के लिए ही किये गये हैं। संयुक्त समिति में विधेयक के उपबंधों तथा उद्देश्यों के बारे में सर्वसम्मति थी।

हमारा इरादा न्यायिक तथा कार्यपालिक के कृत्यों को प्रभावी ढंग से पृथक करने का है। यदि कोई माननीय सदस्य यह बताये कि किसी खण्ड विशेष में इन कृत्यों का पृथक्करण उचित ढंग से नहीं किया गया है तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं। इस मामले की हम प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहते।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस विधेयक को पास करने का अनुरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों के पृथक्करण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि इस विधेयक पर जनमत जानने के लिए उसे 16 अगस्त, 1969 तक परिचालित किया जाये।"

श्री एम० मेघचन्द्र (आन्तरीक मनीपुर) : मैं विस्तार में तो नहीं जाना चाहता क्योंकि संयुक्त समिति के सदस्य के नाते मैंने इस विधेयक का समर्थन किया है। संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका को अलग करने की बात कही गई है। अतः विभिन्न राज्यों में 1952 अथवा 1953 से करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

मनीपुर और त्रिपुरा में न्यायिक आयुक्त का एक व्यक्ति का न्यायालय है। यह मनीपुर अथवा त्रिपुरा में पूरे समय के लिए कार्य नहीं करता। इसके अतिरिक्त न्याय के प्रशासन में अपर्याप्तता भी रहती है।

मनीपुर के लोग बहुत समय से पृथक न्यायालय बनाने की मांग भी कर रहे हैं। इस बारे में 1968 में मनीपुर के 'बार' ने भी सिफारिश की थी। अतः एक न्यायाधीश द्वारा सभी लम्बित

मामलों को निपटाना सम्भव नहीं है। 1-4-69 को न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में लगभग 400 मामले लम्बित पड़े थे। अतः मेरा निवेदन है कि इस न्यायालय का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए। मनीपुर और त्रिपुरा में दो न्यायाधीशों पर आधारित उच्च न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका में पृथक करने सम्बन्धी यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिए था।

इस विधेयक के पास होने से सभी संघ राज्य क्षेत्रों में एक समान कानून लागू हो जायेगा।

मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि गृह-कार्य मंत्रालय पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्षों से अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित नहीं कर सका। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश में विलय के समय 13 न्यायिक अधिकारियों की तबदीली की गई थी। इनमें से एक वापस हरियाणा में तथा तीन पंजाब में चले गये हैं। अतः गृह-कार्य मंत्रालय पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्षों में इन अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने में असफल रहा है। जिन अधिकारियों का पंजाब से तबादला किया गया था उनकी वरिष्ठता की उपेक्षा की जा रही है। इस समय हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने तथा इनकी वरिष्ठता को समाप्त करने के लिए कुछ तदर्थ नियुक्तियां की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों में ऐसा हो रहा है। अतः गृह-कार्य मंत्रालय से मेरा निवेदन है कि इस हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी विभागों में अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु तुरन्त कार्यवाही की जाये।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है कि और आगे तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जायेंगी परन्तु वह स्वयं ही इस परिपत्र की उपेक्षा का रही है। अतःअधिकारियों में विद्यमान असंतोष को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

मुकदमा दर्ज करने की तथा मुकदमा वापिस लेने सम्बन्धी शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास ही रहनी चाहिए।

जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों का सम्बन्ध है प्रत्येक सब-डिवीजन में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सब-जज की शक्तियां भी दी जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को कई-कई मील चलकर न्यायालय में आना पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि इन मजिस्ट्रेटों को कुछ सिविल शक्तियां भी दी जानी चाहिए।

धारा 144, 145, 147 से सम्बन्धित मामलों को न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपा जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि ठीक दिशा की ओर पग उठाया गया है ।

न्यायिक कृत्यों को कार्यपालिक कृत्यों से पृथक करने के लिए दो बातों का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है । एक यह कि न्यायिक कृत्य क्या है तथा कार्यपालिक कृत्य क्या है ? न्यायिक कृत्य गवाहियों की जांच करना तथा निर्णय पर पहुंचना है । कार्यपालिक कृत्य कुछ मामलों में कार्यवाही करता है । इसका अर्थ गवाहियों तथा दस्तावेजों की जांच करना नहीं है । खण्ड 5 में इस भेद को स्पष्ट करके बताया गया है । अब प्रश्न यह है कि क्या इस सिद्धान्त को इस विधेयक में अपनाया गया है । इस विधेयक के साथ एक अनुसूची भी लगाई गई है । इस विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन किये जा रहे हैं ।

सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के शासन के दौरान धारा 107 से 110 को देश के स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता था । अब भी कुछ सरकारें जनसाधारण के आन्दोलनों को दबाने के लिए इन धाराओं का प्रयोग कर रही हैं । अत: इन उपबन्धों को न्याय-पालिका को सौंपने की मांग की गई है ।

कुछ राज्यों में जिनमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जा चुका है इन मामलों पर कोई निर्णय नहीं किया गया है । अत: मेरा निवेदन है कि सरकार को इन मामलों के बारे में स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए ।

धारा 107 से 110 की शक्तियों को क्रियान्वित करने की प्रकिया धारा 112 से 117 में दी गई है । धारा 112 के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति को लिखित आदेश दिया जाना चाहिए । धारा 113 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो इसको यह आदेश पढ़कर सुनाया जाना चाहिए और यदि वह चाहे तो आदेश के सार की उसको व्याख्या की जानी चाहिए ।

जांच करने तथा साक्ष्य लेने की शक्ति धारा 117 में निहित है । उप-खण्ड (2) में परीक्षण तथा साक्ष्य रिकार्ड करने के बारे में है । यह सभी जानते हैं कि सम्मन के मामले ऐसे हैं जिनका परीक्षण इस प्रक्रिया के अन्तर्गत होता है । सम्मन सम्बन्धी प्रक्रिया धारा 107 से 110 में दी गई है ।

खण्ड 5 के अन्तर्गत निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार आदेश पास किया जायेगा । यह निर्णय होगा जिसके अन्तर्गत दण्ड अथवा जुर्माना अथवा नजरबन्दी का दण्ड दिया जायेगा । अत: धारा 107 से 110 सम्बन्धी मामलों में जांच की प्रक्रिया विधेयक के खण्ड 5 के अन्तर्गत आ जाती है । यह बहुत स्पष्ट बात है ।

जहां तक धारा 133 का सम्बन्ध है इसके अन्तर्गत अनेक मजिस्ट्रेट अनेक आदेश निकाल सकते हैं । इस धारा के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों को सिविल न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती । धारा 134 में कहा गया है कि धारा 133 के बारे में सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दिया जायेगा । धारा 135 उस व्यक्ति के बारे में है जिसको आदेश दिया जाता है । सम्बन्धित व्यक्ति को या तो आदेशों का पालन करना पड़ता है या कारण बताने पड़ते हैं । धारा 137 में यह व्यवस्था है कि यदि व्यक्ति न्यायालय में हाजिर हो जाता है और आदेश के

विरुद्ध कोई कारण बताता है तो इस मामले में मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेता है जैसा कि सम्मन मामलों में किया जाता है। धारा 138 में 'जूरी' की सहायता से 133 मामलों में जांच करने की व्यवस्था है ये सब न्यायिक प्रक्रियाऐं हैं और इनको कार्यपालिका के मजिस्ट्रेट के अधीन रखने का कोई कारण है।

धारा 145 भूमि तथा अचल सम्पत्ति रखने के बारे में है। अतः इस धारा के अन्तर्गत न्यायिक जाँच ही होती है। मजिस्ट्रेट व्यक्तियों को बुला सकता है, साक्ष्य ले सकता, जिरह कर सकता है तथा निष्कर्ष निकाल सकता है। अतः यह एक न्यायिक निर्णय होगा। कार्यपालिका इस प्रकार के निर्णय नहीं ले सकती कि यह भूमि इस अथवा उस व्यक्ति की है।

कार्यपालिका को धारा 144 के अन्तर्गत अधिकार मिले हुए हैं। शान्ति भंग होने की आशंका में यह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। अत इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय धारा 107, 110, 133 और 145 को अनुसूची में 'अभियोज्य' शीर्षक के अन्तर्गत लाया जाये।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : श्री मिश्र जी की दलीलें सुनकर मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। संविधान के अनुसार कार्यकारी शक्तियों को न्यायिक शक्तियों से पृथक किया जाना चाहिये निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार भी हमने ऐसा करने को स्वीकार किया है। संघराज्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट कार्यकारिणी को उत्तरदायी होगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होगा। नियुक्यिां भी इसी प्रकार होंगीं। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट निष्पक्ष होगा और कार्यकारणी के दबाव आदि का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

खण्ड 5 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्यों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसी प्रकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कार्यों को भी स्पष्ट कर दिया गया है। वैसे एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को न्यायिक तरीके से कार्य करना चाहिये। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को तो अवश्य ही न्यायिक तरीके से अपना कार्य करना चाहिये।

धारा 107 में शान्ति बनाये रखने का उल्लेख है। इसमें पुलिस को अपने विवेक से कार्य करना होता है। पुलिस को इस प्रकार के मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करने चाहियें।

धारा 108 का सम्बन्ध देशद्रोही विषयों से सम्बन्धित व्यक्तियों से सदाचार सुनिश्चित करना है। ऐसे विषयों वाले मामले भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने जाहियें। यदि कोई शंका हो कि क्या अमुक मामला न्यायालय मजिस्ट्रेट को सौंपा जाये अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सौंपा जाये, तो उसका निर्णय धारा 138 के अनुसार होगा। यह धारा मामले की गम्भीरता से सम्बन्ध रखती है। खण्ड 133 भी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकार से हटा लिया जाना चाहिये।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : In a dictatorship there is only one authority to issue order to ensure its implementation and to explain the implications of the order. The word of the dictator must be obeyed. In a democracy there are three organs to do these jobs. There is legislature to lay down policy. There is executives to implement it and then there is judieiary to interpret the laws.

During the last 20 years Executive has not been separated from judiciary. Now Government has realised to do so. There is no doubt about the impartial working of judiciary in our country. On executive side, no doubt, there is corruption. This Bill

seeks to separate judiciary from executive. It will help in rooting out corruption from executive. It is good that a last Government has realised and brought forward this Bill.

When I. A. S. officers are made incharge of technical departments, like Electricity, Railway or Health, it generally happen that those Department become corrupt and their working becomes inefficient. We should put experienced persons on various jobs.

I know of certain officers who were finding it difficult to perform their dual duties of executive and judicial nature simultaneously.

Under section 108 and 110 they are give powers to police. Then more executive magistrates are being appointed. It is not good. No judicial powers should be given to these magistrates.

Now police have the powers to harass innocent people. I know hon. Minister will give assurance that innocent people will not be harassed, but tomorrow some other party may be come in power. They can make use of such laws to suit their interests. The laws should be such that they could not be misused. I welcome this Bill.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : This Bill concerns the Union Territories. I come from Union Territory of Himachal Pradesh. I welcome this Bill. This should have been brought earlier.

I have heen staying Punjab where executive has been separated from judiciary. There they have not got a good experience of this separation. Some it so happens that some judicial magistrates indulge in corrupt practices. There is no escape from this malpractice. They are human beings I would request the hon. Minister to ensure that some procedure is laid down for enquiry into the complaints against magistrates also.

Himachal Pradesh is territory whose area is 22 thousand sq. miles. At present Delhi and Himachal Pradesh have a common High Court. We want that a separate High Court should be established for Himachal Pradesh. A Circuit Bench of High Court should be set up in Kangra area.

The rules regarding recruitment and promotion of judges and staff in lower courts should be reviewed. There should not be any favouritism in these matters. Only upright and qulified persons should be appointed judges

श्री क० नारायण राव (बोठिबली) : इस विधेयक के मूल सिद्धान्त से किसी का मतभेद नहीं है। कार्यपालिका के मजिस्ट्रेट को दिये जाने वाले अधिकारों का प्रश्न विवाद का विषय है। हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिये। इस पर ध्यान से निर्णय किया जाना चाहिये। हमें कार्यपालिका को कम अधिकार देने चाहिये और न्यायपालिका के रवैये को ध्यान में रखते हुए उसे कम अधिकार देने चाहियें कार्यपालिका को साक्ष्य इकट्ठा करने, मोटे तौर पर निर्णय करने और लोगों की कुछ प्रकार की गतिविधियों से रोकने का अधिकार देना चाहिये। कार्यपालिका में मजिस्ट्रेटों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें उससे भिन्न कार्य सौंपा जाता है। आंध्र में ऐसी स्थिति चल रही है।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : हमें दण्ड प्रकिया संहिता का शिकार होना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी वालों को उसका अनुभव नहीं है। मुख्य मंत्री प्रावधानों का दुरुपयोग करते हैं। वे राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध इस सहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं। अकेले आंध्र प्रदेश में हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध लगभग 200 मामले चालू किये गये गये हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों में (जहां कांग्रेस का शासन है) भी हैं। केरल और बंगाल में ऐसा नहीं है। यदि यह अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपा जाये तो ऐसे मुकदमे नहीं चलाये जायेंगे। यदि आप न्यायपालिका

को कार्यपालिका से पृथक करना चाहते हैं तो इस विधेयक को पारित करने के स्थान पर आप धारा 107 से 110 और 45 के अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दे दें।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी स्थानीय समस्याओं का उल्लेख किया है। श्री मेघचन्द्र ने मनीपुर और श्री प्रेमचन्द वर्मा ने हिमाचल प्रदेश की स्थानीय कठिनाइयों के प्रश्न को उठाया है।

लगभग सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। धारा 107 से 110 वास्तव निवारक धाराएं हैं। कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग को हम न्यायालयों में नहीं रोक सकते। इसे तो संसद अथवा विधान सभाओं में उठाकर रोकना होगा। कार्यकारी शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपने से बहुत मुश्किलें खड़ी हो जायेंगी। जिन राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है वहां भी यह अधिकार कार्यपालिका के पास ही हैं। ये शक्तियाँ मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये हैं। शान्ति के भंग होने की आशंका में इनका प्रयोग किया जायेगा। यह एक निर्णय है जो कि कार्यकारी अधिकारियों को करना होता है। यदि एक झगड़ा हो जाता है तो अधिकारियों को तुरन्त निर्णय करके कार्यवाही करनी पड़ती है। इस कार्य को न्यायपालिका को सौंपने से विलम्ब होगा और इस बीच शान्ति भंग हो सकती है। संयुक्त समिति ने भी इन खण्डों पर विचार किया था। सभी पहलुओं और विचारों को सुनने के बाद यह निर्णय किया गया था। मैं मानता हूँ कि श्री मिश्र की बात में वजन है। परन्तु हमें सभी बातों को ध्यान में लेना चाहिये।

प्रशासन की कठिनाइयों और गम्भीर परिस्थितियों से निपटने की दृष्टि में इन अधिकारों को कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सौंपना ही उचित है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या वह आश्वासन दे रहे हैं कि निवारक कार्यवाही कार्यपालिका द्वारा की जायेगी और निर्णय न्यायपालिका द्वारा ही किया जायेगा ? क्या ऐसी व्यवस्था की जायेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पर जनमत जानने के लिये उसे 16 अगस्त, 1969 तक परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिका कृत्यों के पृथक्करण के उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप, में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा लेंगे ।

खण्ड 2 से 9

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 से 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2 to 9 were added to the Bill.

अनुसूचि

सभापति महोदय : इसके बारे में दो सरकारी संशोधन हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

पृष्ठ 5, पंक्ति 10—

'1968' के स्थान पर 1969 रख दिया जाये । [3]

पृष्ठ 7 पंक्ति 10..

"1968" के स्थान पर "1969" रख दिया जाये । [4]

श्री श्रीनिवास मिश्र : मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन देने के कारण मैं अपने संशोधन पर बल नहीं देता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5, पंक्ति 16—

"1968" के स्थान पर "1969" रख दिया जाये । [3]

पृष्ठ 7 पंक्ति 10—

"1968" के स्थान पर "1969" रख दिया जाये [4]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई .

The schedule, as amended, was added to the Bill.

खन्ड 1

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ 1 पंक्ति 4—

'1968' के स्थान पर "1969" रख दिया जाये। [**श्री विद्याचरण शुक्ल**]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

सभापति महोदय : इसमें एक संशोधन है।

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"Nineteenth" ['उन्नीसवां'] के स्थान पर "Twentieth" [बीसवां] रख दिया जाये। [**श्री विद्याचरण शुक्ल**]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The enacting formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जाये"।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रुप में, पारित किया जाये"

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I support this Bill. It is correct that if the prosecuting officer is to administer justice, you cannot expect the same from him. I want to suggest that we should adopt the system of having elected judges in our country. This practice is in vogue in many countries. It would a very good step.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को, संशोधित रुप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभा को याद होगा कि 1967 में श्री मधुलिमये के निजी विधेयक के पुरःस्थापन के समय मैंने आश्वासन दिया था कि सरकार उसी उद्देश्य वाला एक विधेयक लायेगी । इसके अनुसार कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान देने पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा । यह वही विधेयक है ।

इसके अनुसार कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान देना असंभव हो जायेगा । अब एक कम्पनी 25,000 रुपये तक दान दे सकती हैं ।

अब इस पर पाबन्दी लगायी जा रही है । तदि इसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसे 3 वर्ष कैद तक का दण्ड दिया जायेगा ।

मुझे इसके बारे में कारणों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर पहले ही चर्चा हो चुकी है । मुझे आशा है कि सभा इसका समर्थन करेगी । ऐसा करना देश में स्वस्थ परम्पराओं को स्थापित करना होगा । इस प्रतिबन्ध से शंका की गुंजाइश नहीं रहेगी । यह सरकार और प्रतिपक्ष दोनों के लिए अच्छा होगा । अब सावर्जनिक जीवन साफ रहेगा ।

विधेवक का दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान प्रबन्ध एजेन्सी व्यवस्था को समाप्त करना है । यह एक पुरानी प्रणाली है । इसे अंग्रेजों ने हमारे देश में चालू किया था । यह प्रणाली इंग्लैंड को छोड़ और किसी देश में नहीं है ।

वर्तमान एजेन्सियों को 1970 तक अपना कार्य समाप्त करने को कहा जा रहा है । इसके फलस्वरूप लगभग 226 कम्पनियों को मार्च 1970 काम बन्द हो जायेगा । इस प्रावधान से समवायों के कार्य में सुधार होगा ।

हाल में हमने सचिवों और कोषाध्यक्षों की प्रणाली चालू की थी । परन्तु वह ठीक सिद्ध नहीं हुई । अतः उसे समाप्त किया जा रहा है ।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे। मैं अब अधिक ब्यौरे में नहीं जाना चाहता।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को 21 सदस्यों की एक प्रबल समिति को सौंपा जाये और उससे कहा जाये वह आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

यह एक विवादास्पद विधेयक है। अतः अच्छी तरह से विचार करना आवश्यक है। इसमें दो बिलकुल भिन्न प्रावधान है।

प्रथम उपबन्ध कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान देने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में है। मैंने सबसे पहले 1960 में यह प्रश्न उठाया था। उस कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। उस समय दान की राशि पर 25.000 रुपये अधिकतम सीमा लगा दी गई थी। नौ वर्ष अब यह स्वयं यह विधेयक लाये हैं। हम खण्ड 3 का समर्थन करते हैं। हम धन के बल पर कांग्रेस के शासन का विरोध करते हैं। कांग्रेस ने ऐसा 20 वर्षों तक किया है। फिर इससे सरकार व्यापारियों पर अपना नियन्त्रण रख सकती है। और जनसाधारण को तंग किया जाता है। फिर इस प्रकार के दान का शेयरधारियों को कोई ज्ञान नहीं होता। कम्पनियों के बड़े अधिकारियों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे कम्पनी का लाभ इस प्रकार प्रयोग में लायें। कम्पनी में दलमत राजनीति नहीं आनी चाहिए।

हमें मालूम है कि सरकार भ्रष्ट तरीके अपनाती है। कांग्रेस ने सत्ता में होते हुए बहुत अनुचित लाभ उठाये हैं। अब उन्हें करोड़ों रुपये नहीं मिल सकेंगे। हाँ वे चोरी छिपे अवश्य लेंगे, जैसा कि गत जनवरी में किया गया है। हमें अच्छी कम्पनियों से जो थोड़ी राशि मिलती है वह बन्द हो जायेगी। यह ठीक है।

मैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हम इस देश की आम जनता से धन एकत्र करेंगे। परन्तु यदि केवल इतनी बात होती तो मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने को न कहता, हालांकि उसमें एक बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक प्रयोजन का क्या तात्पर्य है। राजनैतिक प्रयोजन की कोई परिभाषा नहीं की गई है। जब यह कहा गया था कि कम्पनियां राजनीतिक दलों को चन्दा न दें तो बात सरल थी परन्तु यह कहना कि राजनीतिक प्रयोजनों के लिए चन्दा न दिया जाए, इसमें कुछ कठिनाई हैं। अतः प्रवर समिति शायद राजनीतिक प्रयोजन की कोई परिभाषा कर सके क्योंकि कभी शिक्षा सम्बन्धी, राजनैतिक तथा अन्य प्रयोजन इकट्ठे भी हो सकते है जैसे अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ है और यदि कोई ऐसी कम्पनी को चन्दा दे और लोग उसे राजनीतिक प्रयोजन करार दे तो उनके साथ कौन वादविवाद कर सकता है जब कानून में उस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध न है।

भारत में औद्योगिकरण के लिए प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस व्यवस्था को समाप्त करना जल्द-बाजी करना होगा जो ठीक नहीं होगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

हमारे देश में इस व्यवस्था ने बहुत रचनात्मक कार्य किया है। उस समय वैज्ञानिक कम्पनी प्रबन्ध का पता भी न था। अब आध्र निकीकरण के प्रभाव में आकर यह व्यवस्था समाप्तप्रत्य होती जा रही है। अब आर्थिक एवं तकनीकी नियम क्रयशील है और प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था समाप्त हो रही है। 31 मार्च 1956 को प्रबन्ध अभिकरणों वाली कम्पनियों की संख्या 5,055 थी जो 31 मार्च 1967 को 720 रह गई थी जिनमें 429 प्रबन्ध अभिकर्ता थे।

नई कम्पनियों में इस व्यवस्था को अधिक स्थान नहीं मिल सका है। वर्ष 1964-65 प्रबन्धकर्ता वाली 15 नई कम्पनियां बनाने का प्रस्ताव था जबकि 1965-66 में केवल 4 कंपनियों बनाने का प्रस्ताव था। वर्ष 1966-67 में केवल एक ऐसी कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव था। इस से पता चलता है कि बिना किसी विरोध अथवा हस्तक्षेप के कंपनियों की प्रबन्ध व्यवस्था बदलती जा रही है। जहां तक उपर्युक्त व्यवस्था में बुराइयों का सम्बन्ध है, वह कहां पर नहीं हैं ? हमें पता है कि भ्रष्टाचार अधिकारियों और मंत्रियों में भी विद्यमान है। हमारा पहला सिद्धान्त यह है कि अधिक से अधिक प्रतियोगिता हो और कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो। हमारा दूसरा सिद्धांत यह है कि उत्पादक, नियोजक, कर्मचारी, उद्योगपति और उपभोक्ता को अपनी पसन्द की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपनी कंपनी में कोई कैसा प्रबन्ध चलाना चाहता है सरकार का उससे कोई मतलब नहीं है। सभी प्रबन्ध अभिकर्ता बुरे नहीं और सब प्रबन्ध निदेशक अच्छे नहीं होते हैं। फिर सरकार कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत उन बुराइयों को रोक सकती है। यदि सरकार अंशधारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने का अपना अधिकार समझती है तो सरकार को उनके फार्म चलाने में हस्तक्षेप करने से कौन रोकेगा कि वह किसान को बताते रहें कि यह फार्म को कैसे चलाये।

यदि खण्ड 4 और 5 पास हो गये तो एक वर्ष के बाद हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत हानि होगी। प्रबन्ध अभिकरण कम खर्च वाली और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक प्रबन्ध व्यवस्था है क्योंकि सभी कम्पनियों को ये सुविधायें कम खर्च पर उपलब्ध होती है। यदि प्रबन्ध अभिकरण समाप्त कर दिये गये तो सभी कंपनियों को दोहरी सेवाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इससे प्रबन्ध के खर्च में वृद्धि होगी। कंपनियों के प्रबन्ध के खर्च में वृद्धि के साथ साथ उत्पादो की लागत भी बढ़ेगी। विश्व के बाजारों में निर्यात बढ़ाने के लिए हमारी प्रतियोगता की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

आज हमारे देश में अनुभवी प्रबन्धकों की कमी है। मैं तकनीकी रूप से योग्य प्रबन्धक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जब पहले ही यह स्थिति है तो हमें अपने दुर्लभ कुशल प्रबन्धकों को नहीं निकलना चाहिए।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में मंत्री महोदय ने 1965 के एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन से उद्धरण देते हुए यह बताने का प्रयत्न किया है कि एकाधिकार आयोग प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था को पसन्द नहीं करता था और उसे समाप्त करना चाहता था। परन्तु इसके विरुद्ध एकाधिकार आयोग ने प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश करने से इंकार कर दिया था और इस सम्बन्ध में उन्होंने कारण भी बताये थे। अतः मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Shri Masani has stated that his party is against receiving donations from the companies and I welcome his views. The capitalists and businessmen should not have any influence over the political parties. But it is practicable only if they do not receive donations from the companies. I do not agree with the suggestion that the Bill may be suffered to the Joint Select Committee because it will only delay the matter. I want that this Bill should be passed just today. The capitalists should realise that the whole House is aginst them. Managing Agency System is very bad. As a result of this system the entire wealth of India is in the hands of 75 families. Monoplies Commission have also pointed out this fact in their report. Moreover economic disparity has been increased as a result of this system. In case we want to remove this economic disparity, we have to abolish this system. This Bill should be passed without any further delay.

It would be wrong to suggest that Congress Party has been in receipt of heavy sums from the companies. I can prove that opposition parties have received more money from the companies than that received by Congress Party during the elections held in 1967. But I do not want to wash dirty linen here. I have got facts and figures with me. If we want to maintain dignity of the House, we should get rid of the capitalists. We should not get ourselves elected with their help.

I support this Bill and request the House to pass it unanimously.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : You may advise the Congress Members and Ministers to be cautions while replying to questions. Shri Fakhruddin Ali Ahmed had stated earlier that Congress got Rs. 66 lakhs and Swatantra Party Rs. 20 lakhs in the form of donations.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I congratulate the hon. Minister for introducing this Bill. It is wrong to suggest that Congress Party does not support capaitalists. The President of Congress Party opened that any blanket ban on company donations is likely to result in malpractices, under table dealings and corruption. There is nothing wrong in political parties accepting company donations as long as these are willingly given.

There cannot be two opinions about the object of this Bill. It cannot be tolerated in democracy that a few capitalists should purchase conscience of poor people and corrupt the politics. In fact this restriction should have been imposed much earlier. Yesterday it was alleged that Goojar Mal Modi had given Rs. 5 lakhs to Congress Party during the mid-term poll and secured licences for types in return. This point should be clarified.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण आगामी अवसर पर जारी रखें ।

[श्री गादिलिंगन गौड़ पीठासीन हुए]

[Shri Gadilingan Gowd *in the Chair*]

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

36वां प्रतिवेदन

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

आधे घन्टे की चर्चा

Half an hour discussion

स्कूटरों और कारों के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र

*PENDING APPLICATIONS FOR SCOOTERS AND CARS

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : स्कूटर बनाने के बारे में सरकार की नीति टालमटोल, सुस्ती और लाल फीता शाही वाली रही हैं। स्कूटर बनाने के लिए लाइसेंस देने में चार वर्ष का विलम्ब करने से पता चलता है कि स्कूटर बनाने के नये कारखाने स्थापित करने में सरकार की कोई रूचि नहीं है। वे चाहते हैं कि कमी की स्थिति बनी रहे।

जापान और जर्मनी में जितना समय कारखाना स्थापित करने में लगता है उतना समय हमारे देश में लाइसेंस प्राप्त करने में लग जाता है।

वर्ष 1964 में स्कूटरों की पंजीकृत मांग 1.5 लाख थी जो 1968 में 2.5 लाख हो गई थी और 1969 में लगभग तीन लाख हो गई हैं। फिर भी मंत्रालय ने 1964 में नये कारखानों के लिए लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। मार्च 1965 में नये उद्यमकर्ताओं को लाइसेंस देने के लिए आवेदन-पत्र मंगवाये गये थे। इसके उत्तर में कुल 191 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। मंत्रालय ने धीरे धीरे उन आवेदन-पत्रों में से 70 आवेदन पत्र चुने। उसके बाद उनकी संख्या केवल 17 रह गई। मार्च 1968 में जब मंत्रालय ने महसूस किया कि अब और विलम्ब नहीं किया जा सकता तो 17 में से 3 आवेदन-पत्र चुने गये।

फिर लाइसेंस समितियां तथा अन्य उप समितियां बनाई गई और बाद में मंत्रालय ने 50,000 स्कूटर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया। फिर इस निर्णय पर पुनर्विचार होने लगा। विभिन्न आवेदकों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। लाइसेंस समिति सारी स्थिति पर फिर से विचार करेगी और किसी कंपनी को अन्तिम रूप से लाइसेंस देने में 3 या 4 महीने और लग जायेंगे।

वर्ष 1968 में पंजीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या 3,00,000 थी जब कि उत्पादन 35,000 स्कूटर का था और अब उनकी संख्या 40,000 हो जायेगी। इस प्रकार मांग बढ़ती जायेगी। यह ठीक है कि वर्तमान निर्माता कहते हैं कि वे क्षमता बढ़ायेंगे। परन्तु पहले तो वे अधिष्ठापित क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकते और दूसरे विस्तार करने में उनकी रुचि नहीं है। इस समय 2,000 रुपये प्रति स्कूटर चोर बाजारी हैं। अतः वे विस्तार नहीं चाहते।

यदि मेरे आंकड़ों में कोई गलती है और स्कूटर मांग से अधिक बन जायें तो उनका निर्यात किया जा सकता है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि स्कूटर बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिए कम से कम तीन आवेदन-पत्रों पर मंजूरी दें।

हल्दिया स्कूटर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बहुत है। यदि सरकार पश्चिम बंगाल की समस्या हल करना चाहती है तो उसे हल्दिया स्कूटर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे देनी चाहिये।

मेरा सुझाव यह है कि लाइसेंस प्राप्त करने वाले आवेदन-पत्रों पर तीन महीनों के अन्दर विचार पूरा हो जाना चाहिए। दूसरे जब सप्लाई की कमी हो तो लाइसेंस देने की क्षमता बढ़ा

देनी चाहिए । तीसरे किसी विशिष्ट विचाराधारा के आधार पर परियोजनाओं को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए ।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : देश के औद्योगिक विकास के मार्ग में कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी ने जो सुझाव दिये हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने स्कूटर बनाने के कारखाने स्थापित करने में विलम्ब का प्रश्न उठाया है । जब यह समझा गया था कि मांग की तुलना में लाइसेंस क्षमता पर्याप्त नहीं है तो वर्ष 1965 में स्कूटर निर्माण के लिए नये कारखाने स्थापित करने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे। यह ठीक है कि 191 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे परन्तु अधिकांश आवेदन-पत्रों में आवश्यक ब्यौरा नहीं था । अतः आवेदकों को आवश्यक ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया था । आवेदकों ने इस जानकारी को उपलब्ध करने में एक वर्ष का समय लगा दिया था । अतः मंत्रालय की गलती के कारण ही नहीं बल्कि आवेदकों के कारण भी इस मामले में विलम्ब हुआ है । आवश्यक ब्यौरा प्राप्त होने पर मंत्रालय इस मामले को लाइसेंस समिति को भेजने के लिए तैयार था । परन्तु इस बीच योजना आयोग ने निदेश किया कि जब तक चौथी योजना के लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लिए जाते तब तक लाइसेंस समिति तथा मंत्रालय को कोई निर्णय नहीं करना चाहिए । अतः मन्त्रालय में आवेदन-पत्र लम्बित रहने के लिए केवल मन्त्रालय का ही दोष नहीं हैं । योजना आयोग के आदेश के बिना ही मैंने निर्णय किया कि उन आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाये । हमने एक कर्णधार समिति नियुक्त की जिसका काम लाइसेंस समिति के विचारार्थ आवेदन-पत्रों का चयन करना था । कर्णधार समिति ने आवेदकों से कई प्रश्न पूछे । उनके उत्तर प्राप्त हो जाने पर उस समिति ने 191 आवेदन-पत्रों में से 13 आवेदन-पत्रों का चयन किया और उन्हें लाइसेंस समिति को भेजा । इस बीच जिन आवेदकों के आवेदन-पत्र रद्द किए गए थे उन्होंने लाइसेंस समिति को अपीलें भेजी । उस समिति 160 या 170 व्यक्तियों से प्राप्त अपीलों पर विचार किया । फिर इन्होंने निश्चय किया कि वे उनमें से चार आवेदन-पत्रों पर विचार करेंगे । इस प्रकार 13 के बजाय 17 आवेदन-पत्रों पर विचार करना था। उन्हें धन, सहयोग, सहयोग करने वाले देश के बारे में तथा कुछ अन्य जानकारी देने के लिए कहा था । यह ब्यौरा प्राप्त होने पर लाइसेंस समिति ने इन 17 में से तीन आवेदकों को उपयुक्त समझा । इस बीच उपयुक्त समझे गये तीन आवेदकों में से एक ने अपील की कि उसे वह प्रश्नावली नहीं मिली जो सबको भेजी गई थी । वस्तुतः उसने दो पते दिये थे और हमने उसे पहले पते पर प्रश्नावली भेजी थी । परन्तु इस प्रकार आवेदकों के व्यवहार के कारण भी इस कार्य में विलम्ब हुआ है । परन्तु अब हम ने एक प्रोफार्मा बनाया है जिसमें आवेदकों को पूरा ब्यौरा देना होगा । मैं माननीय सदस्या को आश्वासन देता हूँ कि अब उपयुक्त समय पर आवेदन-पत्रों का निपटारा किया जायेगा ।

जहां तक स्कूटरों का सम्बन्ध है उसमें मंत्रालय में केवल इस लिए विलम्ब हुआ है कि योजना आयोग ने चौथी योजना के लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय नहीं किया था ।

जहां तक स्कूटरों के उत्पादन और लाइसेंस क्षमता का सम्बन्ध है, हमारे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं। कुछ निर्माताओं को लाइसेंस दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा निर्माण कार्य

आरम्भ न करने के कारण ही यह कमी हमारे सामने है। वर्ष 1973-74 तक हमारे विचार में स्कूटरों की मांग एक लाख से अधिक होगी। इसीलिए हमारा विचार स्कूटर का बड़ा कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस देने का है जिससे हम उपभोक्ता को केवल स्कूटर ही न दे बल्कि उसे सस्ते मूल्य पर दें। यदि बड़े कारखाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है तो मुझे बताया गया है कि स्कूटर का मूल्य 16,00 रुपये रह जायेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि स्कूटरों का निर्माण कम होता है जबकि मांग अधिक हैं। इसीलिये स्कूटर प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसीलिये उत्पादन बढ़ाने के लिये हम प्रयत्नशील है।

हाल ही में लाइसेंस समिति ने निर्णय किया है और सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के बारे में भी अपीलें की गई हैं। लाइसेंस समिति की सिफारिशें जब मेरे सामने रखी गई तो मैंने फिर सारा ब्यौरा मांगा था। मुझे पता चला है कि 15 दिन के अन्दर सब ब्यौरा उपलब्ध कर दिया जायेगा। तदनन्तर वह सारा मामला लाइसेंस समिति और मेरे पास भेजा जायेगा। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा।

लाइसेंसों के आवेदन-पत्रों के निपटान की प्रक्रिया में अब काफी सुधार हो गया है। हर पन्द्रह दिन के बाद मैं बकाया आवेदन-पत्रों का जायजा लेता हूँ। जिस मामले में कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, वह की जाती है।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि स्कूटर का मूल्य कितनी क्षमता होने पर 1600 रुपये हो जायेगा ?

क्या सरकार स्कूटर की पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध की अवधि बढ़ायेगी ? क्या सरकार कंपनी के हिसाब में स्कूटर की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगायेगी ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : May I know whether the applicants have assured the Government that they will achieve the targets ? May I also know whether it is a fact that new entrepreneurs could not get licences and only established people could get it ? I would also like to know the amount of foreign exchange being spent on import of foreign cars and scooters and the amount of foreign exchange spent in South-East Asia. In case there is something wrong with Automobile Industry, may I know the reason as to why this is not being nationalised ?

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : As the Government is aware that existing scooter manufacturing units are not in a position to meet the demand of scooters, and black market price is very high, May I know for how many units licences will be issued ? May I know whether any application from Bihar has been received for scooter manufacturing ? Artificial rubber is essential for scooter Industry which is available in U. P., Bihar, Mysore and Maharashtra in sufficient quantity. In view of this, will the Government issue four licences so that 2 lakhs of scooters may be manufactured ? I would also like to know whether Government will issue licence to the public sector also so that people may get scooters at reasonable price ?

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : क्या सरकार स्कूटरों के उत्पादन का कुछ अनुपात राज्य व्यापार निगम को सप्लाई करने पर विचार करेंगे जिससे वे जरुरतमन्द व्यक्तियों को स्कूटर नीलाम कर दें ? इससे जरुरतमन्द व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जायेगी क्योंकि जन साधारण को स्कूटर नहीं मिलता। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकारी क्षेत्र में राजस्थान में स्कूटर का कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमारा विचार 50,000 स्कूटर बनाने वाले एक ही कारखाने के लिए लाइसेंस देने का है। हमारी एक शर्त यह है कि स्कूटर का मूल्य कम किया जाये। जो हमारे समक्ष अनुमान प्रस्तुत है उनके अनुसार उत्पादन शुल्क आदि के अतिरिक्त कारखाने में 1600 रुपये पर स्कूटर उपलब्ध होगा। इस समय लेम्ब्रेटा का 2389 रु०, वेस्पा का 2400 रु० और फेटेंबुलस का 3200 रुपये मूल्य है!

हम निश्चय ही इस सुझाव पर विचार करेंगे कि स्कूटर को पुन बिक्री की अवधि बढ़ा देनी चाहिए। परन्तु यदि हम राज्य व्यापार निगम को नीलाम करने के लिए स्कूटर देंगे तो उनका मूल्य बढ़ जायेगा। जहाँ तक बिहार, राजस्थान आदि राज्यों के आवेदन-पत्रों का सम्बन्ध है मैंने पहले ही बता दिया है कि 191 आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया था। हम उसका आवेदन-पत्र स्वीकार करेंगे जो सस्ते मूल्य पर सर्वोत्तम स्कूटर सप्लाई कर सके। मेरे विचार में एक महीने के भीतर इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जायेगा जिससे सब के संदेह दूर हो जायेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 8 मई, 1969/18 वैशाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 8, 1969/ Vaisakha 18, 1891 (Saka).

साकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6।